भारत के
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राजस्व सेक्टर

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / टिप्पणियां
प्राक्कथन		v
ओवरव्यू		vii-x
अध्याय – 1		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	5
निर्धारणों में बकाया	1.3	6
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	7
रिफंड मामले	1.5	7
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार / विभागों का उत्तर	1.6	8
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.6.2	9
लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण	1.6.3	10
प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.6.4	10
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन – संक्षेपित स्थिति	1.6.5	10
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.7	11
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.7.1	11
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.7.2	12
विभाग / सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.8	12
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.9	13
लेखापरीक्षा आयोजना	1.10	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.11	14
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.11	14
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.12	14

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/ टिप्पणियां
अध्याय-2		
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट		
कर प्रबंध	2.1.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1.2	15
वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.2	16
पारगमन बिक्री	2.3	22
कर की गलत दर लगाने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.4	26
परिकलन गलती के कारण कर का अवनिर्धारण	2.5	27
नकली घोषणा फार्म 'सी' के प्रस्तुतीकरण द्वारा कर का अपवंचन	2.6	27
सरचार्ज का अनुद्ग्रहण	2.7	28
एस.ई.जैड. यूनिटों को बिक्री की गलत कटौती के कारण कर का अवनिर्धारण	2.8	28
कर के अप्राधिकृत संग्रहण के लिए कर तथा दंड का न लगाना	2.9	29
अनियमित कटौती अनुमत करने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.10	30
अध्याय-3		
राज्य उत्पाद शुल्क		
कर प्रबंध	3.1.1	31
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1.2	31
बिक्रियों के पुनः आबंटन पर लाईसैंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	3.2	32
अवैध शराब के स्वामित्व एवं व्यापार के लिए पेनल्टी का अनुद्ग्रहण/अवसूली	3.3	34
अध्याय-4		
स्टाम्प शुल्क		
कर प्रबंध	4.1.1	35
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1.2	35
''हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली'' पर आई.टी. लेखापरीक्षा	4.2	36
कलैक्टर द्वारा सर्कल दरों का निर्धारण तथा संपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण	4.3	51

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ/टिप्पणियां
बिक्री विलेखों का संयुक्त अनुबंध में गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.4	55
अचल सम्पत्ति के अव-मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन	4.5	56
अचल सम्पत्ति की गलत दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.6	56
स्टाम्प शुल्क में कटौती के माध्यम से अदेय लाभ	4.7	57
कपटपूर्ण डिक्रियों पर स्टॉम्प शुल्क की छूट	4.8	58
अध्याय-5		
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रबंध	5.1.1	59
यात्री एवं माल कर	5.1.1.1	59
वाहनों पर कर	5.1.1.2	59
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1.2	59
सिटी बस आपरेटरों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली	5.2	60
टैक्सी/मैक्सी मालिकों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली	5.3	61
परिवहन सहकारी समितियों की बसों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली	5.4	62
परिवहन वाहनों के परमिटों का नवीकरण न करना	5.5	63
अध्याय-6		
कर-भिन्न प्राप्तियां		
कर प्रबंध	6.1.1	65
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1.2	65
खदान एवं भू-विज्ञान विभाग		
लघु खनिजों से प्राप्तियां	6.2	65
परिवहन विभाग		
परिवहन प्राप्तियां	6.3	67

परिशिष्ट

अनुलग्नक	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
I	अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/ जिनके 31 अक्तूबर 2014 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1.6.5	73
II	31 अक्तूबर 2014 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.6.5	74
III	31 अक्तूबर 2014 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.6.5	75
शब्दावली		77-78	

प्राक्कथन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में आबकारी एवं कराधान, राज्य उत्पाद शुल्क, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, परिवहन तथा खदान एवं भू-विज्ञान विभागों सहित आर्थिक/सामान्य तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत हरियाणा सरकार के विभागों की आई.टी. लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2013-14 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में 'हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली' पर एक आई.टी आडिट सहित 24 अनुच्छेद तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित ₹ 527.46 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित अन्य अभ्युक्तियां शामिल हैं।

1. अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 33,633.53 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 38,012.08 करोड़ थी। इसमें से, 80 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 25,566.60 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 4,975.06 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 20 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 3,343.24 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 4,127.18 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,378.55 करोड़ की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की 250 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 5,383 मामलों में कुल ₹ 1,625.53 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष 2013-14 के दौरान, विभाग ने 771 मामलों में ₹ 20.89 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के मामलों के लिए 310 मामलों में ₹ 2.09 करोड़ वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.11)

2. अध्याय-2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

पेट्रोलियम उत्पादों (चार मामले), न बेचे गए माल (नौ मामले), पूर्व-स्वामित्व कारों (12 मामले), पेंटस (आठ मामले), आई.टी.सी. के बोगस दावे (तीन मामले), आई.टी.सी. के अधिक लाभ (14 मामले) तथा आगे ले जाए गए गलत आई.टी.सी. (आठ मामले) की बिक्री के संबंध में अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 24.22 करोड़ के अस्वीकार्य आई.टी.सी. के दावे हुए।

(अनुच्छेद 2.2.1 से 2.2.9)

टर्नकी कांट्रेक्टरों को पारगमन बिक्री (19 मामले), हाई सी सेलज (चार मामले) की अनियमित कटौती अनुमत की तथा आयात के दौरान बिक्री (दो मामले) की गलत कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 195.38 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ई-I तथा 'सी' फार्मों के 32 मामलों में छूट प्राप्त (पारगमन) बिक्री के दावे गलती से अनुमत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.69 करोड़ के वैट का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 2.3.1.1 से 2.3.2.2)

वर्ष 2009-10 से 2010-11 के जाली 'सी' फार्मों के विरूद्ध, जो डीलरों को जारी नहीं किए गए थे, की छूट/रियायतें अनुमत की गई थी, परिणामत: ₹ 2.50 करोड़ की पेनल्टी सहित ₹ 3.33 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

डीलर को एस.ई.जैड. बिक्री के आधार से ₹ 107.88 करोड़ की अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 3.65 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 8.03 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

{अनुच्छेद 2.8 (i) तथा (ii)}

3. अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

अनुबंध शर्तों की जोखिम एवं लागत धारा पर बिक्रियों की पुन: नीलामी के पश्चात् रिटेल लिकर आऊटलैटस के 74 चूककर्ता आबंटियों से ₹ 23.70 करोड़ के लाइसैंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

(अनुच्छेद 3.2)

हरियाणा आरोपण तथा वसूली नियमों के नियम 12 तथा 13 का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप 27 मामलों में ₹ 69.04 लाख की पेनल्टी की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

4. अध्याय-4

स्टाम्प शुल्क

''**हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली**'' पर आई.टी. आडिट ने निम्नलिखित दर्शाया:

हैरिस आई.टी. ऐप्लिकेशन में इनपुट नियंत्रणों की कमी के कारण 254 बिक्री दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण हुआ परिणामस्वरूप ₹ 70.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट दी गई।

(अनुच्छेद 4.2.7.1)

विनियमित की जा रही संपत्तियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए ऐप्लिकेशन के त्रुटिपूर्ण डिजाइन के परिणामस्वरूप 13 मामलों में ₹ 4.06 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.2.7.7)

एम.सी. की सीमा के भीतर आने वाले स्थानों की नॉन-मैपिंग के कारण 3,497 मामलों में ₹ 31.62 करोड़ के दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनुदग्रहण हुआ।

{अनुच्छेद 4.2.8.5 (ii)}

आई.टी. ऐप्लिकेशन में सही वैधता नियंत्रण शामिल न करने के कारण 334 दस्तावेजों में ₹ 70.25 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की गलत छूट दी गई।

{अनुच्छेद 4.2.8.7 (i)}

1,000 वर्गगज से कम क्षेत्र वाले एम.सी. सीमा के भीतर किए गए लेन-देनों पर वैधता नियंत्रण की कमी के कारण 1,213 मामलों में ₹ 19.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

{अनुच्छेद 4.2.8.8 (i)}

हस्तलिखित रोकड़ बही में दर्ज की गई प्राप्तियों की प्रविष्टियों का सिस्टम जेनेरेटिड रोकड़ बही से मिलान करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 74.83 लाख की कमी हुई।

{अनुच्छेद 4.2.9.1 (i)}

संपादन लेखापरीक्षा

एम.सी. सीमा के भीतर आने वाली भूमि तथा प्राइम भूमि/कालोनियों/वार्डो/सैक्टरों के कलैक्टर रेट लिस्ट में खसरा नंबर की पहचान तथा रिकार्ड करने में विफल रहने तथा कलैक्टरों द्वारा दो माह के भीतर निर्णीत किए जाने वाले मामलों के अनुदेशों का अनुसरण न किए जाने के परिणामस्वरूप 782 मामलों में ₹ 14.75 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.3.1 से 4.3.5)

10 एग्रीमेंटस में विक्रय के लिए एग्रीमेंट की बजाय सामूहिक एग्रीमेंटस के रूप में बिक्री विलेख गलत वर्गीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.32 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

5. अध्याय-5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

आबकारी एवं कराधान विभाग (यात्री एवं माल कर)

53 प्राइवेट बस आपरेटरों के संबंध में विभाग द्वारा ₹ 10.20 लाख के ब्याज सहित ₹ 34.67 लाख की राशि का यात्री कर वसूल नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 5.2)

6. अध्याय-6

कर-भिन्न प्राप्तियां

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

पांच कांट्रेक्टरों से बोली धन वसूल करने के लिए समयपूर्व कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.43 करोड़ (₹ 2.55 करोड़ के ब्याज सहित) के बोली धन की कम वसूली हुई। 151 बी.के.ओज से ₹ 66.27 लाख की रायल्टी तथा ब्याज वसूल नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 6.2.2 तथा 6.2.3)

परिवहन विभाग

सिटी बस सर्विस के लिए प्राइवेट आपरेटरों को जारी किए गए 194 परमिटों (फरीदाबाद: 67 तथा गुड़गांव: 127) के संबंध में ₹ 7.55 करोड़ की अड्डा फीस तथा वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए 10 डिपुओं के संबंध में ₹ 16.83 लाख की राशि का सेवा कर शॉप कांट्रेक्टरों से एकत्र नहीं किया। मुफ्त/रियायत सुविधा के संबंध में 31 मार्च 2014 को विभिन्न विभागों से ₹ 571.08 करोड़ की राशि लंबित थी।

(अनुच्छेद 6.3.2, 6.3.3 तथा 6.3.5)

अध्याय 1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े **तालिका 1.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	13,219.50	16,790.37	20,399.46	23,559.00	25,566.60
	• कर-भिन्न राजस्व	2,741.40	3,420.94	4,721.65	4,673.15	4,975.06
	योग	**15,960.90**	**20,211.31**	**25,121.11**	**28,232.15**	**30,541.66**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा[1]	1,774.47	2,301.75	2,681.55	3,062.13	3,343.24
	• सहायता अनुदान	3,257.29	3,050.62	2,754.93	2,339.25	4,127.18
	योग	**5,031.76**	**5,352.37**	**5,436.48**	**5,401.38**	**7,470.42**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)**	**20,992.66**	**25,563.68**	**30,557.59**	**33,633.53**	**38,012.08**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**76**	**79**	**82**	**84**	**80**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 30,541.66 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 80 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्तियों का शेष 20 प्रतिशत भारत सरकार से था।

1.1.2 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.1.2** में दिए गए हैं।

[1] विवरण हेतु कृपया विवरणी संख्या 11 देखें-वर्ष 2013-14 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे। शीर्ष 0021 के अन्तर्गत आंकड़े-निगम कर से अन्य आय पर कर-क के अन्तर्गत वित्त लेखाओं में बुक किए गए राज्य को दिए गए निवल अर्थागमों के हिस्से-कर राजस्व राज्य द्वारा एकत्रित राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से में सम्मिलित किए गए हैं।

तालिका 1.1.2
एकत्रित कर राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2013-14 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2013-14 पर वास्तविक	2012-13 पर वास्तविक 2013-14
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर (वैट)	10,740.00	9,032.37	11,500.00	11,082.01	14,100.00	13,383.69	16,450.00	15,376.58	19,288.61	16,774.33	(-) 13.04	(+) 9.09
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,700.00	2,059.02	2,100.00	2,365.81	2,400.00	2,831.89	3,000.00	3,236.48	4,000.00	3,697.35	(-) 7.57	(+) 14.24
3.	स्टाम्पस एवं पंजीकरण फीस	1,225.00	1,293.56	1,900.00	2,319.28	2,350.00	2,793.00	3,000.00	3,326.25	3,850.00	3,202.48	(-) 16.82	(-) 3.72
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	425.00	391.45	425.00	387.14	425.00	429.32	450.00	470.76	520.00	497.45	(-) 4.34	(+) 5.67
5.	वाहनों पर कर	375.00	277.07	350.00	457.36	515.00	740.15	750.00	887.29	850.00	1,094.86	(+) 28.81	(+) 23.39
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	130.00	119.58	140.00	130.27	155.00	166.43	160.00	191.96	201.40	219.20	(+) 8.84	(+) 14.19
7.	भू-राजस्व	13.50	9.43	13.79	10.02	16.09	10.95	15.28	12.98	19.33	12.42	(-)35.75	(-) 4.31
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	38.00	37.02	40.50	38.48	45.80	44.03	48.00	56.70	55.00	68.51	(+) 24.56	(+) 20.83
	योग	**14,646.50**	**13,219.50**	**16,469.29**	**16,790.37**	**20,006.89**	**20,399.46**	**23,873.28**	**23,559.00**	**28,784.34**	**25,566.60**	**(-) 11.18**	**8.52**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान बजट अनुमानों (ब.अ.) से वास्तविक आंकड़ों में नाममात्र कमी (11.18 प्रतिशत) है। तथापि, संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (16.82 प्रतिशत) अचल/चल सम्पत्ति के दस्तावेजों के कम पंजीकरण के कारण थी।
- **वाहनों पर कर:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (28.81 प्रतिशत) 01 अप्रैल 2013 से पथकर की वृद्धि तथा कर/जुर्माना वसूल करने के लिए अच्छे प्रयास करके अतिरिक्त संसाधनों के संघटन के कारण थी।

- **भू–राजस्व:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (35.75 प्रतिशत) नामांतरण फीस, नकल फीस तथा राजस्व तलबाना[2] की कम वसूली के कारण थी।

संबंधित विभागों ने वर्ष 2012–13 की तुलना में 2013–14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **राज्य उत्पाद शुल्क:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (14.24 प्रतिशत) देशी शराब (सी.एल.) तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.) तथा बीयर के आबकारी शुल्क की दरों में वृद्धि तथा इसके साथ–साथ दे.श. तथा भा.नि.वि.श. की लाईसैंस फीस में वृद्धि के कारण थी। वर्ष 2013–14 की आबकारी नीति के बेहतर प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन के कारण भी भिन्नता है।

- **वाहनों पर कर:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (23.39 प्रतिशत) भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों तथा अन्य प्राप्तियों के कारण थी।

- **बिजली पर कर एवं शुल्क:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (14.19 प्रतिशत) बिजली नियमों के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

1.1.3 2009–10 से 2013–14 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर–भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.1.3** में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3

एकत्रित किए गए कर–भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2013–14 में वृद्धि (+) या कमी (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2013–14 पर वास्तविक	2012–13 पर वास्तविक 2013–14
1.	शहरी विकास	1,200.00	133.70	700.00	974.54	1,300.00	1,039.35	1,150.00	990.70	1,200.00	1,104.54	(-) 7.96	(+) 11.49
2.	सड़क परिवहन	750.00	699.57	900.00	761.72	1,100.00	852.96	1,150.00	999.87	1,315.00	1,097.54	(-)16.54	(+) 9.77
3.	ब्याज प्राप्तियां	578.35	667.88	864.70	689.34	816.49	864.96	1,080.04	1,058.21[3]	1,090.12	1,090.71	(+) 0.05	(+) 3.07
4.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	146.11	285.10	154.40	270.37	299.47	295.72	386.41	385.43	438.14	318.94	(-) 27.21	(-) 17.25
5.	विविध सामान्य सेवाएं	98.23	95.93	1.78	(-) 9.75[4]	1.04	128.49	1.30	312.30	5.89	268.37	(+) 4,456.37	(-) 14.07
6.	चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य	73.45	30.23	84.99	47.06	102.99	54.79	109.63	78.01	163.48	148.07	(-) 9.43	(+) 89.81
7.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	250.00	247.49	200.00	82.59	75.00	75.53	225.00	75.49	150.00	79.10	(-) 47.27	(+) 4.78

2 सम्मन भिजवाने हेतु प्रभार।

3 सिंचाई परियोजना पूंजीगत ब्याज पर ब्याज के दर्ज समायोजन के रूप में ₹ 454.33 करोड़ सम्मिलित हैं।

4 प्राप्तियों से अधिक रिफंड के कारण।

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2013-14 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2013-14 पर वास्तविक	2012-13 पर वास्तविक 2013-14
8.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	106.86	96.81	147.47	115.63	170.76	99.95	156.00	125.86	136.80	144.35	(+) 5.52	(+) 14.69
	बृहद् एवं मध्यम सिंचाई	128.00	218.56	188.44	202.26	142.44	583.16	194.56	139.12	213.68	95.04	(-) 55.52	(-) 31.68
	पुलिस	45.00	35.11	61.99	61.53	71.42	62.64	83.22	63.73	158.20	80.38	(-) 49.19	(+) 26.13
	वानिकी एवं वन्य जीवन	38.00	56.13	40.00	44.32	61.00	39.12	45.00	41.36	45.00	37.37	(-) 16.96	(-) 9.65
	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	186.01	174.89	204.74	181.33	220.73	624.98	223.39	403.07	246.17	510.65	(+) 107.44	(+) 26.69
योग		**3,600.01**	**2,741.40**	**3,548.51**	**3,420.94**	**4,361.34**	**4,721.65**	**4,804.55**	**4,673.15**	**5,162.48**	**4,975.06**	**(-) 3.63**	**(+) 6.46**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान बजट अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों में नाममात्र कमी (3.63 प्रतिशत) है। तथापि, संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **सड़क परिवहन:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (16.54 प्रतिशत) बस ड्राईवरों की कमी के कारण थी।
- **बृहद तथा मध्यम सिंचाई:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (55.52 प्रतिशत) कच्चा पानी की बिक्री के लिए जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से राजस्व प्राप्तियों की पूर्ण वसूली न करने तथा माननीय न्यायालयों द्वारा खनन पर प्रतिबंध के कारण थी।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** बजट अनुमानों से वास्तविक प्राप्तियों में कमी (16.96 प्रतिशत) गिरे हुए पेड़ों की कम उपलब्धता के कारण थी।

संबंधित विभागों ने वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **शहरी विकास:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (11.49 प्रतिशत) अन्य प्राप्तियों के लेखाओं में अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- **चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य:** राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (89.81 प्रतिशत) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- **बृहद् एव मध्यम सिंचाई:** राजस्व प्राप्तियों में कमी (31.68 प्रतिशत) अन्य प्राप्तियों के लेखाओं में कम प्राप्ति के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद पिछले वर्ष 2012-13 से प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (नवंबर 2014)।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2014 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 6,607.35 करोड़ के थे जिनमें से ₹ 5,046.15 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जैसा कि **तालिका 1.2** में उल्लिखित है।

तालिका 1.2
राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया राशि	31 मार्च 2014 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि	विभाग का उत्तर
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	5,922.10	4,770.61	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 594.14 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, ₹ 22.72 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 55.82 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 436.69 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लम्बित मामलों के कारण ₹ 166.09 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 10.74 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 4,635.90 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	135.00	83.79	₹ 3.76 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थागित की गई थी, ₹ 0.28 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। सरकारी परिसमापक/ बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित प्रकरणों के कारण ₹ 2.13 करोड़ की वसूली बकाया थी। ₹ 5.88 करोड़ की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 29.49 करोड़ की वसूली क्रमश: अन्तर्राज्य तथा अन्तरजिला बकायों के कारण थी। ₹ 2.24 करोड़ समीक्षा/परिशोधन पत्र के लिए रोके गए थे। ₹ 91.22 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	149.86	99.98	₹ एक करोड़ मैसर्ज हरियाणा कनकास्ट, हिसार, ₹ 38 लाख मैसर्ज रामा फाईबरज, भिवानी, ₹ 30 लाख मैसर्ज दादरी सीमेंटस, चरखी दादरी तथा ₹ 16 लाख मैसर्ज कम्पीटैंट एलोइज, बल्लभगढ़ से वसूलनीय थे। ₹ 148.02 करोड़ की बकाया राशि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थी।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया राशि	31 मार्च 2014 को पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया राशि	विभाग का उत्तर
4.	यात्री एवं माल पर कर	51.24	14.34	₹ 47.16 करोड़ की राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर तथा ₹ 4.08 करोड़ की राशि वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत की गई मांग के कारण बकाया थी तथा ₹ 27,000 की राशि बट्टे खाते डाली गई थी।
	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	209.96	43.14	₹ 156.87 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय, न्यायिक तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 37 लाख की वसूली किस्तों में की जा रही थी। ₹ 52.72 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
5.	पुलिस	106.53	8.11	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम से देय थे। हरियाणा राज्य में भारतीय तेल निगम से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 52 लाख कानून व्यवस्था तथा चुनाव ड्यूटी हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे। ₹ 29 लाख भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 98.34 करोड़ चुनाव ड्यूटी हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क मनोरंजन शुल्क तथा प्रदर्शन कर के अन्तर्गत प्राप्तियां	7.91	7.35	₹ 7.62 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ एक लाख बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 28 लाख की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
7.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	24.75	18.83	₹ 15.78 करोड़ की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत थी। ₹ 0.58 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 1.31 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ पांच करोड़ अन्तर्राज्य तथा अन्तरजिला बकायों के रूप में देय थे। ₹ 2.08 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थे।
	योग	**6,607.35**	**5,046.15**	

1.3 निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि नीचे **तालिका 1.3** में बिक्री कर, लग्जरी कर, निर्माण संविदाओं पर कर तथा यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) के संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

तालिका 1.3
निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	आरंभिक शेष	2013 – 14 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय निर्धारण	2013 – 14 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कालम 4 से 5)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2,95,839	2,51,034	5,46,873	2,95,703	2,51,170	54
माल एवं यात्रियों पर कर	2,283	973	3,256	1,207	2,049	37

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, **तालिका 1.4** में दिए गए हैं।

तालिका 1.4
कर का अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2013 को लम्बित मामले	2013 – 14 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2014 को अंतिमकरण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	74	1,383	1,457	1,420	869.66	37
2	राज्य उत्पाद शुल्क	664	2,540	3,204	2,509	1.58	695
3	यात्री एवं माल पर कर	1,308	7,436	8,744	7,270	6.51	1,474
	कुल	**2,046**	**11,359**	**13,405**	**11,199**	**877.75**	**2,206**

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यात्री एवं माल कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में वर्ष की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में बढ़ गई है।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2013 – 14 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2013 – 14 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, **तालिका 1.5** में दी गई है।

तालिका 1.5
रिफंड मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	374	95.27	23	0.34
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	3,293	632.59	406	8.06
3.	वर्ष के दौरान किए गए रिफंड	3,141	677.77	384	7.81
4	वर्ष के अंत में बकाया शेष	526	50.09	45	0.59

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित के अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार द्वारा, निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना की जानी तथा त्रुटियों एवं चूकों का सुधार किया जाना तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालना सूचित की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2013 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि जून 2014 के अन्त में 1,919 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 3,084.83 करोड़ से आवेष्टित 4,579 अनुच्छेद बकाया रहे। जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों के साथ नीचे **तालिका 1.6** में उल्लिखित है।

तालिका 1.6
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन का विवरण

(₹ करोड़ में)

	जून 2012	जून 2013	जून 2014
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,268	1,890	1,919
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	4,507	4,464	4,579
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	1,023.95	1,871.65	3,084.83

1.6.1 30 जून 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण **तालिका 1.6.1** में दिए गए हैं।

तालिका 1.6.1
निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग–वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	251	1,691	2,892.32
		राज्य उत्पाद शुल्क	119	201	71.03
		माल एवं यात्रियों पर कर	166	296	19.48
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	18	20	10.95
2.	राजस्व	स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	805	1,610	62.37
		भू–राजस्व	127	185	0.50
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	315	429	10.62
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	8	8	0.46
5.	खदान एवं भू–विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	110	139	17.10
योग			**1,919**	**4,579**	**3,084.83**

2013–14 के दौरान जारी किए गए 181 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन के निर्गम की तारीख से चार सप्ताह के अंदर कार्यालयों के अध्यक्षों से प्रथम उत्तर भी लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदन की यह बृहद लम्बनता इस तथ्य का सूचक थी कि कार्यालयों तथा विभागों के अध्यक्ष निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में विफल रहे।

सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर हेतु प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए विचार कर सकती है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के निपटान की प्रगति को परिवीक्षा एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2013–14 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए अनुच्छेदों के विवरण **तालिका 1.6.2** में उल्लिखित हैं।

तालिका 1.6.2
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	6	331	56.39
2	आबकारी एवं कराधान विभाग (राज्य उत्पाद शुल्क)	2	38	11.63
3	परिवहन विभाग	1	19	0.19
4	राजस्व विभाग	2	26	0.14
	योग	**11**	**414**	**68.35**

1.6.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 18.65 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 60 निर्धारण फाईलें, रिटर्नस, रिफंड रजिस्टर तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इन मामलों का संबंध विच्छेद **तालिका 1.6.3** में दिया गया है।

तालिका 1.6.3

अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

			(₹ करोड़ में)
कार्यालय/विभाग का नाम	**वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी**	**लेखापरीक्षा न किए गए मामलों की संख्या**	**कर की राशि**
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जगाधरी	2013-14	25	3.93
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव (पूर्व)	2013-14	35	14.72
	योग	**60**	**18.65**

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे अनुच्छेदों के अन्त में निरपवाद रूप से इंगित किया जाता है।

संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों को अप्रैल तथा जुलाई 2014 के मध्य एक आई.टी. लेखापरीक्षा सहित 38 प्रारूप अनुच्छेद भेजे गए थे। सभी मामलों में विभागीय उत्तर प्राप्त किए गए थे। चार मामलों में सरकार से उत्तर प्राप्त हुए थे। प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया था।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा समिति के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां विलंबित की जा रही थी, 31 मार्च 2010, 2011, 2012 तथा 2013 को समाप्त वर्ष हेतु हरियाणा सरकार के राजस्व सेक्टर पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किए गए 82 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) मार्च 2011 तथा मार्च 2014 के मध्य राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। इन अनुच्छेदों पर संबंधित विभागों से कृत कार्रवाई टिप्पणियां (कृ.का.टि.) क्रमशः इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में 36 माह के औसत विलंब के साथ देरी से प्राप्त की गई थी। 31 मार्च 2010 से 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों (आबकारी एवं कराधान, परिवहन, राजस्व तथा खदान एवं भू-विज्ञान) से

41 अनुच्छेदों के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां, जैसा **अनुलग्नक I** में उल्लिखित है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (अक्तूबर 2014)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2008–09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 28 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की तथा 24 अनुच्छेदों पर इसकी सिफारिशें वर्ष 2013–14 की उनकी 70वीं रिपोर्ट में शामिल की गई थी। लोक लेखा समिति की 22वीं से 70वीं रिपोर्ट में समाविष्ठ 1979–80 से 2007–08 की अवधि से संबंधित 780 सिफारिशें, जैसा **अनुलग्नक II** में उल्लिखित है, संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के अभाव में अभी तक लंबित थी। **अनुलग्नक III** में उल्लिखितानुसार 19 विभागों से लोक लेखा समिति की 780 सिफारिशों के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेद 1.7.1 से 1.7.2 में राजस्व शीर्ष–0041 के अंतर्गत मोटर वाहन (परिवहन विभाग) के निष्पादन वर्ष 2003–04 से 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों पर चर्चा करते है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2014 को उनकी स्थिति नीचे **तालिका 1.7.1** में तालिकाबद्ध की गई है।

तालिका 1.7.1
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि.प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य
2004-05	240	348	620.17	37	68	244.18	42	81	223.87	235	335	640.48
2005-06	235	335	640.48	47	82	252.40	70	97	192.55	212	320	700.33
2006-07	212	320	700.33	48	64	269.62	50	96	105.00	210	288	864.95
2007-08	210	288	864.95	64	77	142.48	10	25	84.19	264	340	923.24
2008-09	264	340	923.24	52	86	248.60	41	26	103.90	275	400	1,067.94
2009-10	275	400	1,067.94	48	98	150.82	58	129	408.04	265	369	810.72
2010-11	265	369	810.72	60	103	242.79	77	139	257.35	248	333	796.16
2011-12	248	333	796.16	36	62	162.08	14	35	152.22	270	360	806.02
2012-13	270	360	806.02	32	77	132.80	12	30	64.95	290	407	873.87
2013-14	290	407	873.87	53	123	319.97	31	76	146.11	312	454	1,047.67

सरकार पुराने अनुच्छेदों के निपटान के लिए विभाग तथा प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के मध्य तदर्थ समिति की बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करता है। जैसा कि उपर्युक्त तालिका

से स्पष्ट है कि 2004-05 के आरंभ में 348 अनुच्छेदों सहित 240 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2013-14 की समाप्ति पर 454 अनुच्छेदों सहित 312 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तक बढ़ गई।

1.7.2 स्वीकृत मामलों की वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति **तालिका 1.7.2** में दी गई है:

तालिका 1.7.2
स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
2003-04	03	3.79	02	1.84	शून्य	0.06
2004-05	01	20.97	01	20.97	शून्य	1.33
2005-06	03	18.69	03	18.69	0.01	0.10
2006-07	03	1.20	02	0.55	0.19	0.19
2007-08	05	3.15	05	3.15	शून्य	0.35
2008-09	02	0.63	02	0.63	0.08	0.38
2009-10	02	0.81	02	0.81	0.07	0.28
2010-11	01	0.35	01	0.35	0.06	0.26
2011-12	01	0.34	01	0.34	0.18	0.29
2012-13	01	1.33	01	1.33	0.22	0.22
योग	**22**	**51.26**	**20**	**48.66**	**0.81**	**3.46**

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि गत दस वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों के संबंध में वसूली बहुत कम (सात प्रतिशत) थी।

विभाग स्वीकृत मामलों में आवेष्टित देयों की शीघ्र वसूली को प्रस्यू तथा मानीटर करने हेतु शीघ्र कार्रवाई कर सकता है।

1.8 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा की गई आई.टी. लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित विभाग/सरकार को उनकी सूचना हेतु उनके उत्तर प्रस्तुत करने के निवेदन के साथ अग्रेषित की जाती हैं। इन आई.टी./निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एग्जिट कांफ्रेस में भी चर्चा की गई थी तथा विभागों/सरकार के विचार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय शामिल किए गए थे।

वर्ष 2010-11 तथा 2012-13 के प्रतिवेदन में दर्शाई गई परिवहन विभाग, हरियाणा की क्रमश: 'मोटर वाहन विभाग में कंप्यूटरीकरण' नामक आई.टी. लेखापरीक्षा तथा 'मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों' पर निष्पादन लेखापरीक्षा की ग्यारह सिफारिशों सहित अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी थी।

1.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त विभाग का विभिन्न विभागों में एस.ए.एस. पास कार्मिकों की तैनाती/नियुक्ति पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण है। संबंधित विभाग, अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्ययोजना के प्रतिपादन एवं निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 300 यूनिटों में से आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 205 यूनिटों (68 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसा कि **तालिका 1.9** में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.9
आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान किए गए यूनिटों की संख्या	लेखापरीक्षा किए गए यूनिटों की संख्या
स्टाम्प शुल्क	119	119
राज्य उत्पाद शुल्क	58	13
वैट/बिक्री कर	21	शून्य
मोटर वाहन कर	79	66
यात्री एवं माल कर	23	7
योग	**300**	**205**

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में चर्चा की गई अनियमितताएं अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि हमारे द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं में से कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी।

1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

विभिन्न विभागों के अधीन यूनिट कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा अन्य मानदंडों की विगत प्रवृत्तियों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा कम जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी राजस्वों तथा कर प्रशासन अर्थात् बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य तथा केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, गत पांच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के घटकों, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति तथा इसका प्रभाव इत्यादि, में आलोचनात्मक मुद्दे शामिल होते हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान, 501 लेखापरीक्षा योग्य यूनिट थे, जिनमें से 255 यूनिटों की योजना बनाई गई तथा 250 यूनिटों की लेखापरीक्षा की गई थी।

1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद-शुल्क, मोटर वाहन, माल एवं यात्री तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 250 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 5,383 मामलों में ₹ 1,625.53 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 771 मामलों में आवेष्टित ₹ 20.89 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जो 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे। विभागों ने वर्ष 2013-14 के दौरान 310 मामलों में ₹ 2.09 करोड़ संगृहीत किए थे।

1.12 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 527.46 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित **'हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली' (हैरिस)** पर आई.टी. लेखापरीक्षा सहित 24 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 323.74 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से पांच अनुच्छेदों में ₹ 0.91 करोड़ वसूल किए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।

अध्याय 2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1.1 कर प्रबंध

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर कानून तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का सरकारी स्तर पर अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा प्रबंध किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), आबकारी एवं कराधान विभाग का मुख्य होता है जिसकी सहायता नौ अपर-ई.टी.सीज, 10 संयुक्त-ई.टी.सीज, 50 उप-ई.टी.सीज और 203 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओज) द्वारा की जाती है। संबंधित कर कानूनों और नियमों के प्रबंध के लिए उनकी सहायता आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य संबद्ध स्टॉफ द्वारा की जाती है।

2.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में वैट/बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से संबंधित 40 (राजस्व इकाइयां: 32 तथा व्यय इकाई: 8) के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,169 मामलों में ₹ 1,308.59 करोड़ से आवेष्टित कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई जो **तालिका 2.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 2.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	पारगमन बिक्री की गलत छूट	1	228.07
2	वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.)	1	24.22
3	कर का अवनिर्धारण	536	621.65
4	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' का स्वीकरण	181	160.98
5	विक्रयों/क्रयों को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	67	10.53
6	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	105	39.76
7	अन्य अनियमितताएं	278	223.38
	योग	**1,169**	**1,308.59**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 164 मामलों में ₹ 11.83 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिसमें से 14 मामलों में आवेष्टित ₹ 4.40 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 117 मामलों में ₹ 1.10 करोड़ वसूल कर लिए थे जिनमें से ₹ 3.72 लाख से आवेष्टित 14 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे।

₹ 266.99 करोड़ के कुछ व्याख्यात्मक मामलों की चर्चा निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

2.2 वैट का इनपुट टैक्स क्रेडिट

हरियाणा राज्य में वैट 1 अप्रैल 2003 में शुरू किया गया था। एक डीलर आई.टी.सी. के समायोजन के बाद निवल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आई.टी.सी. का दावा केवल स्थानीय अर्थात् राज्य के भीतर की गई खरीद पर किया जा सकता है और खरीदने तथा बेचने वाले दोनों डीलरों को एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। आगे, अनुसूची – ई के साथ पठित अधिनियम की धारा – 8 तथा समय – समय पर यथा संशोधित नियम 20 और 40, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की स्वीकार्यता, परिगणना, अस्वीकार तथा रिवर्सल को विनियमित करता है। आई.टी.सी. के कपटपूर्ण दावे का पता लगाने और डीलरों के मध्य विक्रय/क्रय संपादनों के सत्यापन के लिए वैट को विभाग के भीतर एक न्यूनतम स्तर पर कम्प्यूटरीकरण की भी आवश्यकता थी। कम्प्यूटरीकरण का एक अभिन्न भाग, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) विभाग को अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील तथा उत्तरदायी बनाने में सहायता करती है।

2008 – 09 से 2012 – 2013 तक की अवधि की मार्च से जून 2014 के दौरान लेखापरीक्षा की गई, तथा प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज मैथड (विदाउट रिपलेसमेंट) अप्लाई करके रेंडम सैंपल सलैक्शन आधार पर चयन किए गए 23 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों में से 12[1] डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालय आवृत किए गए थे। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार द्वारा प्रकट विचार ध्यान में रखे गए हैं तथा उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

2.2.1 आई.टी.सी. का गलत दावा

समरूप नियमों के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान के अनुसार एक डीलर को, ऐसे माल या उससे विनिर्मित माल, भारत की सीमा से बाहर माल के निर्यात को छोड़कर, के विक्रय पर उसके आऊटपुट कर के विरूद्ध विक्रेता डीलरों द्वारा उसको बेचे गए माल पर राज्य को भुगतान किए गए कर के कारण आई.टी.सी. स्वीकार्य है। यदि माल या उससे विनिर्मित माल अनुसूची 'ई' में निर्धारित परिस्थितियों में निपटाया जाता है तो आई.टी.सी. तदनुसार अनुमत नहीं किया जाएगा और यदि माल अंशत: अनुसूची 'ई' में निर्दिष्ट परिस्थितियों में निपटाया जाता है और अंशत: अन्य अनुसार तो आई.टी.सी. आनुपातिक आधार पर अनुमत किया जाएगा। इस प्रकार माल या उससे विनिर्मित माल का स्टाक यदि शून्य हो जाता है तो शेष असमायोजित अधिक आई.टी.सी., यदि कोई हो, तो सरकारी खाते में व्यपगत हो जाएगा। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 38 में कर के अतिरिक्त, बचाए गए कर की राशि की तिगुनी राशि की पेनल्टी के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है।

डी.ई.टी.सी.(एस.टी.) रेवाड़ी की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने दिसंबर 2011 और अगस्त 2013 के दौरान देखा कि एक डीलर को 6.10.2006 से ऑयल कंपनियों की सूची में शामिल किया गया था। कंपनी ने राज्य में अन्य ऑयल कंपनियों से ₹ 16.13 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 373.03 करोड़ मूल्य के 114176 किलो लीटर (के.एल.) पैट्रोल और डीजल खरीदा और पूरा स्टाक ₹ 327.09 करोड़ के निम्नतर मूल्य पर बेच दिया। डीलर, हानि की समनुरूप मूल्य के

[1] अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, कुरूक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा तथा सोनीपत।

लिए आई.टी.सी. दावे का हकदार नहीं था क्योंकि कोई स्टाक बचा नहीं था। अस्वीकार्य आई.टी.सी. का दावा ₹ 3.36[2] करोड़ था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा बताया कि त्रुटि को सुधारने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रक्रियाधीन हैं।

2.2.2 पैट्रोलियम उत्पादों पर अनुमत आई.टी.सी.

अनुसूची 'ई' (मद – 1) के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार पैट्रोलियम उत्पादों, जब ईंधन के रूप में प्रयोग किए गए हों, पर कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है मामले की पुष्टि (अगस्त 2011) राज्य सरकार द्वारा भी की गई थी।

चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)[3] कार्यालयों के रिकार्ड की नमूना – जांच के दौरान, हमने देखा कि चार मामलों में चार डीलरों ने 2006 – 07 से 2010 – 11 के दौरान ₹ 4.72 करोड़ के मूल्य के एच.एस.डी., फरनेस ऑयल और एल.पी.जी. खरीदे और उन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग किया। अत: डीलरों को कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं था। ए.एज ने, नवंबर 2009 और फरवरी 2013 के मध्य इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय आई.टी.सी. की अनुमति दे दी। इसके फलस्वरूप ₹ 38.48 लाख की आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की।

2.2.3 अविक्रीत माल पर अनुमत आई.टी.सी.

एच.वी.एट.टी. अधिनियम 2003 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, माल के क्रय पर आई.टी.सी., राज्य में माल के उसी रूप में अथवा उससे विनिर्मित माल की बिक्री अथवा भारत की सीमा से बाहर माल के निर्यात को छोड़कर अंतर्राजीय व्यापार अथवा वाणिज्य पर कर देयता के विरूद्ध स्वीकार्य है। सरकार ने भी स्पष्टीकरण दिया (अप्रैल 2013) कि कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं था यदि डयूटी एंट्री पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/खरीदा गया आयात लाईसेंस बेचा नहीं जाए और देय कस्टमज डयूटी के समायोजन के लिए प्रयुक्त किया गया हो।

चार[4] डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के रिकार्ड की नमूना – जांच के दौरान, हमने देखा कि नौ मामलों में नौ डीलरों ने 2006 – 07 और 2009 – 10 के दौरान ₹ 0.66 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 16.36 करोड़ के मूल्य के डी.ई.पी.बी./आयात लाईसेंस खरीदे। डीलरों ने उनके द्वारा देय कस्टम डयूटीज के समायोजन के लिए इनका प्रयोग किया। चूंकि माल डीलरों द्वारा नहीं बेचा गया था, कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं थी। ए.एज ने मार्च 2010 और मार्च 2013 के मध्य इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय डीलरों के आई.टी.सी. दावे अनुमत कर दिए। इसके फलस्वरूप ₹ 0.66 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा बताया कि त्रुटि को सुधारने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रक्रियाधीन हैं।

[2] वर्ष 2006 – 07 के लिए ₹ 1.33 करोड़ की अग्रनीत हानि सहित।

[3] फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), कैथल तथा पानीपत।

[4] फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), रेवाड़ी तथा सोनीपत।

2.2.4 आई.टी.सी. का गलत/कम रिवर्सल

संबंधित नियमों के साथ पठित, एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 8 के प्रावधानों और अनुसूची-ई की प्रविष्टि 5 (iii) और (iv) के अनुसार, यदि राज्य में खरीदे गए किसी माल के संबंध में आई.टी.सी. ले लिया गया हो परंतु ऐसा माल करमुक्त के रूप में बेचा गया हो या तत्रैव अनुसूची में उल्लिखत परिस्थितियों में बाद में प्रयुक्त किया गया हो अथवा निपटाया गया हो, ऐसे माल के संबंध में आई.टी.सी. रिवर्स कर दिया जाएगा।

11 डी.ई.टी.सी.[5] (एस.टी.) कार्यालयों के रिकार्ड की नमूना-जांच के दौरान, हमने देखा कि 30 मामलों में 29 डीलरों ने ₹ 874.81 करोड़ के मूल्य का माल राज्य के बाहर हस्तांतरण किया या भेजा या बिक्री से अन्यथा निपटान किया या करमुक्त बेच दिया और इसीलिए अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ₹ 8.03 करोड़ का आई.टी.सी. रिवर्सिबल था। ए.एज ने मार्च 2009 और मार्च 2013 के मध्य इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय केवल ₹ 3.01 करोड़ का आई.टी.सी. रिवर्स किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.02 करोड़ के आई.टी.सी. का अल्प/कम रिवर्सल हुआ।

मार्च 2010 और मई 2014 के मध्य इन मामलों को इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि छः मामलों में, ₹ 9.62 लाख की मांग सृजित की गई थी जो वसूल समायोजित कर ली गई थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार कर ली तथा बताया कि त्रुटि सुधारने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रक्रियाधीन हैं।

2.2.5 पूर्व स्वामित्व प्राप्त कारों पर अनुमत गलत आई.टी.सी.

अनुसूची 'जी' के साथ पठित, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत डीलर द्वारा पूर्व स्वामित्व प्राप्त कारों (पी.ओ.सी.) के पहले विक्रय पर 1,000 सी.सी. तक की इंजन क्षमता वाली प्रति कार ₹ 3,000 तथा 1,000 सी.सी. से अधिक इंजन क्षमता वाली प्रति कार ₹ 5,000 टैक्स है। जब कर एकमुश्त दर पर भुगतान योग्य/प्रभारित है तो डीलर को कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है।

2.2.5.1 तीन डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों[6] की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने अप्रैल और मई 2014 के दौरान देखा कि 12 मामलों में तीन डीलरों ने 2005-06 से 2009-10 के दौरान 12.5 प्रतिशत की दर पर ₹ 3.29 करोड़ वैट के भुगतान के बाद गुड़गांव (पूर्व) के एक पंजीकृत डीलर से ₹ 26.34 करोड़ मूल्य के पी.ओ.सीज खरीदी। डीलरों ने अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार इन कारों के विक्रय पर एकमुश्त दर पर कर का भुगतान किया और आई.टी.सी. का दावा किया। ए.एज ने अप्रैल और मई 2014 के दौरान इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय डीलरों के आई.टी.सी. के दावे अनुमत कर दिए। यह सही नहीं था

[5] फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), झज्जर, पंचकूला, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक तथा सोनीपत।

[6] फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम) तथा जगाधरी।

क्योंकि पी.ओ.सी. एकमुश्त दर पर बेची गई थी और इन मामलों में आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.18 करोड़[7] के आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति हुई।

2.2.5.2 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जगाधरी के एक अन्य मामले में हमने मई 2014 के दौरान देखा कि एक डीलर ने 2005 – 06 से 2009 – 10 के दौरान पांच मामलों में ₹ 148.92 करोड़ मूल्य के वाहन (पी.ओ.सीज सहित) खरीदे और ₹ 18.59 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया। ए.ए. ने मार्च 2009 और मार्च 2010 के दौरान कर निर्धारण अंतिम करते समय वर्ष 2005 – 06 और 2006 – 07 के लिए उचित विचार विमर्श के बाद ₹ 10.69 लाख के आई.टी.सी. के दावे अस्वीकार कर दिए जबकि ए.एज मार्च 2011 और मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण पूर्ण करते समय वर्ष 2007 – 08 से 2009 – 10 के लिए ऐसा करने में विफल रहे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार ने बताया कि मामले की विभाग के उच्चत्तर प्राधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाएगी।

2.2.6 पेंटस पर गलत अनुमत आई.टी.सी.

दो डी.ई.टी.सी.(एस.टी.) कार्यालयों[8] की नमूना – जांच के दौरान हमने देखा कि आठ मामलों में दो डीलरों ने वैट डीलरों से ₹ 75.92 लाख के वैट के भुगतान के बाद ₹ 6.12 करोड़ मूल्य का पेंट खरीदा तथा आई.टी.सी. का दावा किया। पेंट का प्रयोग पी.ओ.सीज की सर्विस/मरम्मत और रख – रखाव पर किया गया क्योंकि पेंट पर कोई आउटपुट टैक्स नहीं था, डीलरों को कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं था। ए.एज ने मार्च 2009 तथा मार्च 2013 के मध्य इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय डीलरों के दावे स्वीकृत कर दिए। इसके फलस्वरूप ₹ 75.92 लाख के गलत आई.टी.सी. की अनुमति दी गई। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उसी डीलर के मामले में ए.ए. ने 2005 – 06 और 2006 – 07 वर्षो के लिए इस तौर पर ₹ 1.54 लाख के आई.टी.सी. अस्वीकार कर दिए थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव के पांच मामलों में तथ्य की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गई।

2.2.7 आई.टी.सी. के जाली दावे पर कर तथा पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

अधिनियम की धारा 38 में जाली दस्तावेजों, झूठी सूचना तथा गलत लेखाओं इत्यादि के आधार पर दावों के लिए पेनल कार्रवाई के लिए (न दिया गया कर/दावा किया गया लाभ और तीन गुणा पेनल्टी) प्रावधान है।

दो डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों[9] में हमने फरवरी 2012 और अप्रैल 2014 के मध्य देखा कि 2005 – 06 और 2009 – 10 के दौरान तीन मामलों में तीन डीलरों ने ₹ 14.54 करोड़ (दो मामलों में दस्तावेजों को चालाकी से प्रभावित करने के बाद ₹ 2.11 करोड़ और एक मामले

7 (2006 – 07 के दौरान एक मामले में ₹ 3.29 करोड़ में से ₹ 0.11 करोड़ की अनुमत राशि कम करके दावा किया गया)।

8 गुड़गांव (पश्चिम) तथा जगाधरी।

9 फरीदाबाद (पश्चिम) तथा पंचकूला।

में अविद्यमान डीलर से ₹ 12.43 करोड़) की खरीद पर ₹ 1.70 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया। प्रथम दो मामलों में ए.ए/आर.ए. द्वारा दिए गए आदेशों में डीलरों के मेनस-रिया को पर्याप्त रूप से प्रमाणित कर दिया गया था जहां ₹ 14.93 लाख की आई.टी.सी. अस्वीकृत की गई थी परंतु ₹ 44.78 लाख की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की गई थी। ए.ए. ने एक मामले में दिसंबर 2012 के दौरान कर निर्धारण अंतिम करते समय क्रयों का सत्यापन किए बिना आई.टी.सी. अनुमत कर दिया जिसके फलस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ की आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति हुई तथा ₹ 4.66 करोड़ की पेनल्टी भी उद्गृहीय नहीं की गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार इस संबंध में आवश्यक निर्देश/गाइडलाईन्स जारी करने के लिए सहमत हो गई।

2.2.8 आई.टी.सी. का अधिक लाभ

आई.टी.सी., राज्य के भीतर ही डीलरों द्वारा किए गए क्रयों पर वैट के भुगतान तथा विक्रेता डीलरों द्वारा राज्य को वैट के भुगतान के बाद स्वीकार्य है। खरीदों को लेखाओं की किताबों/डीलर द्वारा फाईल किए रिटर्नस और समाधान विवरणी के अनुसार अपनाया जाता है।

आठ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)[10] कार्यालयों में रिकार्ड की लेखापरीक्षा के दौरान हमने मार्च 2010 और मई 2014 के मध्य देखा कि 14 मामलों में 14 डीलरों ने फाईल किए गए रिटर्नस/लेखाओं के अनुसार ₹ 225.44 करोड़ आई.टी.सी. का दावा किया। ए.एज ने मार्च 2009 और मार्च 2013 के मध्य इन मामलों में कर निर्धारण अंतिम करते समय, ₹ 229.32 करोड़ का आई.टी.सी. अनुमत कर दिया। इसके फलस्वरूप ₹ 3.88 करोड़ के आई.टी.सी. की अधिक अनुमति दी गई।

हमारे द्वारा यह इंगित करने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि तीन मामलों में ₹ 3.11 लाख की मांग सृजित की गई थी और समायोजित/वसूल कर ली गई थी। 2 मामले पुर्नरीक्षण प्राधिकारी को स्वत: कार्रवाई के लिए भेजे गए थे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार ने बताया कि एक मामले में, एक डीलर के पास तीन इकाइयां थी तथा सामग्री मुख्य इकाई से अन्य इकाई को हस्तांतरित की गई थी। मुख्य इकाई ने हस्तांतरित माल पर आई.टी.सी. का दावा नहीं किया था तथा प्राप्तकर्ता इकाइयों ने यह आई.टी.सी. का दावा किया था यद्यपि ये क्रय लेखे में दर्ज नहीं थी। परंतु ये क्रय, क्रेता इकाई/ट्रांसफरिंग इकाई द्वारा दर्ज हैं। सरकार का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इकाई आस्थगन का लाभ उठा रही थी तथा इस प्रकार, स्कीम को शासित करने वाले प्रतिबंधों एवं शर्तों के साथ कर निर्धारण किया जाना चाहिए था तथा इस इकाई के संबंध में डीलर द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार आई.टी.सी. अनुमत किया जाना अपेक्षित था।

2.2.9 इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत अग्रनीत किया जाना

संबंधित नियमों के साथ पठित एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, एक डीलर को ऐसे माल या उससे विनिर्मित माल की बिक्री पर उसके आउटपुट टैक्स के विरूद्ध विक्रेता डीलर द्वारा उसको माल बेचने पर राज्य को भुगतान किए गए कर के कारण आई.टी.सी. स्वीकार्य है। यदि माल या उससे विनिर्मित माल का निपटान अनुसूची 'ई' में

[10] गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, करनाल, पंचकूला, पानीपत तथा रेवाड़ी।

निर्धारित परिस्थितियों में किया जाता है, तदनुसार, आई.टी.सी. अस्वीकृत किया जाएगा और यदि माल का निपटान आंशिक रूप से अनुसूची-ई में निर्दिष्ट परिस्थितियों में तथा आंशिक अन्य रूप से किया जाता है तो आई.टी.सी. आनुपातिक आधार पर अनुमत होगा। इस प्रकार, यदि माल या उससे विनिर्मित माल का स्टॉक शून्य हो जाता है या करमुक्त बेचा जाता है तो शेष असमायोजित अधिक आई.टी.सी. यदि कोई है, तो सरकारी लेखे में व्यपगत हो जाएगा।

चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)[11] कार्यालयों के रिकार्ड की नमूना-जांच के दौरान, हमने मई 2012 और जून 2014 के मध्य देखा कि आठ डीलरों ने आठ मामलों में माल खरीदा या लेखाओं में ₹ 313.23 करोड़ मूल्य की हानि दर्शाई जिस पर ₹ 12.53 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया गया। ₹ 305.40 करोड़ के मूल्य का माल ₹ 12.22 करोड़ के आऊटपुट कर के साथ कम मूल्य पर बेचा गया और इस प्रकार ₹ 31.60 लाख के मूल्य का अधिक आई.टी.सी. अग्रनीत किया गया।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि तीन मामलों में पुनरीक्षण प्राधिकारी को मामला स्वत: कार्यवाही के लिए भेजा गया था और एक प्रकरण में मामला जांच अधीन था। चार मामलों में विभाग के उत्तर उठाई गई आपत्तियों से प्रासंगिक नहीं थे।

2.2.10 रिकार्ड का अप्रस्तुतिकरण

लेखापरीक्षा ने 12 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों में लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 7,096.69 करोड़ के कर की राशि से आवेष्टित 427 कर निर्धारण फाईलें मांगी थी जिसके विरूद्ध ₹ 4,926.06 करोड़ के कर की राशि से आवेष्टित केवल 354 फाईलें प्रस्तुत की गई थी। शेष ₹ 2,134.63 करोड़ के कर की राशि से आवेष्टित 73 कर निर्धारण फाईलें, कई अनुस्मारकों के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

2.2.11 कम्प्यूटरीकरण

विभाग में कम्प्यूटरीकरण, कर के सुगम सत्यापन, जाली तथा कपटपूर्ण दावों को पहचानने और डीलरों का पता लगाने में सुविधा प्रदान करता है। आगे, यह विभाग को अधिक कुशल, अनुक्रियाशील तथा उत्तरदायी बनाता है। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि राज्य में एच.वी.ए.टी. अधिनियम के प्रारंभ होने से 11 वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद विभाग में कम्प्यूटरीकरण का निम्नतम स्तर भी विद्यमान नहीं था। विभाग के भीतर उचित कम्प्यूटरीकरण के अभाव में, विभागीय मशीनरी मामलों के शीघ्र निपटान, जाली/अविद्यमान डीलरों, अवैध विक्रय/क्रय लेन-देनों को ढूंढने और कर जमा के सत्यापन, आई.टी.सी. के कपटपूर्ण दावों और जाली फार्मों आदि के सत्यापन में असमर्थ थी। ई.टी.सी. हरियाणा ने मार्च 2006 में एक वर्ष में एक वैट डीलर से कुल ₹ 1 लाख से अधिक के सभी क्रय-विक्रय लेन-देनों का क्रास सत्यापन करने के लिए निर्देश जारी किए।

12 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों में हमने देखा कि नमूना-जांच किए गए 316 मामलों में से केवल 302 में कर निर्धारण ₹ 1418.65 करोड़ के आई.टी.सी. से आवेष्टित ₹ 29,210.36 करोड़ मूल्य के विक्रय/क्रय लेन-देनों के सत्यापन के बिना फाइनल किए गए थे। इस प्रकार, सत्यापन, डीलरों के संबंध में 4.43 प्रतिशत, क्रयों के संबंध में 0.77 प्रतिशत और आई.टी.सी. के संबंध में 0.92 प्रतिशत था।

[11] फरीदाबाद (पश्चिम), पानीपत, रेवाड़ी तथा सिरसा।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार ने बताया कि विभाग का कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया अधीन था।

इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री (चार मामले), न बेचे गए माल (नौ मामले), पूर्व स्वामित्व प्राप्त कारों (12 मामले), पेंट्स (आठ मामले), आई.टी.सी. के जाली दावे (तीन मामले), आई.टी.सी. के अधिक लाभ (14 मामले) तथा आई.टी.सी. को गलत अग्रणीत करने (आठ मामले) के संबंध में आई.टी.सी. की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 24.22 करोड़ के आई.टी.सी. के अस्वीकार्य दावे हुए।

उपर्युक्त बिंदु सरकार को सूचित किए गए थे (जुलाई 2014); उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (नवंबर 2014)।

2.3 पारगमन बिक्री

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 6(2) निर्धारित करती है कि जहां इंटरस्टेट ट्रेड या कामर्स के दौरान किसी माल की बिक्री या तो एक राज्य से दूसरे में ऐसे माल की आवाजाही की गई है या एक राज्य से दूसरे में उनकी आवाजाही के दौरान ऐसी वस्तुओं के टाइटल के दस्तावेजों के ट्रांसफर द्वारा प्रभावित की गई है, एक पंजीकृत डीलर को ऐसे माल के टाइटल के दस्तावेजों के ट्रांसफर द्वारा प्रभावित ऐसी आवाजाही के दौरान कोई अनुवर्ती बिक्री को कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि विक्रेता डीलरों से प्राप्त निर्धारित पत्र ई – I या ई – II निर्धारित फार्म में सर्टिफिकेट तथा क्रेता डीलरों से प्राप्त घोषणा – पत्र फार्म 'सी' प्रस्तुत करता है।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) की धारा 2 (जेड.जी.) के अंतर्गत बिक्री मूल्य का अर्थ है किसी माल की बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में किसी डीलर को देय राशि में से बिक्री के समय पर अनुमत कोई राशि जैसे नकद या ट्रेड डिस्काउंट घटाने पर व्यापार में सामान्यत: प्रचलित प्रथा के अनुसार, लेकिन एक डीलर द्वारा उसकी डिलीवरी के समय या पहले माल के संबंध में किसी चीज के लिए प्रभारित किसी राशि सहित तथा अभिव्यक्ति 'क्रेता मूल्य' तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

2.3.1 पारगमन बिक्री की गलत छूट

2.3.1.1 टर्नकी ठेकेदारों को कटौती

नवंबर 2010 तथा मार्च 2014 के मध्य में नौ डी.ई.टी.सीज[12] के कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि 19 ठेकेदारों ने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) तथा इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) आदि के लिए टर्नकी आधार पर निर्माण संविदा निष्पादित किए। अप्रैल 2009 तथा मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण अंतिम करते समय, वर्ष 2006 – 07 से 2009 – 10 के लिए 19 डीलरों (ठेकेदारों) के 22 मामलों में ए.एज ने पारगमन बिक्री के कारण टर्नकी ठेकेदारों को ₹ 1,786.09 करोड़ की कटौती अनुमत की। कटौती, बिक्री मूल्य की परिभाषा के साथ पठित

[12] डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पूर्व) (पांच मामले), गुड़गांव (पूर्व) (छ: मामले), जगाधरी (एक मामला), कैथल (एक मामला), करनाल (एक मामला), कुरूक्षेत्र (एक मामला), पानीपत (तीन मामले), रोहतक (एक मामला) तथा सिरसा (तीन मामले)।

सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के अंतर्गत छूट के लिए क्वालीफाई नहीं करती। इसीलिए, टर्नकी ठेकेदारों को पारगमन बिक्री की गलत कटौती, अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 79.08 करोड़ के कर के अवनिर्धारण हुए। चूंकि करार अनुबंध में इस प्रभाव की एक क्लॉज शामिल की गई थी कि सामग्री की आपूर्ति हेतु करारकर्त्ता पारगमन में बिक्री के रूप में कथित बिक्री दर्शाने के लिए उसे सक्षम बनाने हेतु ठेकेदार को फार्म-'सी' जारी करेगा। हालांकि कटौती ठेकेदार को अनुमत्य नहीं थी।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक ने मई 2014 में बताया कि मामला रिवीजनल अथोरिटी को स्वत: कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया था। मई/अक्तूबर 2014 में डी.ई.टी.सीज फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पूर्व), कैथल, करनाल तथा कुरूक्षेत्र ने बताया कि अन्य दस्तावेजों के साथ फार्म ई-I तथा सी में घोषणाओं की विधिवत् जांच के बाद कटौती सही ढंग से अनुमत की गई थी तथा माल, अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ग्राहकों को सीधे डिलीवर किया गया था। ये माल निर्माण संविदा में विधिवत् शामिल थे। मई 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा ने बताया कि कटौती सही ढंग से अनुमत की गई थी क्योंकि एग्रीमेंट में एक क्लॉज थी कि सामग्री की आपूर्ति पारगमन बिक्री के रूप में दिखाई जाएगी। मई 2014 में डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पूर्व), जगाधरी तथा पानीपत ने बताया कि बी.पी.सी.एल. बनाम हरियाणा राज्य 40 पी.एच.टी. 178 एच.टी.टी.-एल.बी. तथा यू.बी. इंजिनियरिंग कंपनी बनाम हरियाणा राज्य के मामले में विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों तथा एच.टी.टी. के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कटौती सही ढंग से अनुमत की गई थी तथा कर राज्य में उद्ग्राह्य था जहां से सामग्री की आवाजाही शुरू होनी थी।

डी.ई.टी.सीज के उत्तर बिक्री मूल्य की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत नहीं थे तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2000) 119 एस.टी.सी. (533) (एस.सी.) के मामले में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं कि एक 'एक्टिविटी' बिक्री की ट्रांजेक्शन है अथवा वर्क्स कांट्रेक्ट। अपैक्स कोर्ट ने अवलोकित किया कि यदि वस्तु, डिलीवरी से पूर्व, पार्टी जिसने इसे डिलीवर करना है, की एकाकी प्रोपर्टी के रूप में कोई वैयक्तिक अस्तित्व है तो यह एक बिक्री है। यदि 'क' एक वस्तु जिसमें हमारे पास कोई पिछली प्रोपर्टी नहीं थी, में मूल्य के लिए प्रोपर्टी हस्तांतरित करता है तो कांट्रेक्ट, बिक्री का कांट्रेक्ट है। ठेकेदारों द्वारा किए गए संपादन कथित निर्णय को ध्यान में रखते हुए बिक्री के ठेके के अंतर्गत स्कवेयरली आवृत्त है। कर्नाटक राज्य के माननीय उच्च न्यायालय बनाम ए. एंड जी. प्रोजेक्टस एंड टेक्नोलीजीज लिमिटेड (2008) 13 बी. एस.टी. 177 (कर्नाटक) भी आडिट के वर्सन का समर्थन करता है।

2.3.1.2 पारगमन बिक्री की गलत कटौती जहां माल सीधे ही अंतिम क्रेता को भेजा गया था

जुलाई 2011 तथा फरवरी 2014 के मध्य नौ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)[13] के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के वर्षों के लिए 28 डीलरों के 32 मामलों में फरवरी 2011 से मार्च 2013 के दौरान कर निर्धारणों को फाइनल करते समय ए.एज ने ई-I तथा सी फार्मों के प्रस्तुतिकरण के विरूद्ध

[13] डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला (छ: मामले), भिवानी (एक मामला), फरीदाबाद (पूर्व) (11 मामले), फरीदाबाद (पश्चिम) (दो मामले), गुड़गांव (पूर्व) (छ: मामले), गुड़गांव (पश्चिम) (एक मामला), करनाल (तीन मामले), रोहतक (एक मामला) तथा सोनीपत (एक मामला)।

पारगमन बिक्री के कारण ₹ 1,005.02 करोड़ की कटौती अनुमत की। लेकिन कर निर्धारण रिकार्डो के अनुसार यह प्रकट हुआ कि माल प्रथम विक्रेताओं द्वारा सीधे ही अंतिम क्रेताओं को डिस्पैच कर दिया गया था, अत: पारगमन बिक्री की कटौती ऐसे डीलरों को स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि अनुवर्ती बिक्री साबित नहीं की गई थी तथा माल सीधे ही अंतिम क्रेता को डिलीवर कर दिया गया था। तदनुसार, अस्वीकार्य कटौती की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 32.69 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला के पांच मामलों में, रिविजनल प्राधिकारी ने ₹ 46.63 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), तथा करनाल के मामलों में, मामलों को रिवीजनल प्राधिकारी को स्वत: कार्यवाही लेने के लिए भेजे गए थे। डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व) तथा रोहतक के मामलों में ई – I तथा सी फार्म की जांच के बाद कटौती सही ढंग से अनुमत की गई थी। डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), करनाल तथा सोनीपत ने बताया (मई 2014) कि कटौती बी.पी.सी.एल. बनाम हरियाणा राज्य के मामले में हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल (एच.टी.टी.) के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से अनुमत की गई थी। आगे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) करनाल ने मई 2014 में बताया कि डीलर कंपनी की अपनी शाखा गुड़गांव में थी तथा माल को सीधे ही शाखा में भेज दिया गया था तथा गुड़गांव डीलर के नाम ई – I फार्म जारी करने में कोई अनौचित्य नहीं था। एक मामले में, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) करनाल का उत्तर सही नहीं था क्योंकि गुड़गांव में कोई डीलर रजिस्टर्ड नहीं था। शेष मामलों में डी.ई.टीसीज द्वारा प्रस्तुत उत्तर बिक्री मूल्य की परिभाषा तथा सिनजैक तकनीकी सेवा बनाम केरल राज्य (2009) 25 वी.एस.टी. 165 (केरल) के मामले में माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय जिसमें कहा गया था कि अनुवर्ती बिक्री साबित नहीं की गई थी क्योंकि लोरी रसीदों में अन्तिम क्रेता का पता शामिल था, को ध्यान में रखते हुए सही नहीं था।

2.3.2 टर्नकी ठेकेदारों को हाई सी सेल की गलत कटौती

2.3.2.1 सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(2) प्रावधान करती है कि भारत की सीमा के भीतर माल के आयात के दौरान माल की बिक्री या खरीद तभी हुई मानी जाएगी यदि बिक्री या खरीद से ऐसा आयात हो या जो भारत के कस्टम फ्रंटियर पार करने से पूर्व माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण के द्वारा प्रभावित हो।

जुलाई 2011 तथा मार्च 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पूर्व) के अभिलेखों की नमूना – जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि चार डीलरों ने हरियाणा राज्य में टर्नकी आधार पर निर्माण अनुबंध निष्पादित किए। वर्ष 2007 – 08 से 2009 – 10 के लिए मार्च 2012 तथा मार्च 2013 में चार डीलरों (ठेकेदारों) के कर निर्धारण फाइनल करते समय ए.एज ने टर्नकी ठेकेदारों को ₹ 2,173.62 करोड़ की हाई सी सेल की कटौती अनुमत की। अनुमत कटौती बिक्री मूल्य की परिभाषा के साथ पठित सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत छूट के लिए क्वालीफाई नहीं करती। इसीलिए, अस्वीकार्य कटौती की अनुमति के परिणाामस्वरूप ₹ 113.55 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव (पूर्व) का एक मामला स्वत: कार्रवाई के लिए रिवीजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया था तथा दूसरे मामले में दस्तावेजों तथा हाई सी सेल के एग्रीमेंट आदि की जांच के बाद ही कटौती

सही ढंग से अनुमत की गई थी। विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि हाई.सी. सेल का एग्रीमेंट नई दिल्ली के डीलर के पास था तथा माल सीधे ही पश्चिम बंगाल डीलर को भेज दिया गया था। आगे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) के एक मामले में डीलर अपनी ओर से विदेशी आपूर्तिकर्त्ता से माल की डिलीवरी लेने के लिए कान्ट्रैक्टी द्वारा प्राधिकृत था तथा दूसरे मामले में कटौती इनडयूर लिमिटेड बनाम सी.टी.ओ. (2010) 9 एस.सी.सी. 461(एस.सी.) के मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से अनुमत की गई थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि उत्तर की पुष्टि में कोई दस्तावेज रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे। आगे, बिक्री मूल्य की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए तथा कंट्रैक्ट एग्रीमेंट में शामिल कलॉज का वर्क्स कंट्रेक्ट में प्रयोग के लिए आयात किया गया माल हाई सी सेल के रूप में दर्शाया जाएगा, छूट स्वीकार्य नहीं थी।

इसी प्रकार के मामले वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में भी इंगित किए गए थे तथा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली थी।

2.3.2.2 आयात के दौरान बिक्री

डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) तथा गुड़गांव (पूर्व) के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान सितंबर 2013 तथा फरवरी 2014 में हमने अवलोकित किया कि फरीदाबाद (पूर्व) के एक डीलर ने टर्नकी आधार पर निर्माण अनुबंध निष्पादित किया तथा गुड़गांव (पूर्व) के एक डीलर ने आई.टी.प्रोडक्टस आदि में ट्रेड किया। वर्ष 2009-10 के लिए दिसंबर 2012 तथा मार्च 2013 में दो डीलरों के कर निर्धारण फाइनल करते समय ए.एज ने ₹ 68.78 करोड़ के आयात के दौरान बिक्री की कटौती अनुमत की। लेकिन ऐसी कटौती की अनुमति के लिए, गोएसक्के एवं डेबरियंट आई.पी. लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त दिल्ली (2012) 47 वी.एस.टी. 343 (दिल्ली) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय को ध्यान में रखते हुए शर्तो को पूरा नहीं किया गया था। इसीलिए आयात के दौरान बिक्री की गलत कटौती की अनुमति परिणामस्वरूप ₹ 2.75 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव (पूर्व) का एक मामला स्वत: कार्रवाई के लिए रिविजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया था। आगे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) के मामले में कांट्रैक्टरी ने विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से माल प्राप्त करने के लिए कांट्रैक्टर को प्राधिकृत किया था। विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि रिकार्ड में उत्तर की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। आगे, बिक्री मूल्य की परिभाषा को देखते हुए ऐसी कोई कटौती टर्नकी ठेकेदार को अनुमत नहीं की गई थी।

इस प्रकार, टर्नकी कंट्रेक्टज को पारगमन बिक्री (19 मामले), हाई सी सेलज (चार मामले) की अनियमित कटौती अनुमत की तथा आयात के दौरान सेल की गलत कटौती (दो मामले) के परिणामस्वरूप ₹ 195.38 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ई-I तथा 'सी' फार्मों के विरूद्ध छूट प्राप्त (पारगमन) सेल के दावे गलती से अनुमत किए 32 मामलों के परिणामस्वरूप ₹ 32.69 करोड़ के वैट का अवनिर्धारण हुआ।

2.4 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का अवनिर्धारण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दरें, अनुसूची ए से जी के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iv) के अंतर्गत, किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत वस्तुओं के अलावा कोई वस्तु 1 जुलाई 2005 से प्रभावी 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। आगे, कर के भुगतान में चूक के मामले में एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राहय है।

2.4.1 डी.ई.टी.सीज (एस.टी.), करनाल तथा सोनीपत के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान जून 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य हमने अवलोकित किया कि 2009-10 में ₹ 7.97 करोड़ की कीमत पर तीन डीलरों ने मशीनरी पार्ट्स बेचे तथा चार/पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 32.25 लाख के कर का भुगतान किया। ए.एज ने अगस्त 2012 से मार्च 2013 के दौरान कर निर्धारण फाइनल करते समय 12.5 प्रतिशत की सही दर, जैसा कि अवर्गीकृत मद के संबंध में लागू है, के ब्याज की बजाय चार/पांच प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 59.94 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 67.39 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

जून 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि मामलों को स्वत: कार्रवाई के लिए रिविजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया था।

मामला सरकार को रिपोर्ट किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

2.4.2 वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार ने 11 सितंबर, 2007 को स्पष्ट किया है कि अल्ट्रा हाई टैम्परेचर (यू.एच.टी.) स्वीटनड फलेवरड मिल्क अल्ट्रा हाई टैम्परेचर मिल्क से भिन्न है जो एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'सी' प्रविष्टी 81 के अंतर्गत आवृत है। अत:, यू.एच.टी. स्वीटनड फलेवरड मिल्क प्रोडक्टस 12.5 प्रतिशत कर की सामान्य दर पर कर योग्य हैं तथा सी.एस.टी. रेट वही रेट है जैसा कि राज्य में लागू 'सी' फार्मों के बिना विक्रेता डीलरों के वैट रेट हैं।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत के कार्यालय के रिकार्डस की जुलाई 2012 में नमूना-जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि एक डीलर ने वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 2.18 करोड[14] मूल्य के फरमेंटिड मिल्क ड्रिंक बेचे तथा कर मुक्त बिक्री के रूप में दावा किया। ए.ए. ने भी फरवरी 2012 में कर निर्धारण फाइनल करते समय, 12.5 प्रतिशत की सामान्य दर पर कर उद्गृहीत नहीं किया तथा ₹ 2.18 करोड़ मूल्य कनसाइनमेंट सेल (एफ फार्म के बिना) तथा 'इंटरस्टेट सेल' कर मुक्त के रूप में अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.33 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 27.24 लाख के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

जुलाई 2012 में मामला इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि रिवीजनल अथोरिटी द्वारा फरवरी 2014 में ₹ 27.24 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। एसैसी ने एच.टी.टी. के समक्ष अपील फाइल की थी तथा वह लंबित थी।

[14] 'एफ' फार्म के बिना कनसाइनमेंट सेल ₹ 1.82 करोड़ तथा इंटरस्टेट सेल ₹ 35.48 लाख।

2.5 परिकलन गलती के कारण कर का अवनिर्धारण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कोई कर प्राधिकारी या अपील अधिकारी इसके द्वारा किसी मामले में पास किए गए आदेश की कापी की प्राप्ति की तिथि से दो वर्षो की अवधि के भीतर, बुरी तरह से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद मामले के रिकार्ड से प्रकट किसी लेखन या गणितीय अशुद्धि को सुधार सकता है।

फरवरी 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), कैथल के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि एक डीलर ने 2009-10 के दौरान ₹ 10.93 करोड़ मूल्य की एकमुश्त बिक्री की। ए.ए. ने मार्च 2013 में कर निर्धारण फाइनल करते समय ₹ 43.74 लाख की सही राशि की बजाय चार प्रतिशत की दर पर गलती से ₹ 4.74 लाख का एकमुश्त कर उद्गृहित किया। परिकलन गलती के परिणामस्वरूप ₹ 39.00[15] लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

फरवरी 2014 में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि आदेश ₹ 5.48 लाख की एक अतिरिक्त मांग सृजित करके आदेश सुधार दिए गए थे तथा मामले को ₹ 5.48 लाख की देय मांग पर एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 14(6) के अंतर्गत ब्याज उद्ग्रहण के लिए जे.टी.ई.टी.सी. को संशोधन के लिए भेज दिया गया था।

मामला सरकार को रिपोर्ट किया गया था उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

2.6 नकली घोषणा फार्म 'सी' के प्रस्तुतीकरण द्वारा कर का अपवंचन

सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) प्रावधान करती है कि इंटरस्टेट ट्रेड या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर उप धारा (1) के अंतर्गत रियायत लागू नहीं होगी जब तक कि डीलर माल को बेचते हुए पंजीकृत डीलर, जिसको फार्म में निर्धारित विवरणों सहित माल बेचा जाता है, द्वारा सही तरह से भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित एक घोषणा फार्म कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं करता है। ई.टी.सी. ने मार्च 2006 में निर्देश जारी किए कि विशेष ट्रेडरों (संवीक्षा के लिए चयनित) के मामले में एक वर्ष में एक सिंगल वैट डीलर से कुल ₹ एक लाख से ज्यादा के सभी लेन-देनों में क्रास जांच की जानी चाहिए। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत जुर्माना भी उद्ग्राहय था।

मई 2013 से मार्च 2014 के मध्य डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पूर्व) करनाल तथा सोनीपत के कार्यालयों की नमूना-जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि वर्ष 2009-10 से 2010-11 के वर्षों के दौरान चार डीलरों ने ₹ 9.79 करोड़ के बिक्री मूल्य के लिए घोषणा फार्म 'सी' पर कर की रियायती दर क्लेम की। ए.ए. ने रेक्टीफिकेशन के समय (मई 2013) लेन-देन की जांच किए बिना फार्म 'सी' को स्वीकार किया तथा फार्म 'सी' पर ₹ 83.52 लाख की रियायत अनुमत की जो क्रास जांच पर नकली पाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.50 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 83.52 लाख की राशि के कर का अपवंचन हुआ।

[15] ₹ 43.74 लाख - ₹ 4.74 लाख ₹ = 39.00 लाख।

मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर विभाग ने अक्तूबर 2014 में बताया कि मामले को पुन: कर निर्धारण के लिए लिया गया था तथा आदेश सुधार दिए गए थे। डीलर ने मामले की एक याचिका फाइल की थी। डी.ई.टी.सी. (एस.ओ.), करनाल के एक मामले में, मामला रिवीजनल अथोरिटी को स्वत: कार्रवाई करने हेतु भेजा गया था तथा डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत के अन्य दो मामलों में डीलरों को नोटिस जारी कर दिए गए थे।

मामला सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

2.7 सरचार्ज का अनुद्ग्रहण

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) की धारा 7(ए) के अनुसार 02 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में एक अतिरिक्त कर उद्ग्रहणीय था। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ने 10 फरवरी, 2014 को स्पष्ट किया कि निर्माण ठेकेदार जिन्होंने कर के एवज में एकमुश्त के भुगतान का ऑपशन लिया था, भी एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(ए) के अंतर्गत सरचार्ज की देयता के निर्वहन के लिए उत्तरदायी है।

नवंबर 2013 से मार्च 2014 के मध्य, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पूर्व तथा पश्चिम), के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि 66 डीलरों के, वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान ₹ 469.55 करोड़ मूल्य की बिक्री पर चार प्रतिशत की दर पर ₹ 18.78 करोड़ के कर निर्धारित किए गए थे। अप्रैल 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण फाइनल करते समय ए.एज ने वैट के अंतर्गत ₹ 18.78 करोड़ के निर्धारित कर पर पांच प्रतिशत की दर से सरचार्ज नहीं लगाया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 93.90 लाख के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।

नवंबर 2013 से मार्च 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम) के दस मामलों में ₹ 13.46 लाख की मांग सृजित की गई थी तथा शेष मामलों को स्वत: कार्रवाई के लिए रिविजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया था।

2.8 एस.ई.जैड. यूनिटों को बिक्री की गलत कटौती के कारण कर का अवनिर्धारण

(i) प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग ने मैसर्ज फ्रेश एस.ई.जेड., फेज-I, सोहना (गुड़गांव) के मामले में 19 फरवरी 2013 को स्पष्ट किया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) के डवेल्पर, को बिक्री में कर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त नहीं है सेज एरिया में एक यूनिट स्थापित करने पर केवल व्यक्तिगत डीलर को छूट प्राप्त है।

अप्रैल 2013 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, हमने देखा कि एक डीलर ने वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 71.67 लाख मूल्य की सामग्री (स्कैफफोल्डिंग) एक डवेल्पर को बेची। मार्च 2013 में कर निर्धारण फाइनल करते समय, ए.ए. ने एस.ई.जेड. बिक्री के विचार से डीलर को ₹ 71.67 लाख की कटौती गलती से अनुमत कर दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.37 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 8.96 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ था।

अप्रैल 2013 में यह इंगित किए जाने पर, अक्तूबर 2014 में विभाग ने बताया कि मामले को स्वत: कार्रवाई लेने के लिए रिविजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया है।

अप्रैल 2014 में हमने मामला सरकार को रिपोर्ट किया था, हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवंबर 2014)।

(ii) जनवरी 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुड़गांव (पश्चिम) के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, हमने देखा कि एक ठेकेदार ने वर्ष 2008-09 के दौरान राई तथा सोनीपत के सेज एरिया में अधिसूचित परियोजनाओं में ₹ 107.16 करोड़ मूल्य के निर्माण कार्य निष्पादित किए थे। मार्च 2012 में कर निर्धारण फाइनल करते समय, ए.ए. ने गलत ढंग से डीलर को एस.ई.जेड. बिक्री के विचार से ₹ 107.16 करोड़ की छूट अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.60 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 4.29 करोड़ के कर को अवनिर्धारण हुआ।

जनवरी 2014 में यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि मामले को स्वत: कार्रवाई के लिए रिविजनल प्राधिकारी को भेज दिया गया था।

मामला सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

2.9 कर के अप्राधिकृत संग्रहण के लिए कर तथा दंड का न लगाना

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 की धारा 9(2) के अंतर्गत, कोई भी डीलर, जिसके मामले में उप धारा (1) के अंतर्गत कम्पोजिशन लागू है, उसके द्वारा माल की बिक्री के लिए टैक्स इन्वाएस जारी नहीं करेगा। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत पेनल्टी भी उद्ग्रहणीय है, यदि कोई डीलर जो एक पंजीकृत डीलर नहीं है या अन्य प्रकार से कर संग्रहण के लिए प्राधिकृत नहीं है, राज्य में उसके द्वारा माल की किसी बिक्री के संबंध में कोई राशि कर द्वारा संग्रहित करेगा तथा कोई भी पंजीकृत डीलर कोई ऐसा संग्रहण नहीं करेगा, सिवाए इस अधिनियम के अनुसार, ऐसे डीलर को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उसे उस कर जिसके लिए उसका कर निर्धारण किया गया है अथवा कर निर्धारण किया जाना देय है या इस तरह संगृहित कर की राशि के समान राशि के अतिरिक्त उसे पेनल्टी के रूप में भुगतान के निदेश दे सकता है।

सितंबर 2013 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रोहतक के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि एक निर्माण ठेकेदार ने वर्ष 2009-10 के लिए कम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत एकमुश्त कर के भुगतान के लिए विकल्प दिया। ठेकेदार ने कुरूक्षेत्र में एक डीलर को 12.5 प्रतिशत की दर पर ₹ 51.68 लाख की बिक्री की थी तथा ₹ 6.46 लाख का कर संग्रहित किया। ए.ए. कुरूक्षेत्र द्वारा लेन-देन ए.ए. रोहतक से जांच करवाया गया था (जुलाई 2012) तथा डी.ई.सी. रोहतक ने सूचित किया कि चूंकि ठेकेदार ने एकमुश्त कर के भुगतान के लिए विकल्प दिया था, इस प्रकार, कानून के अनुसार कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत नहीं किया जा सकता था। तथापि, मार्च 2013 में कर निर्धारण फाईनल करते समय ए.ए. ने ₹ 6.46 लाख का कर लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की तथा कर के अप्राधिकृत संग्रहण के लिए कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई थी यद्यपि मामला पहले से ही ए.ए. को ज्ञात था।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.46 लाख की पेनल्टी के अलावा ₹ 6.46 लाख के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

सितंबर 2013 में यह इंगित किए जाने पर विभाग ने अक्तूबर 2014 में बताया कि मामले को पुन: कर निर्धारण के लिए रिविजनल प्राधिकारी द्वारा ए.ए. को वापस भेज दिया गया था।

मामला सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

2.10 अनियमित कटौती अनुमत करने के कारण कर का अवनिर्धारण

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 की धारा 2(यू) परिभाषित करती है कि किसी डीलर के संबंध में यदा-कदा प्रयुक्त 'ग्रॉस टर्नओवर' का अर्थ है ऐसे डीलर द्वारा प्रमुख, एजेंट या अन्य किसी सामर्थ्य में किसी माल को बेचे जाने के संबंध में प्राप्त अथवा प्राप्य बिक्री मूल्य का योग तथा राज्य से बाहर निर्यात या बिक्री से अन्य किसी प्रकार से निपटाए गए माल को शामिल करती है। तथापि, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार ग्रास टर्नओवर से कटौती की जाएगी।

जनवरी 2013 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), भिवानी के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि वर्ष 2008-09 के दौरान एक डीलर का ग्रास टर्नओवर, डीलर के लाभ तथा हानि खाता तथा आर-2 (अंतिम रिटर्न) के अनुसार ₹ 49.75 करोड़ था। जनवरी 2012 में ए.ए. ने कर निर्धारण फाईनल करते समय लेबर वैलफेयर फंड को भुगतान के कारण ₹ 1.84 करोड़ की कटौती अनुमत की जैसा कि समाधान विवरणी में दिखाया गया है, जबकि तत्रैव धारा के अनुसार ये कटौतियां, ग्रास टर्नओवर से अनुमत नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.03 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

जनवरी 2013 में यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि उपर्युक्त कटौतियां सितंबर 2008 में डीलर के समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में ईयरमार्क थी। विभाग का उत्तर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं था। इसके अलावा एम.ओ.यू. के क्लॉज 7 के अनुसार इस फंड में जमा करवाई गई राशि रेडक्रास को डोनेशन के रूप में मानी जाएगी। अत: इस डोनेशन के कारण कटौती अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं थी।

मामला सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

अध्याय 3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1.1 कर प्रबंध

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। उनकी सहायता मुख्यालय पर जिलाधीश (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के समुचित प्रबन्ध के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सीज (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज), निरीक्षक एवं अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा की जाती है।

हरियाणा में मानवीय खपत हेतु मादक शराब पर तथा अल्कोहल अथवा अफीम, गांजा एवं नारकोटिक्स से अन्तर्विष्ट औषधीय एवं प्रसाधन उपक्रमों पर उत्पाद शुल्क, हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा हरियाणा शराब लाईसैंस नियम, 1970 (एच.एल.एल. नियम) के अंतर्गत उद्गृहीत एवं एकत्रित किया जाता है। उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यत: विभिन्न बिक्रियों के लाईसैंस की अनुमति हेतु नियत, निर्धारित एवं नीलामी फीस तथा डिस्टलरियों एवं ब्रेवरिज से निकाली गई और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट एवं बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है। इसमें देशी शराब (दे.श.), भारत में निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.) इत्यादि के विनिर्माण, स्वामित्व तथा बिक्री से राजस्व भी शामिल होता है।

3.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013-14 में उत्पाद-शुल्क, लाईसैंस फीस प्राप्तियों इत्यादि से संबंधित 42 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 348 मामलों में ₹ 34.76 करोड़ की राशि के उत्पाद-शुल्क/लाईसैंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई, जो **तालिका 3.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 3.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	बिक्रियों के पुन: आबंटन पर लाईसैंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	1	23.70
2	लाईसैंस फीस जमा न करवाना/कम जमा करवाना तथा ब्याज की हानि	200	6.53
3	• पेनल्टी न लगाना	57	0.48
	• अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली	38	1.17
4	विविध अनियमितताएं	52	2.88
	योग	**348**	**34.76**

वर्ष के दौरान विभाग ने 69 मामलों में ₹ 1.30 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 24 मामलों में आवेष्टित ₹ 77.26 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 45 मामलों में ₹ 52.32 लाख वसूल किए।

₹ 24.87 करोड़ से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक मामले निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं:

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

3.2 बिक्रियों के पुनः आबंटन पर लाईसैंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना

वर्ष 2009 – 10 से 2012 – 13 के लिए राज्य आबकारी नीति के साथ पठित एच.एल.एल. नियम, लाईसैंसधारी/आबंटी द्वारा प्रत्येक माह की 15वीं/20वीं तारीख तक लाईसैंस फीस तथा शेष 80 प्रतिशत नौ समान मासिक किश्तों में भुगतान का प्रावधान करते हैं तथा वर्ष 2013 – 14 हेतु दुकानों/दुकानों के समूह की लाईसैंस फीस की पूर्ण राशि अप्रैल 2013 से आरंभ होकर मार्च 2014 तक बारह सामान मासिक किश्तों में जमा करवाई जाएगी जिसमें विफल रहने पर वह ब्याज के भुगतान के लिए दायी है तथा लाईसैंसप्राप्त दुकान का प्रचालन अनुवर्ती माह की पहली तारीख से बंद कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतया सील कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) वित्तायुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त कर मूल आबंटी के जोखिम एवं लागत पर इसे पुनः आबंटित कर सकता है।

3.2.1 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के सात कार्यालयों[1] में लाईसैंस फीस के भुगतान की निगरानी हेतु एम – 2 रजिस्टरों[2] की नमूना – जांच के दौरान हमने देखा कि 74 रिटेल आऊटलेट लाईसैंसधारकों ने ₹ 74.86 करोड़ में से ₹ 46.08 करोड़ की प्रतिभूति राशि/लाईसैंस फीस जमा नहीं करवाई। विभाग ने उनके रिटेल शराब आऊटलेट रद्द कर दिए तथा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि/लाईसैंस फीस जब्त कर ली। मूल लाईसैंसधारकों के जोखिम एवं लागत पर ₹ 28.41 करोड़ के लिए शेष अवधि हेतु नवंबर 2009 तथा जनवरी 2014 के मध्य ये खुदरा दुकानें पुनः नीलाम/आबंटित की गई थी, जिनमें से उनके द्वारा ₹ 22.38 करोड़ जमा करवाए गए थे। विभाग ने मूल आबंटियों से ₹ 23.70 करोड़ (₹ 46.08 करोड़ – ₹ 22.38 करोड़) की लाईसैंस फीस की अन्तरीय राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की, परिणामस्वरूप ₹ 23.70 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

अप्रैल तथा जून 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा को सूचना के अंतर्गत संबंधित लाईसैंसधारकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) फरीदाबाद तथा रोहतक ने अक्तूबर 2014 में बताया कि ₹ 5.81 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे/जमानतियों के विरूद्ध वसूली प्रक्रियाएं आरंभ की गई थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

1 भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, नारनौल, पानीपत तथा रोहतक।

2 एम – 2 रजिस्टर को नीलामी द्वारा निर्धारित फीस पर अनुमत लाईसैंसों के रजिस्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है।

लाईसैंस फीस तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

3.2.2 वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक के लिए डी.ई.टी.सी. (आबकारी) कुरूक्षेत्र तथा पानीपत के कार्यालयों में लाईसैंस फीस के भुगतान के एम.-2 रजिस्टरों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 12 लाईसैंसधारक अप्रैल 2010 तथा मार्च 2013 की मध्य अवधि हेतु निर्धारित तारीखों तक लाईसैंस फीस की पूर्ण मासिक किस्त का भुगतान करने में विफल रहे। लाईसैंसधारकों ने देय ₹ 7.26 करोड़ में से केवल ₹ 7.13 करोड़ का भुगतान किया। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने दुकानों को सील करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.35 लाख के ब्याज सहित ₹ 18.13 लाख की लाईसैंस फीस की अवसूली/कम वसूली हुई।

नवंबर 2011 तथा अगस्त 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (आबकारी) पानीपत ने जनवरी 2014 में बताया कि चूककर्ताओं को वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए थे। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) कुरूक्षेत्र ने मार्च 2012 में बताया कि बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। हमें बकाया राशि वसूल करने के लिए की गई कार्रवाई तथा वसूली पर अगली प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई (नवंबर 2014)।

3.2.3 डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के पांच कार्यालयों[3] में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए लाईसैंस फीस के भुगतान पर निगरानी हेतु एम.-2 रजिस्टरों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 45 लाईसैंसधारकों ने अप्रैल 2011 तथा मार्च 2013 की मध्य अवधि हेतु ₹ 19.58 करोड़ की राशि की लाईसैंस फीस की मासिक किस्तों का भुगतान निर्धारित देय तारीखों के पश्चात् किया। विलंब 21 दिनों से 170 दिनों के मध्य श्रृंखलित था। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) ने तथापि, माह की समाप्ति तक मासिक किश्तों को जमा न करवाने के लिए दुकानों को सील करने के लिए तथा लाईसैंसफीस के विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज उद्ग्रहण हेतु कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.24 लाख के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

अक्तूबर 2011 तथा अगस्त 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सीज (आबकारी), पानीपत तथा रोहतक ने दिसंबर 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य बताया कि 16 मामलों में ₹ 12.76 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 6.53 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (आबकारी), नारनौल, भिवानी तथा करनाल ने जनवरी 2012 तथा फरवरी 2014 के मध्य बताया कि ₹ 10.95 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे/नोटिस जारी किए जा चुके थे। हमें ब्याज की वसूली पर अगली प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

[3] भिवानी, करनाल, नारनौल, पानीपत तथा रोहतक।

3.3 अवैध शराब के स्वामित्व एवं व्यापार के लिए पेनल्टी का अनुद्ग्रहण/अवसूली

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61(1) के अंतर्गत 750 मिलीलिटर की प्रत्येक बोतल पर न्यूनतम ₹ 50 तथा अधिकतम ₹ 500 की पेनल्टी अवैध शराब[4] के स्वामित्व हेतु दोषी पर उद्ग्राह्य है। आगे, हरियाणा पेनल्टी आरोपण तथा वसूली नियम, 2003 प्रावधान करता है कि यदि पेनल्टी का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो कलेक्टर अथवा डी.ई.टी.सी. (आबकारी) परिवहन के साधन की शराब के साथ जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी), अंबाला, फतेहाबाद तथा पंचकूला के कार्यालयों के वर्ष 2010 – 11 से 2012 – 13 के अभिलेखों की नमूना – जांच के दौरान हमने देखा कि विभाग ने मई 2009 तथा दिसंबर 2012 के मध्य 27 मामलों में भारत में निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.)/देशी शराब (दे.श.) की 87,810 अवैध बोतलें रोक ली थी तथा 22 वाहन जब्त किए थे। विभाग ने उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् 22 मामलों का निर्णय किया तथा 2010 – 11 एवं 2011 – 12 के दौरान ₹ 58.76 लाख की पेनल्टी लगाई और पांच मामलों में ₹ 10.28 लाख की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकी। न तो दोषियों ने पेनल्टी का भुगतान किया और न ही विभाग ने 15 से 60 माह[5] की समाप्ति के बाद भी जब्त किए गए वाहनों की नीलामी करके राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की। हरियाणा पेनल्टी आरोपण तथा वसूली नियमों के नियम 12 तथा 13 की अननुपालना के परिणामस्वरूप ₹ 69.04 लाख की पेनल्टी की वसूली नहीं हुई।

दिसंबर 2011 तथा अक्तूबर 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (आबकारी) अंबाला ने अप्रैल 2014 में बताया कि ₹ 24.19 लाख (₹ 17.07 लाख पहले वसूल किए गए) की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 29.92 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (आबकारी) फतेहाबाद तथा पंचकूला ने मार्च तथा अप्रैल 2014 में बताया कि ₹ 14.93 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। हमें वसूली पर अगली प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

[4] अवैध शराब का तात्पर्य किसी गुणवत्ता जांच के बिना गुप्त रूप से/अवैध रूप से तैयार की गई तथा स्वीकार्य से उच्चतर मादक केन्द्रीकरण के कारण मानव खपत हेतु अनुपयुक्त शराब से है।

[5] विलम्ब, पेनल्टी लगाने की तारीख से मार्च 2014 तक परिकलित किया गया।

अध्याय 4: स्टाम्प शुल्क

4.1.1 कर प्रबंध

राज्य में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) तथा पंजीकरण फीस (आर.एफ.) से प्राप्तियां उपयुक्त संशोधनों के साथ हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस.अधिनियम), भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं। सरकारी स्तर पर, अपर मुख्य सचिव, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में आई.एस. अधिनियम तथा आई.आर. अधिनियम एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के एडमिनिस्ट्रेशन हेतु उत्तरदायी है। एस.डी. तथा आर.एफ. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा, चण्डीगढ़ के पास निहित है। आई.जी.आर. की सहायता 21 उपायुक्तों (डी.सीज), 67 तहसीलदारों तथा 46 नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमश: रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों (एस.आरज) तथा संयुक्त उप-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आरज) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

4.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में राजस्व विभाग के 89 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,209 मामलों में ₹ 265.01 करोड़ की राशि के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, इत्यादि का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो **तालिका 4.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 4.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1.	''हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली'' पर आई.टी. लेखापरीक्षा	1	203.87
2.	कलेक्टर द्वारा परिमंडल दरों का नियतन तथा संपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण	1	14.75
3.	निम्नलिखित के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की कम वसूली		
	• भूमि की खरीद पर आवासीय दरों का अप्रभारण	405	5.45
	• अचल संपत्ति का अवमूल्यांकन	138	5.08
	• दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण	179	31.39
4.	करार विलेखों में उल्लिखित राशि से कम प्रतिफल पर संपत्ति की बिक्री के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	92	1.26
5.	अधिगृहीत भूमि के बंधक विलेखों/मुआवजा प्रमाण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	19	0.24
6.	विविध अनियमितताएं	374	2.97
	योग	**1,209**	**265.01**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 346 मामलों में ₹ 7.19 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिसमें से 303 मामलों में आवेष्टित ₹ 7.00 करोड़ वर्ष के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 43 मामलों में ₹ 19.47 लाख वसूल किए।

₹ 203.87 करोड़ के धन मूल्य वाली **''हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली''** पर आई.टी. लेखापरीक्षा तथा ₹ 18.30 करोड़ से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक मामले अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

4.2 हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली पर आई.टी. लेखापरीक्षा

4.2.1 विशिष्टताएं

- हैरिस आई.टी. ऐप्लिकेशन में इनपुट नियंत्रणों की कमी के कारण 254 बिक्री दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 70.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट दी गई।

(अनुच्छेद 4.2.7.1)

- विनयमित की जा रही संपत्तियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए ऐप्लिकेशन के त्रुटिपूर्ण डिजाइन के परिणामस्वरूप 13 मामलों में ₹ 4.06 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.2.7.7)

- एम.सी. की सीमा के भीतर आने वाले स्थानों की नॉन-मैपिंग के कारण 3,497 मामलों में ₹ 31.62 करोड़ के दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

{अनुच्छेद 4.2.8.5 (ii)}

- आई.टी. ऐप्लिकेशन में उचित वैधता नियंत्रण शामिल न करने के कारण 334 दस्तावेजों में ₹ 70.25 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की गलत छूट दी गई।

{अनुच्छेद 4.2.8.7 (i)}

- 1,000 वर्गगज से कम क्षेत्र वाले एम.सी. सीमा के भीतर किए गए लेन-देनों पर वैधता नियंत्रण की कमी के कारण 1,213 मामलों में ₹ 19.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

{अनुच्छेद 4.2.8.8 (i)}

- हस्तलिखित रोकड़ बही में दर्ज की गई प्राप्तियों की प्रविष्टियों का सिस्टम जेनरेटिड रोकड़ बही से मिलान करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 74.83 लाख की कमी हुई।

{अनुच्छेद 4.2.9.1 (i)}

4.2.2 प्रस्तावना

हरियाणा सरकार ने अभिलेखों के रख-रखाव तथा अद्यतन की मैनुअल सिस्टम में छिपी समस्याओं से निपटने के लिए राजस्व विभाग के माध्यम से पूर्णतया स्पांसर्ड कंप्यूटरीकृत स्कीम ''हरियाणा रजिस्ट्रेशन इनफोरमेशन सिस्टम (हैरिस)'' 1991 में आरंभ की। स्कीम में स्पीड, परिशुद्धता, पारदर्शिता, विवाद समाधान तथा डाटा के ऑन-लाइन मैनेजमैंट पर विचार किया गया था।

नैशनल इनफोरमेटिक्स सैंटर-हरियाणा स्टेट यूनिट (एन.आई.सी.-एच.एस.यू.) द्वारा संपूर्ण राज्य में वर्कफ्लो बेस्ड ऐप्लिकेशन पैकेज विकसित, कार्यान्वित, मानकीकृत तथा स्थायीकृत किया गया था। हैरिस ऐप्लिकेशन में संपत्ति पंजीकरण से संबंधित कार्य के लिए पूर्ण एकीकृत

समाधान प्रदान करना अभिप्रेत था। इस ऐप्लिकेशन में समय के साथ क्रियात्मक एवं तकनीकी अपग्रेड किए गए हैं तथा वर्तमान में मार्च 2014 से हैरिस वर्शन 3.0.92 चल रहा है। 'विंडोज' प्लेटफार्म पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया, फ्रंटएंड पर 'विजुअल बेसिक' तथा बैकएंड पर एस.क्यू.एल. सर्वर के साथ क्लाइंट सर्वर मॉडल ऐप्लिकेशन वर्तमान में प्रयोग में है।

4.2.3 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम तथा पंजीकरण अधिनियम एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों के एडमिनिस्ट्रेशन हेतु उत्तरदायी है। वह नीतियों, कार्यक्रमों के प्रतिपादन तथा विभाग द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर, 21 जिलों, 71 तहसीलों तथा 44 उप-तहसीलों में स्कीम के संपत्ति पंजीकरण से संबंधित कार्य की देखभाल उपायुक्तों (डी.सीज) तथा जिला राजस्व अधिकारियों (डी.आर.ओज) द्वारा की जाती है। तहसील/उप-तहसील तथा ग्राम स्तर पर कानूनगो तथा पटवारियों की सहायता से संपत्ति पंजीकरण से संबंधित कार्य करते समय पंजीकरण प्राधिकारी, नायब तहसीलदार/तहसीलदार, संयुक्त उप-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आरज)/उप-रजिस्ट्रारों (एस.आरज) के रूप में कार्य करते हैं।

4.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने के विचार से आई.टी. लेखापरीक्षा की, कि क्या हैरिस ऐप्लिकेशन में पर्याप्त इनपुट, प्रांसेसिंग तथा आउटपुट नियंत्रण शामिल किए गए थे।

4.2.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

2007-08 से 2013-14 तक की अवधि हेतु हैरिस ऐप्लिकेशन का बैकएंड डाटा संबंधित जिला इनफोरमेटिक्स अधिकारियों से प्राप्त किया गया था तथा इन्टरएक्टिव डाटा एक्सट्रेक्शन एण्ड एनालाइसिस (आइडिया) ऐप्लिकेशन जैसे कंप्यूटराइज्ड असिस्टिड ऑडिट टूल्ज (सी.ए.ए.टी.) का उपयोग करके जून 2013 तथा जुलाई 2014 के मध्य विश्लेषण किया गया था। आठ जिलों[1] में रेंडम सैंपल से चयनित 21 तहसीलों/उप-तहसीलों की आई.टी. लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई थी कि क्या हैरिस ऐप्लिकेशन के इनपुट, प्रांसेसिंग तथा आउटपुट स्तरों में विद्यमान नियंत्रण जोखिमों के कारण बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा पद्धति पर चर्चा करने के लिए 14 अगस्त 2013 को विभाग के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई। हमने जुलाई 2014 में सरकार को आई.टी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित किया। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के साथ 23 दिसंबर 2014 को एग्जिट कांफ्रेस आयोजित की गई थी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान आई.टी. लेखापरीक्षा के परिणामों पर चर्चा की गई थी। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान तथा अन्य समयों पर विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

[1] गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), झज्जर (बहादुरगढ़), कुरूक्षेत्र (लाडवा, पेहोवा), महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल (अटेली), पंचकूला (कालका), पानीपत (बपोली, मडलौडा, समालखा), रोहतक (कलानौर, सांपला) तथा सिरसा (नाथूसारी चोपटा)।

4.2.6 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
- पंजीकरण अधिनियम, 1908
- आई.ए. एंड ए.डी. का आई.टी. ऑडिट मैनुअल
- अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियम
- विभाग/सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेश।

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

4.2.7 इनपुट नियंत्रण

इनपुट पर नियंत्रण डाटा इंटेग्रिटी के लिए महत्वपूर्ण है तथा गलत या झूठा इनपुट कंप्यूटरीकृत प्रणाली में त्रुटि या धोखे का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। देखी गई कमियां निम्नानुसार हैं:

4.2.7.1 बिक्री विलेखों का गलत वर्गीकरण

'क्षतिपूर्ति के विरूद्ध खरीद' विकल्प के अंतर्गत किए गए लेन-देनों के मामले में हैरिस ऐप्लिकेशन एस.डी. की छूट की अनुमति देता है। ऐप्लिकेशन में क्रेता के द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि दर्शाना अपेक्षित है ताकि ऐप्लिकेशन में अनुमत किए जाने वाली एस.डी. की छूट की प्रमात्रा निर्धारित की जा सके और इस विकल्प के माध्यम से अन्य किसी प्रकार के लेन-देन की प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। इनपुट नियंत्रण की विफलता के कारण विक्रय विलेखों को 'क्षतिपूर्ति के विरूद्ध खरीद' विकल्प के अंतर्गत गलत पंजीकृत किया गया जिससे एस.डी. की छूट की अनुमति दी गई थी जबकि इन मामलों में कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की गई थी।

एस.आरज गुड़गांव, मानेसर तथा पानीपत के कार्यालयों में हैरिस डाटाबेस के विश्लेषण ने दर्शाया कि सब्सिडियरी कंपनियों, जिनसे होल्डिंग कंपनियों ने या तो वास्तविक रोकड़ या इक्विटी शेयरों के रूप में या आंशिक नकद प्राप्त या आंशिक प्रतिबद्ध किए गए थे, को ₹ 1,409.17 करोड़ मूल्य की संपत्ति के स्वामित्व तथा हस्तांतरण दर्शाने वाले 254 दस्तावेज आपरेटर द्वारा ₹ 7.79 लाख का स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) प्रभारण करते हुए गलत इनपुट के कारण 'बिक्री' की बजाए 'मुआवजे के विरूद्ध खरीद[2]' के रूप में गलत वर्गीकृत किए गए थे जो हस्तांतरण विलेखों के लिए ₹ 70.98 करोड़ पर उद्ग्राह्य शुल्क के विरूद्ध गलत था, परिणामस्वरूप ₹ 70.90 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

जून तथा अगस्त 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर सरकार ने स्वीकार किया कि प्रयोक्ताओं ने पार्टी को लाभ देने के लिए या तो जानबूझकर या गलती से गलत विकल्प का चयन किया था (नवंबर 2014)।

[2] राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत कृषीय भूमि के विरूद्ध प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि से किसानों द्वारा खरीदी गई भूमि।

4.2.7.2 रिक्त छोड़े गए क्रिटीकल फील्ड

कृषीय तथा आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति में किसी संपादन की पहचान क्रमश: खेवट नंबर तथा प्लॉट नंबर के पते द्वारा की जाती है। आगे, भूमि की लागत क्षेत्र, माप इकाई[3] तथा कलैक्टर रेट के आधार पर परिकलित की जाती है।

21 एस.आरज[4] के कार्यालयों में हैरिस डाटाबेस के विश्लेषण ने दर्शाया कि 5,17,811 संपादनों में से कुल संपादनों का 22 प्रतिशत संघटित करते हुए 13,476 कृषीय संपत्तियों में खेवट कॉलम तथा 91,872 आवासीय एवं 8,239 वाणिज्यिक संपत्तियों में पता कॉलम और 1,451 मामलों में माप यूनिट फील्ड रिक्त छोड़े गए थे जिससे ऐप्लिकेशन द्वारा 1,404 मामलों में विद्यमान कलैक्टर रेट के आधार पर वास्तविक भूमि लागत की परिगणना में विफलता मिली। हैरिस ऐप्लिकेशन में इन रिक्त कालमों के कारण एस.डी. का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ, जैसा नीचे अनुच्छेद 4.2.7.3 में चर्चा की गई है।

मई तथा अगस्त 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, सरकार ने उत्तर दिया कि साफ्टवेयर खेवट/प्लाट नंबर, पता और माप यूनिट फील्ड में ब्लैंक की प्रविष्टि अनुमत नहीं करता। तथापि, यह स्वीकार किया गया कि सूचित मामलों में ब्लैंक/जंक डाटा इनपुट गलत हो सकता है (नवंबर 2014)।

4.2.7.3 माप इकाइयां

इनपुट नियंत्रण में अपेक्षित है कि ऐप्लिकेशन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक फील्ड खाली नहीं छोड़े जाते, पर्याप्त जांच शामिल की गई है। हैरिस ऐप्लिकेशन आवश्यक डाटा अर्थात क्षेत्र, माप इकाई और दर के आधार पर भूमि की लागत की गणना करता है। किसी मामले में यदि ये फील्ड खाली छोड़े जाते हैं तो ऐप्लिकेशन कलैक्टर रेट के आधार पर भूमि की लागत की गणना करने में विफल रहता है तथा केवल लेन-देन मूल्य के आधार पर एस.डी. की गणना की जाती है।

एस.आरज गुड़गांव तथा कुरूक्षेत्र के कार्यालयों में हैरिस डाटाबेस के विश्लेषण के दौरान हमने देखा कि 41 बिक्री विलेख भूमि की लागत को ध्यान में रखे बिना संपादन मूल्य के आधार पर पंजीकृत किए गए थे। ये बिक्री विलेख ₹ 9.21 करोड़ हेतु मूल्यांकित किए जाने अपेक्षित थे, जिन पर ₹ 95.66 लाख का एस.डी. उद्ग्राह्य था। माप यूनिट फील्ड पर इनपुट नियंत्रण की कमी के कारण ₹ 65.86 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 29.80 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

अगस्त तथा अक्तूबर 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर सरकार ने स्वीकार किया कि लेन-देन को पूरा करने के लिए आपरेटर ने कोई भी मूल्य भर दिया होगा या हैरिस का पुराना संस्करण प्रयोग कर रहा होगा (नवंबर 2014)।

[3] उपयोग की गई मानक माप इकाइयों के तीन प्रकार हैं: कृषीय भूमि के लिए एकड़-कनाल-मरला या बीघा-बिस्वा-बिस्वांसी, आवासीय/वाणिज्यिक प्लाटों के लिए वर्ग गज तथा निर्मित क्षेत्रों के लिए वर्ग फुट।

[4] एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), झज्जर (बहादुरगढ़), कुरूक्षेत्र (लाडवा, पेहोवा), महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल (अटेली), पंचकूला (कालका), पानीपत (बपोली, मडलौडा, समालखा), रोहतक (कलानौर, सांपला) तथा सिरसा (नाथूसारी चोपटा)।

4.2.7.4 निर्माण वर्ष का गलत इनपुट

किसी विशिष्ट तारीख को लागू दरों पर एस.डी. या तो संपादन मूल्य या कलैक्टर की दर के आधार पर परिकलित भूमि लागत की राशि तथा संपत्ति की संरचना लागत, जो भी अधिक हो, पर उद्गृहीत किया जाता है। आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियों पर उचित मूल्यह्रास अनुमत करने के बाद मूल्यह्रासित संरचना लागत शून्य हो सकती है किंतु यह निगेटिव नहीं हो सकती।

चार एस.आरज[5] के कार्यालयों में हैरिस डाटाबेस के विश्लेषण ने दर्शाया कि इनपुट पर अपर्याप्त नियंत्रण के कारण 1,788 मामलों में संरचना लागत ने माइनस ₹ 20,211,481,459,077,602,000,000 तथा माइनस ₹ एक के मध्य श्रृंखलित अवास्तविक राशियां दर्शाई तथा निर्माण वर्ष एक एवं 1971 के मध्य श्रृंखलित था। हमने यह भी देखा कि इन बिक्री बिलेखों पर 20 मामलों में निर्मित क्षेत्र शून्य के रूप में दर्शाया गया था किंतु ह्रासित संरचना लागत माइनस ₹ 16,148,644,851,359.10 तथा माइनस ₹ छ: के मध्य श्रृंखलित थी।

यह आगे देखा गया था कि 109 मामलों में आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियों की भूमि लागत संपादन मूल्य से ₹ 2.15 करोड़ अधिक थी। लेकिन इनपुट पर अपर्याप्त नियंत्रण के कारण भूमि लागत संपादन मूल्य से कम हो गई तथा एस.डी. भूमि लागत से संरचना लागत के निगेटिव मूल्य के समायोजन के पश्चात् संपादन मूल्य पर ही सिस्टम द्वारा गलत रूप से उद्गृहीत किया गया था। ये बिक्री विलेख ₹ 7.10 करोड़ हेतु मूल्यांकित किए जाने अपेक्षित थे जिन पर ₹ 41.85 लाख का एस.डी. उद्ग्राहय था। लेकिन इनपुट पर अपर्याप्त नियंत्रण के कारण ये बिक्री विलेख ₹ 4.95 करोड़ हेतु निर्धारित किए गए तथा ₹ 30 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 11.85 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

अक्तूबर तथा नवंबर 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर सरकार ने उत्तर दिया कि साफ्टवेयर ढांचा की लागत को माइनस में गणना नहीं करेगा। निर्माण वर्ष (नवंबर 2014) पर आधारित ह्रास लागू करने के बाद यदि यह माइनस में आए तो यह ढांचा लागत को शून्य पर सैट करेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि साफटवेयर ने इन मामलों में ढांचा लागत की माइनस में गणना की साथ ही साथ माइनस ढांचा लागत को जोड़ते हुए भूमि लागत की क्षतिपूर्ति की। अत: साफ्टवेयर में उपयुक्त वैधता नियंत्रण की आवश्यकता है जिससे इस फील्ड में माइनस मूल्य का परिहार किया जा सके।

4.2.7.5 अपूर्ण डाटा अभिग्रहण

एस.आर. कुरूक्षेत्र के कार्यालय में हैरिस डाटाबेस के विश्लेषण ने दर्शाया कि 39,670 बिक्री विलेख आवासीय संपत्तियों के रूप में पंजीकृत किए गए थे। इन मामलों में संरचना विवरण नहीं लिए गए थे परिणामस्वरूप 'शून्य' संरचना लागत हुई। हैरिस डाटा का जब हुडा के पास उपलब्ध डाटा के साथ मिलान किया गया तो यह पाया गया था कि 29 बिक्री विलेखों में संपादित प्लाट निर्मित क्षेत्र थे। 29 बिक्री विलेखों में से 10 में संपादन मूल्य भूमि तथा संरचना की लागतों से अधिक था परिणामस्वरूप एस.डी. का सही मूल्यांकन हुआ। लेकिन संरचना विवरण न लेने के कारण शेष 19 बिक्री विलेख ₹ 3.72 करोड़ के लिए मूल्यांकित किए जाने अपेक्षित थे किंतु गलत रूप से ₹ 2.95 करोड़ के लिए कर निर्धारित किए गए थे जिसके कारण ₹ 76.72 लाख की सीमा तक संपत्तियों का अवनिर्धारण हुआ परिणामस्वरूप ₹ 4.10 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

[5] एस.आरज: महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल तथा रोहतक (कलानौर, सांपला)।

जुलाई 2013 में यह इंगित किए जाने पर, सरकार ने स्वीकार किया कि ऐसे मामले इनपुट गलती और ऐप्लिकेशन में प्रयोक्ताओं की ओर से चूक के कारण हुए (नवंबर 2014)।

4.2.7.6 जंक डाटा इनपुट की स्वीकृति

एक आई.टी. ऐप्लिकेशन में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दस्तावेजों में जंक डाटा की बजाए पार्टियों के सही नाम शामिल हैं ताकि किसी पार्टी/व्यक्ति की आगामी सूचना आसानी से निकाली जा सके।

हमने देखा कि 21 एस.आरज[6] में 72,277 मामलों में पार्टी नामों/विवरणों के स्थान पर जंक डाटा शामिल था। अपूर्ण/जंक इनपुट ने डाटा को अविश्वसनीय बना दिया। एक व्याख्यात्मक मामला नीचे दिया गया है:

एस.आर. बहादुरगढ़ में बिक्री विलेख संख्या 1232 दिनांक 05.05.2008 में हमने पाया कि संपत्ति एक पुरूष द्वारा खरीदी गई थी किंतु डाटाबेस में पार्टी नाम फील्ड में उसके नाम के स्थान पर '–' के रूप में केवल जंक डाटा दर्ज किया गया था।

जून 2014 में यह इंगित किए जाने पर, सरकार ने उत्तर दिया कि नाम के खानों पर भारी जांच लगाना संभव नहीं था और उपयोक्ताओं द्वारा दस्तावेज अनुमोदित करने से पहले डाटा सत्यापित और वैध किया जाना अपेक्षित होता है (नवंबर 2014)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पार्टी नामों के ब्यौरे भविष्य में आगे निष्कर्ष के लिए अपेक्षित हो सकते हैं। तदनुसार, सरकार द्वारा लेन-देन के पूर्ण ब्यौरे प्राप्त करने सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

4.2.7.7 द्वितीय संपत्ति ब्यौरे अभिग्रहण न करना

दो पक्षों द्वारा संपत्ति के आदान-प्रदान के मामले में एस.डी. के उद्ग्रहण के लिए उच्चतर मूल्य वाली संपत्ति सुनिश्चित करने के लिए उनके मूल्यों का निर्धारण करने के लिए हैरिस ऐप्लिकेशन में संपत्ति आदान-प्रदान की जा रही दोनों संपत्तियों के ब्यौरे प्राप्त करना अपेक्षित था।

उपर्युक्त बिजनेस नियम को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया कि हस्तांतरित की जा रही सभी संपत्तियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए हैरिस ऐप्लिकेशन डिजाइन नहीं की गई थी परिणामत: उच्चत्तर मूल्य वाली संपत्ति पर एस.डी. परिकलित करने के लिए उनके मूल्य की तुलना करने में विफल रही।

एस.आर., गुड़गांव के कार्यालय में हैरिस के विश्लेषण ने दर्शाया कि 2013-14 के दौरान 52 विनिमय विलेख पंजीकृत किए गए थे तथा उद्ग्राह्य स्टाम्प शुल्क ऐप्लिकेशन में लिए गए एकाकी संपत्ति ब्यौरे पर हैरिस ऐप्लिकेशन द्वारा निर्धारित किया गया था। हमने आगे अवलोकित किया कि 52 हस्तांतरण विलेखों में से 13 में उद्ग्राह्य स्टाम्प शुल्क निश्चित करने के लिए कृषीय संपत्ति के ब्यौरे लिए गए थे। फिर भी, हस्तांतरित की जा रही अन्य संपत्ति के संबंध में, आवासीय ग्रुप हाउसिंग कालोनी विकसित करने के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से लाइसेंस प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, अन्य संपत्ति की भूमि का प्रतिफल मूल्य

[6] एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), झज्जर (बहादुरगढ़), कुरूक्षेत्र (लाडवा, पेहोवा), महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल (अटेली), पंचकूला (कालका), पानीपत (बपोली, मडलौडा, समालखा), रोहतक (कलानौर, सांपला) तथा सिरसा (नाथूसारी चोपटा)।

आवासीय दरों के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित था, जोकि प्रथम संपत्ति के प्रतिफल मूल्य से बहुत अधिक था।

ये 13 विनिमय विलेख ₹ 135.18 करोड़ के लिए निर्धारित किए जाने उत्तरदायी थे जिन पर ₹ 6.76 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राह्य था। परंतु ये विलेख, ऐप्लिकेशन में लिए गए एकाकी संपत्ति ब्यौरों के आधार पर ₹ 50.67 करोड़ पर निर्धारित किए गए थे जिस पर ₹ 2.70 करोड़ का स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत किया गया परिणामत: ₹ 4.06 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने स्वीकार किया कि ऐप्लिकेशन में दूसरी संपत्ति के ब्यौरे प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, प्रयोक्ताओं द्वारा प्राथमिक जांच करने और उच्चतम संपादन राशि वाली संपत्ति के ब्यौरों का सत्यापन करने की आशा की जाती है (नवंबर 2014)।

4.2.8 प्रोसेसिंग नियंत्रण

प्रोसेसिंग नियंत्रण इनपुट तथा जेनेरेटिड डाटा की पूर्ण तथा शुद्ध प्रोसेसिंग सुनिश्चित करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि लेन-देन यूनिक, वैध, सही तथा पूर्ण हैं। प्रोसेसिंग नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप भूमि लागत की गणना नहीं हुई और एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

4.2.8.1 माप इकाइयों को न बदलना

एस.आर. कुरूक्षेत्र के कार्यालय में हमने देखा कि हुडा प्लाटों के भूमि मूल्य मास्टर टेबलों में वर्ग गजों में परिभाषित किए गए थे। तथापि, कुछ हुडा प्लाटों के संपत्ति विवरण कैपचर करते समय डाटाबेस में माप इकाइयां वर्ग मीटरों में दर्ज की गई थी।

265 संपादनों के संबंध में वर्ग मीटरों में दिए गए क्षेत्र की भूमि लागत संपत्ति ब्यौरों तथा रेट मास्टर टेबलों में उल्लिखित माप इकाई वैध किए बिना ऐप्लिकेशन द्वारा प्रोसेस की गई थी। ऐप्लिकेशन रेट को प्रति वर्ग गज से प्रति वर्ग मीटर पर बदलने में विफल रहा। अत:, अपर्याप्त प्रोसेसिंग नियंत्रणों के कारण इन संपादनों की भूमि लागत ₹ 2.49 करोड़ तक अवनिर्धारित थी परिणामस्वरूप ₹ 0.14 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

जुलाई 2013 में यह इंगित किए जाने पर सरकार ने उत्तर दिया कि साफ्टवेयर में माप को वर्गगजों से वर्गमीटर तथा वाइस वर्सा परिवर्तित करने का प्रावधान उपलब्ध था। तथापि, प्रयोक्ता ने गलत विकल्प चुना हो सकता है (नवंबर 2014)। तथ्य रह जाता है कि ऐप्लिकेशन ने माप इकाइयां परिवर्तित नहीं की और सही विकल्प सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त यंत्रावली होनी चाहिए।

4.2.8.2 पुरूष एवं महिला द्वारा खरीदी गई संयुक्त संपत्ति

सरकार ने नवम्बर 2008 में स्पष्ट किया कि यदि एक पुरूष और महिला समान हिस्से/अनुपात में संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदते हैं तो बिक्री विलेख में प्रतिफल के कुल मूल्य पर एक प्रतिशत की दर पर एस.डी. की छूट दी जानी थी। जहां उनके हिस्से समान अनुपात में नहीं है ऐसे मामलों में शामिल महिला/महिलाओं के हिस्से की सीमा तक बिक्री विलेख में प्रतिफल के मूल्य पर एस.डी. में दो प्रतिशत तक रियायत दी जानी थी।

15 एस.आरज[7] के कार्यालयों में डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि नवंबर 2008 तथा मार्च 2014 के मध्य खरीदी गई संयुक्त संपत्ति पर निष्पादित 388 बिक्री विलेखों के मामले में एस.डी., आनुपातिक हिस्सों के आधार पर सही ढंग से परिकलित नहीं किया गया था। इन मामलों में एस.डी. का कम उद्ग्रहण देखा गया था परिणामस्वरूप ₹ 66.85 लाख के एस.डी. की अतिरिक्त छूट दी गई।

डाटा ने आगे दर्शाया कि 1,083 मामलों में आनुपातिक हिस्सों की राशि एक तथा 200 प्रतिशत के मध्य जो कि 100 प्रतिशत से कम या अधिक थी जिसने डाटा को अविश्वसनीय बना दिया। एक व्याख्यात्मक मामला नीचे दिया गया है:

एस.आर. कुरूक्षेत्र में, बिक्री विलेख संख्या 10337 दिनांक 28.01.2013 में हमने देखा कि छ: पुरूषों और दो महिलाओं द्वारा संपत्ति संयुक्त रूप से खरीदी गई थी, किंतु डाटाबेस में कुल पुरूष और महिला हिस्सा क्रमश: 60 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया था जो केवल 80 प्रतिशत का संयुक्त हिस्सा है।

जून 2014 में यह इंगित किए जाने पर सरकार ने उत्तर दिया कि प्रस्तावित व्यापार तर्क का अध्ययन किया जाएगा और प्रयोक्ता द्वारा दर्ज हिस्से की राशि को जांच के लिए शामिल किया जाएगा। तथापि, सरकार ने स्वीकार किया कि ये मामले हिस्से/अनुपात के गलत दर्ज होने के कारण घटित हो सकते हैं (नवंबर 2014)।

4.2.8.3 प्राप्तियों की अवैधता

विभाग के व्यापार नियम के अनुसार आई.टी. अनुप्रयोग द्वारा यह वैध करना अपेक्षित है कि क्रेता से वसूल किया गया एस.डी. ऐप्लिकेशन द्वारा परिगणित एस.डी. से कम नहीं है।

(i) 19 एस.आरज[8] में 153 बिक्री विलेखों के मामले में ऐप्लिकेशन द्वारा उद्गृहीत एस.डी. के साथ प्राप्त किए गए स्टाम्प पेपरों के कुल मूल्य तथा नकद की वैधता की कमी के कारण ₹ 49.03 लाख तक उद्गृहीत एस.डी. की कम वसूली थी।

(ii) आगे, आठ एस.आरज[9] के कार्यालयों में हमने देखा कि यद्यपि सिस्टम ने 279 बिक्री विलेखों में सही पंजीकरण फीस (आर.एफ.) परिकलित की, वसूल की गई राशि ₹ 6.98 लाख तक कम पड़ी। ऐप्लिकेशन ने रसीद के साथ मांग के मिलान न होने पर कोई ध्यान नहीं दिया।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि मैनुअल रसीद जारी करने को बंद करने के लिए सभी एस.आरज को निदेश जारी करने की आवश्यकता थी (नवंबर 2014)।

7 एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल (अटेली), पंचकूला (कालका), पानीपत (बपोली), रोहतक (कलानौर, सांपला) तथा सिरसा (नाथूसारी चोपटा)।

8 एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), झज्जर (बहादुरगढ़), कुरूक्षेत्र (पेहोवा), महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल (अटेली), पंचकूला (कालका), पानीपत (मडलौडा, समालखा), रोहतक (कलानौर, सांपला) तथा सिरसा (नाथूसारी चोपटा)।

9 एस.आरज: अटेली, गुड़गांव, कुरूक्षेत्र, कालका, रोहतक (कलानौर) तथा सिरसा (नाथूसारी चोपटा)।

4.2.8.4 पंजीकृत दस्तावेजों की क्रम संख्याओं में अंतर

हैरिस ऐप्लिकेशन को अचल संपत्तियों की बिक्री, विनिमय, गिरवी रखना, गिफ्ट, रिलीज इत्यादि के कारण पंजीकृत विलेखों के संबंध में क्रमवार नंबर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था।

21 एस.आरज[10] के कार्यालयों में हैरिस डाटाबेस के विश्लेषण ने दर्शाया कि वर्ष 2007 – 08 तथा 2013 – 14 के मध्य 11,02,254 दस्तावेज पंजीकृत किए गए थे। हमने देखा कि यद्यपि पंजीकरण नंबर क्रमवार प्रदान किए गए थे किंतु प्रदान किए गए पंजीकरण नंबरों में 28,289 अंतर थे।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने स्वीकार किया कि ऐप्लिकेशन के अचानक बंद होने तथा बिजली फेल होने के कारण अंतर हुए थे तथा बताया कि मूलभूत संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी (नवंबर 2014)।

4.2.8.5 एम.सी. सीमाओं के भीतर/बाहर पड़ने वाले स्थानों की नॉन – मैपिंग

ऐप्लिकेशन में आपरेटर मास्टर डाटाबेस से ड्राप – डाउन की बजाय उप – विलेख नाम 'एम.सी. क्षेत्र से बाहर बिक्री'/'एम.सी. क्षेत्र के भीतर बिक्री' का विकल्प मैनुअली चयन करता है। एस.डी. सही ढंग से परिकलित करने हेतु ऐप्लिकेशन को सक्षम बनाने के लिए 'एम.सी. क्षेत्र से बाहर बिक्री'/'एम.सी. क्षेत्र के भीतर बिक्री' के मैनुअली चयन से बचने के लिए एम.सी. सीमाओं के भीतर/बाहर पड़ने वाले सेगमेंटों को समुचित ढंग से मैप किया जाना अपेक्षित था।

सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार एम.सी. सीमाओं के भीतर पड़ने वाली भूमि/संपत्ति की बिक्री के मामले में दो प्रतिशत अतिरिक्त एस.डी. उद्ग्राहय है।

(i) पांच एस.आरज[11] के कार्यालयों में हैरिस डाटाबेस के विश्लेषण ने दर्शाया कि 'एम.सी. क्षेत्र से बाहर बिक्री' का विकल्प गलत ढंग से चयन करके एम.सी. सीमाओं से बाहर पड़ने वाली भूमि/संपत्ति के रूप में 89 बिक्री विलेख पंजीकृत किए गए थे जबकि ये संपत्तियां वास्तव में एम.सी. सीमाओं के भीतर थी। यह आगे देखा गया कि नगरपालिका सीमाओं में बेची गई कृषीय भूमि 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाली थी अथवा उस मामले में, जहां क्रेता एक से अधिक थे तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम था। इस प्रकार, इन मामलों में भूमि/संपत्ति, आवासीय संपत्ति के लिए नियत दर पर मूल्यांकित की जानी अपेक्षित थी तथा दो प्रतिशत अतिरिक्त एस.डी. उद्गृहीत किया जाना था। ये बिक्री विलेख ₹ 36.24 करोड़ हेतु निर्धारित किए जाने थे, जिन पर ₹ 2.17 करोड़ (दो प्रतिशत अतिरिक्त एस.डी. सहित) का एस.डी. उद्ग्राहय था। परंतु ये बिक्री विलेख ₹ 13.84 करोड़ पर निर्धारित किए गए थे, जिन पर ₹ 55.20 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

[10] एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), झज्जर (बहादुरगढ़), कुरूक्षेत्र (लाडवा, पेहोवा), महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल (अटेली), पंचकूला (कालका), पानीपत (बपोली, मडलौडा, समालखा), रोहतक (कलानौर, सांपला) तथा सिरसा (नाथूसारी चोपटा)।

[11] एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर), कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल तथा रोहतक।

(ii) 14 एस.आरज[12] के संबंध में विभिन्न जिलों के नगर निगमों की अधिसूचनाओं के साथ हैरिस ऐप्लिकेशन में रिकार्ड किए गए डाटा के क्रास सत्यापन ने दर्शाया कि 'एम.सी. क्षेत्र से बाहर बिक्री' का विकल्प गलत ढंग से चयन करके एम.सी. सीमाओं से बाहर पड़ने वाली भूमि/संपत्ति के रूप में 3,497 बिक्री विलेख पंजीकृत किए गए थे जबकि ये संपत्तियां वास्तव में एम.सी. सीमाओं के भीतर थी। ये बिक्री विलेख ₹ 1,647.64 करोड़ पर कर निर्धारित किए गए थे, जिनपर ₹ 108.84 करोड़ (दो प्रतिशत अतिरिक्त एस.डी. सहित) का एस.डी. उद्ग्राहय था। परंतु ₹ 77.22 करोड़ का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था परिणामस्वरूप सेगमेंटों की नॉन-मैपिंग के कारण ₹ 31.62 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने स्वीकार किया कि एम.सी. सीमा के भीतर पड़ने वाले क्षेत्रों की स्थिति की मैपिंग के लिए लेखापरीक्षा के सुझाव ऐसे मामलों को कम करने में सहायक होंगे तथा यदि चयन ड्राप डाउन मेन्यु के माध्यम से किया जाता है तो प्रयोक्ता सही विकल्प चुनते समय अधिक सावधान हो जाएंगे (नवंबर 2014)।

4.2.8.6 प्राइम खसरा मास्टर का नॉन – डिजिटाइजेशन

हैरिस ऐप्लिकेशन को उच्चतर मूल्य की अचल संपत्तियों के प्राईम खसरा नंबरों को स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि मुख्य दरों तथा उन पर उद्ग्राह्य एस.डी. के आधार पर इन संपत्तियों के सही मूल्य का निर्धारण किया जा सके। बिक्री विलेखों में एस.डी. का अपवंचन रोकने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने प्राईम खसरा की पहचान करने तथा डिजीटाइज करने के लिए नंवबर 2000 में अनुदेश जारी किए। प्राइम खसरा के नॉन-डिजिटाइजेशन के कारण निम्नलिखित कमियां देखी गई थी:

छः एस.आरज[13] में डाटा विश्लेषण के दौरान पहचाने गए प्राइम खसरा हरियाणा लैंड रिकार्डस इन्फर्मेशन सिस्टम (हैलरिस) ऐप्लिकेशन में दर्ज किए गए म्युटेशनों में उल्लिखित खसरों से मिलाए गए थे। प्राइम खसरा के नॉन-डिजिटाइजेशन के कारण केवल सीमित डाटा इलैक्ट्रोनिक रूप से विश्लेषित किया जा सका। विश्लेषित डाटा को मैनुअल अभिलेखों के साथ मिलान करने के पश्चात् हमने पाया कि 31 बिक्री विलेखों में सामान्य खसरा के अतिरिक्त उच्च दरों वाले प्राइम खसरा संपादित किए गए थे।

हमने पाया कि इन बिक्री संपादनों में भूमि का मूल्य केवल सामान्य भूमि दरों के आधार पर निर्धारित किया गया था जबकि भूमि का कुछ भाग प्राइम दरें आकृष्ट करने वाले प्राइम खसरा में स्थित था जोकि सामान्य भूमि दरों से बहुत अधिक थे। इस प्रकार, नमूना-जांच किए गए मामलों में भूमि का मूल्य ₹ 27.87 करोड़ हेतु निर्धारित किया जाना था जिस पर ₹ 1.25 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राहय था। परंतु प्राइम खसरा तथा इसकी दरों के नॉन-डिजिटाइजेशन के कारण ₹ 60.90 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 63.81 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह आगे देखा गया था कि पांच एस.आरज[14] उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन में प्राइम खसरा की पहचान करने में विफल रहे।

[12] एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), झज्जर, कुरूक्षेत्र (लाडवा, पेहोवा), महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल, पंचकूला (कालका), पानीपत (समालखा), रोहतक तथा सिरसा।

[13] एस.आरज: बपोली, झज्जर (बहादुरगढ़), सांपला तथा सिरसा (नाथूसारी चोपटा)।

[14] एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर) तथा पंचकूला (कालका)।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने स्वीकार किया कि प्राईम खसरा नंबरों की परिमंडल राजस्व अधिकारी द्वारा पहचान की जानी चाहिए तथा डाटाबेस में दर्ज किया जाना चाहिए (नवंबर 2014)।

4.2.8.7 किसानों द्वारा लेन–देन तथा मुआवजे के विरूद्ध खरीदी गई भूमि के मामले में माइनस डाटा

विभाग के व्यापार नियमों में, 'मुआवजे के विरूद्ध खरीद' विकल्प के अंतर्गत कृषि भूमि की खरीद पर एस.डी. की छूट का प्रावधान है। व्यापार नियम के अनुसार इस विकल्प के अंतर्गत केवल कृषि भूमि की खरीद पर एस.डी. की छूट की अनुमति के लिए ऐप्लिकेशन में वैधता नियंत्रण को शामिल किया जाना चाहिए। इस विकल्प के अंतर्गत यदि आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति खरीदी जाती है तो ऐप्लिकेशन को एस.डी. की कोई छूट अनुमत नहीं करनी चाहिए।

(i) 19 एस.आरज[15] के कार्यालयों में हैरिस डाटाबेस के विश्लेषण ने दर्शाया कि 334 मामलों में कृषीय भूमि के अधिग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि के विरूद्ध आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियां खरीदी गई। ऐसे मामलों में एस.डी. में कोई छूट अनुमत नहीं है। इन मामलों में, लेन–देन ₹ 1,070.94 करोड़ पर मूल्यांकित किए गए थे तथा ₹ 70.61 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राहय था। उचित वैधता नियंत्रणों को शामिल न करने के कारण ₹ 36.14 लाख का एस.डी. क्रेताओं द्वारा स्वयं पर जमा करवाया गया था परिणामस्वरूप ₹ 70.25 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ii) 21 एस.आरज[16] में यह आगे देखा गया था कि 3,696 बिक्री विलेखों में कृषीय भूमि के अधिग्रहण के कारण प्राप्त मुआवजे के विरूद्ध कृषीय भूमि खरीदी गई थी। इस प्रकार, इन मामलों में एस.डी. उद्ग्राहय नहीं था। तथापि, उपर्युक्त बिक्री विलेखों में से 499 मामलों में हैरिस ऐप्लिकेशन ने डाटाबेस में एस.डी. के संबंध में ₹ 3.84 करोड़ मूल्य का माइनस डाटा परिगणित तथा स्टोर किया जिसने इसे अविश्वसनीय बना दिया।

यह इंगित किए जाने पर (जून 2014), सरकार ने उत्तर दिया कि सरकार द्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति के बैकएंड डाटावेस के अभाव में प्रयोक्ता द्वारा दर्ज क्षतिपूर्ति की राशि को वैध बनाना संभव नहीं था। लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार करते समय सरकार ने कहा कि वास्तविक स्थिति जांचने के लिए सोफ्टवेयर डेवेलमेंट टीम को माईनस स्टांप शुल्क के मामले सूचित नहीं किए गए थे (नवंबर 2014)।

4.2.8.8 नगरपालिका सीमाओं के भीतर कृषीय भूमि पर लेन–देन

विभाग के व्यापार नियमों में प्रावधान है कि नगरपालिका सीमाओं के भीतर, 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाली अथवा उस मामले में, जहां क्रेता एक से अधिक हैं तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा

[15] एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), झज्जर (बहादुरगढ़), कुरूक्षेत्र (पेहोवा), महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल (अटेली), पंचकूला (कालका), पानीपत (मडलौडा, समालखा), रोहतक (कलानौर, सांपला) तथा सिरसा (नाथूसारी चोपटा)।

[16] एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), झज्जर (बहादुरगढ़), कुरूक्षेत्र (लाडवा, पेहोवा), महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल (अटेली), पंचकूला (कालका), पानीपत (बपोली, मडलौडा, समालखा), रोहतक (कलानौर, सांपला) तथा सिरसा (नाथूसारी चोपटा)।

1,000 वर्ग गज से कम है, बेची गई कृषीय भूमि एस.डी. के उद्ग्रहण के प्रयोजन हेतु उस स्थान की आवासीय सम्पत्ति के लिए नियत दर पर मूल्यांकित की जाए।

उपर्युक्त व्यापार नियम के अनुसार खरीदी गई कृषीय भूमि में प्रत्येक क्रेता के हिस्से को वैध करने के लिए ऐप्लिकेशन में एक जांच शामिल की जानी चाहिए। यदि ऐसा हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है तो कलेक्टर द्वारा नियत आवासीय दरों के आधार पर भूमि का मूल्य कम्पयूटर ऐप्लिकेशन द्वारा परिकलित किया जाना चाहिए।

(i) 16 एस.आरज[17] के कार्यालयों में हैरिस डाटाबेस के विश्लेषण ने दर्शाया कि एम.सी. सीमा के भीतर कृषीय भूमि के क्रय के लिए 1,213 बिक्री विलेख पंजीकृत किए गए थे जिनमें प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1,000 वर्गगज से कम था ये विलेख आवासीय क्षेत्रों के लिए नियत दरों के आधार पर ₹ 505.94 करोड़ के लिए निर्धारित किए जाने हेतु उत्तरदायी थे तथा ₹ 30.48 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राहय था। तथापि, वेधता नियंत्रण के अभाव के कारण कृषीय भूमि हेतु नियत दरों के आधार पर ₹ 172.01 करोड़ पर इन विलेखों का निर्धारण किया तथा ₹ 10.58 करोड़ का एस.डी. उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.90 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ii) आगे, आठ एस.आरज[18] के कार्यालयों में हैरिस डाटाबेस के विश्लेषण ने दर्शाया कि कृषीय भूमि के अधिग्रहण के कारण प्राप्त मुआवजे के विरूद्ध नगरपालिका सीमाओं के भीतर कृषीय भूमि की खरीद हेतु 39 बिक्री विलेख पंजीकृत किए गए थे। इन मामलों में क्षेत्र 1,000 वर्ग गज से कम अथवा उस मामले में, जहां क्रेता एक से अधिक थे तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम था। ये बिक्री विलेख आवासीय दरों के आधार पर ₹ 20.29 करोड़ हेतु कर निर्धारित किए जाने थे किंतु ₹ 7.60 करोड़ पर निर्धारित किए गए थे, परिणामस्वरूप ₹ 12.69 करोड़ की सीमा तक क्रेताओं को मुआवजे का गलत लाभ हुआ।

जून 2014 में यह इंगित किए जाने पर सरकार ने स्वीकार किया कि प्रयोक्ता द्वारा गलत विकल्प के चयन के कारण ये मामले हुए (नवंबर 2014)।

4.2.8.9 प्रिफ्रेंशियल नंबर 'पी' वाले हुडा प्लॉट

कलैक्टर, कुरूक्षेत्र के बिजनेस नियमों में प्रावधान है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) 'पी' प्लॉटों की भूमि की लागत उस स्थान के लिए नियत दरों से 25 प्रतिशत अधिक होगी जबकि कलैक्टर, गुड़गांव ने हुडा 'पी' प्लॉटों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त एस.डी. का उद्ग्रहण अनुमोदित किया।

लेन-देन की गई संपत्तियों के सही मूल्य का निर्धारण करने एवं उन पर ली जाने वाली एस.डी. के लिए उपर्युक्त व्यापार नियम को शामिल करने के लिए आई.टी. ऐप्लिकेशन को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

एस.आरज गुड़गांव, कुरूक्षेत्र तथा पंचकूला के कार्यालयों में हैरिस डाटाबेस के विश्लेषण ने दर्शाया कि प्रिफ्रेंशियल नंबर 'पी' वाले 860 प्लॉटों (गुड़गांव: 2007-08 से 2010-11, कुरूक्षेत्र: 2007-08 से 2012-13 तथा पंचकूला: 2013-14) के बिक्री विलेख पंजीकृत किए

17 एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), झज्जर (बहादुरगढ़), कुरूक्षेत्र (लाडवा, पेहोवा), महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल, पंचकूला, पानीपत (समालखा), रोहतक (कलानौर, सांपला) तथा सिरसा।

18 एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), पेहोवा, पंचकूला, रोहतक (सांपला) तथा सिरसा।

गए थे, जो ₹ 395.22 करोड़ हेतु कर निर्धारित किए जाने थे, जिन पर ₹ 25.82 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राहय था। परंतु हमने पाया कि ऐप्लिकेशन में उपयुक्त परिवर्तन शामिल न करने के कारण ₹ 23.51 करोड़ का एस.डी. उद्गृहीत किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 2.31 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने स्वीकार किया कि ऐप्लिकेशन में ऐसा व्यापार नियम जोड़ने का अनुरोध संबंधित एस.आरज द्वारा नहीं किया गया था (नवंबर 2014)।

4.2.9 आउटपुट नियंत्रण

आई.टी. ऐप्लिकेशन को विभाग के सभी व्यापार नियमों को कार्यान्वित करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए और राजस्व के लीकेज को रोकने के लिए समय-समय पर विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। व्यापार नियमों की नान-मैपिंग के कारण निम्नलिखित कमियां देखी गई।

4.2.9.1 मैनुअल कैश रसीदों के साथ संगृहीत कैश और सिस्टम जेनरेटिड कैश रसीदों का मिलान न करना

नकद में संगृहीत कम एस.डी. को प्रतिदिन पंजीकरण क्लर्क द्वारा कैशबुक में दर्ज किया जाता है तथा पंजाब वित्तीय नियम (पी.एफ.आर.) के नियम 2.4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत चालान के माध्यम से कोषालय में जमा किया जाता है। आगे, पी.एफ.आर. के नियम 2.2 (v) में प्रावधान है कि कार्यालय प्रमुख को पिछले महीने के दौरान किए गए सभी प्रेषणों के लिए कोषालय से एक समेकित रसीद प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्राप्त करनी चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि कैशबुक में दर्ज राशियां वास्तव में कोषालय में जमा की गई हैं।

यदि कम एस.डी. नकद प्राप्त किया गया हो तो हैरिस ऐप्लिकेशन 'बी' बुक सृजित करने में समर्थ है। विभाग मैनुअल सिस्टम में रसीदों के साथ कंप्यूटरीकृत सृजित रसीदों तथा दैनिक आधार पर वास्तविक नकद का प्रतिदिन मिलान करने में विफल रहा जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) एस.आरज बपोली, कालका तथा पानीपत के कार्यालयों में 'बी' बुक संग्रहणों के डाटा विश्लेषण ने दर्शाया कि 94 मामलों में ₹ 80.52 लाख का अन्तरीय एस.डी. 'बी' बुक के माध्यम से वसूल किया जाना था जबकि केवल ₹ 5.69 लाख मैनुअल कैशबुक में लिया गया था। मैनुअल कैशबुक में दर्ज की गई रसीदों की प्रविष्टियों को सिस्टम जेनरेटिड कैशबुक के साथ मिलान करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 74.83 लाख की कमी हुई।

(ii) 21 एस.आरज[19] के कार्यालयों में डाटा के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि 3,212 बिक्री विलेखों में ₹ 66.55 करोड़ का एस.डी. उद्ग्राहय था। स्टाम्प पेपरों के माध्यम से ₹ 51.08 करोड़ की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 15.47 करोड़ का कम एस.डी. 'बी' बुक के माध्यम से वसूल किया जाना अपेक्षित था। परंतु हैरिस डाटाबेस ने दर्शाया कि ₹ 23.22 करोड़ का कम एस.डी. वसूल किया गया था परिणामस्वरूप ₹ 53 तथा ₹ 9,69,310 के मध्य श्रृंखलित ₹ 7.75 करोड़ के एस.डी. की अधिक वसूली हुई।

[19] एस.आरज: गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), झज्जर (बहादुरगढ़), कुरूक्षेत्र (लाडवा, पेहोवा), महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल (अटेली), पंचकूला (कालका), पानीपत (बपोली, मडलौडा, समालखा), रोहतक (कलानौर, सांपला) तथा सिरसा (नाथूसारी चोपटा)।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने उत्तर दिया कि इस प्रकार के मामले एस.आरज/ जे.एस.आरज द्वारा 'बी' बुक रसीदों को मैनुअली जारी करना बंद करके सुलझाया जा सकता है (नवंबर 2014)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग को मैनुअल कैश रसीदों के साथ संगृहीत कैश और सिस्टम जेनरेटिड कैश रसीदों का मिलान दैनिक आधार पर करना चाहिए।

(iii) विभाग के व्यापार नियम के अनुसार आई.टी. ऐप्लिीकेशन द्वारा वैधता नियंत्रण की जानी अपेक्षित है कि क्रेता से स्टाम्प पेपर और नकद के माध्यम से, यदि कोई हो, वसूल किया गया एस.डी. तो ऐप्लिकेशन द्वारा परिकलित एस.डी. से कम नहीं है। ऐप्लिकेशन, कैश में प्राप्त एस.डी. के मामले में 'बी' बुक रसीद सृजित करने में सक्षम है।

हमने पाया कि सिस्टम जेनरेटिड रसीद नंबर उपयोग करने के स्थान पर आपरेटर मैनुअल 'बी' बुक से रसीद नंबर दर्ज कर रहे थे। रसीद नंबर फील्ड में डिजाइन की गई किसी विशिष्ट शर्तों के अभाव के कारण हमने पाया कि 19 एस.आरज[20] में 4,327 मामलों में समान तारीख को समान 'बी' बुक रसीद नंबर दो या दो से अधिक बार दर्ज किया गया था जिसने दर्शाया कि ये जाली नंबर सिस्टम में केवल आगे प्रोसीड करने के लिए ही दर्ज किए गए थे।

यह इंगित किए जाने पर, सरकार ने उत्तर दिया कि कैश रसीदें जारी करने की मैनुअल प्रणाली में एकरूपता की जांच करना संभव नहीं था और एस.आरज को केवल सिस्टम जेनेरेटिड 'बी' बुक रसीद का उपयोग करना चाहिए (नवंबर 2014)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मैनुअल सिस्टम को बंद नहीं किया गया है और प्रत्येक लेन-देन के लिए यूनिक नंबर सुनिश्चित करने के लिए सरकार को उपयुक्त यंत्रावली बनाने की आवश्यकता है।

4.2.9.2 मैनुअल प्रक्रियाओं पर निरंतर निर्भरता

हैरिस ऐप्लिकेशन, स्टाम्प पेपर/'बी' बुक, आर.एफ. एवं पास्टिंग फीस के माध्यम से देय तथा वसूल किए गए एस.डी. के प्रोसेस्ड वित्तीय आंकड़ों को कैप्चर एवं स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐप्लिकेशन इन डाटा पर आधारित कुछ रिपोर्टों (एनडोर्समैंट, कैशबुक, स्टेटमैंट संख्या 1 एवं 3, 'बी' बुक डिटेल्स इत्यादि) को जेनरेट करने में भी सक्षम है।

हमने देखा कि आर.एफ. एवं 'बी' बुक रसीदें निरंतर मैनुअली तैयार कर जारी की जा रही थी जिसने दर्शाया कि आई.टी. ऐप्लिकेशन पर निर्भरता की कमी थी।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने उत्तर दिया कि मैनुअल रसीदों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कड़े अनुदेश जारी करने की आवश्यकता है (नवंबर 2014)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, आई.टी. लेखापरीक्षा के परिणामों पर चर्चा की गई थी। सिस्टम में कमियों जैसे गलत ऑप्शन का चयन, आपरेटरों द्वारा गलत डाटा एंट्री, बिक्री विलेखों का गलत वर्गीकरण, द्वितीय संपत्ति के ब्यौरे न लेना, माप इकाइयों का अपरिवर्तन, नगरपालिका सीमाओं में कृषीय-भूमि का हस्तांतरण तथा क्षतिपूर्ति के विरूद्ध भूमि का क्रय इत्यादि को स्वीकार करते समय सरकार ने एन.आई.सी. को सॉफ्टवेयर में कमियों को ठीक करने तथा उपयुक्त जांच लागू करने का अनुरोध किया (जनवरी 2015)। आगे सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई राशि की वसूली करने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए। मैनुअल कैश

[20] एस.आरज: बहादुरगढ़, गुड़गांव (फारूखनगर, मानेसर), कुरूक्षेत्र (लाडवा, पेहोवा), महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल (अटेली), पंचकूला (कालका), पानीपत (बपोली, मडलौडा, समालखा), रोहतक (कलानौर, सांपला) तथा सिरसा।

रसीदों के साथ संगृहीत कैश तथा सिस्टम जेनरेटिड कैश रसीदों के अमिलान के संबंध में सरकार ने निर्देश जारी किए कि भविष्य में, बी बुक के माध्यम से कोई राशि जमा नहीं की जानी चाहिए तथा स्टाम्प शुल्क की कम जमा कराई गई सभी राशियों को सरकारी खजाने में केवल चालान के माध्यम से जमा करवाया जाए। तथापि, निर्धारण प्राधिकारियों तथा एन.आई.सी. द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही प्रतीक्षित है।

4.2.10 निष्कर्ष

अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण के परिणामस्वरूप बिक्री विलेखों का गलत वर्गीकरण, महत्वपूर्ण क्षेत्रों का खाली छोड़ा जाना, निर्माण वर्ष का गलत इनपुट, जंक डाटा की स्वीकृति तथा दूसरी संपत्ति के विवरण का न लेना, हुए। प्रोसेसिंग नियंत्रणों के अभाव के परिणामस्वरूप माप इकाइयों का परिवर्तन न होना, संयुक्त संपत्ति की खरीद के मामले में उचित हिस्से की परिगणना न होना, रसीदों की अवैधता, पंजीकृत दस्तावेजों के क्रम संख्याओं में गैप, स्थल की मैपिंग न होना, किसानों द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति के विरूद्ध आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियों के प्रमुख खसरों, लेन-देन की डिजिटाईजेशन न होना, माईनस मूल्यों की स्टोरेज, एम.सी. सीमाओं के भीतर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण और हुडा क्षेत्रों में प्राथमिक प्लाटों के मामले में संपत्ति के सही मूल्य की अपरिगणना, हुए। दोहरे रसीद नंबरों की स्वीकृति तथा सिस्टम द्वारा परिगणित एस.डी. की अधिक/कम मूल्य में वसूल किए गए एस.डी. के मामले में पर्याप्त आउटपुट नियंत्रण के अभाव के कारण एक्सेप्शनल रिपोर्टों का सृजन नहीं हुआ। नकद रसीद और दैनिक कैशबुक अभी भी मैनुअली रखी जा रही है और मैनुअली रखी गई रसीदें, सिस्टम द्वारा जेनेरेटिड कैशबुक के साथ नियमित रूप से मिलान नहीं की जा रही हैं। ऐप्लिकेशन के त्रुटिपूर्ण नियंत्रण डिजाइन के लिए विभिन्न स्तरों पर मैनुअल इंटरवैन्सन की आवश्यकता हुई और मानवीय गलतियों का स्कोप हुआ फलस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई।

आई.टी. ऐप्लिकेशन में इनपुट, प्रोसैस और आउटपुट नियंत्रणों का अभाव था फलस्वरूप अपूर्ण तथा असंगत डाटा का सृजन हुआ, परिणामत: एस.डी. और आर.एफ. का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण हुआ।

4.2.11 सिफारिशें

सरकार विचार करे कि:

(i) उपयुक्त विकल्प, क्षेत्रों के फील्ड को खाली न छोड़ने, स्ट्रक्चर तथा दूसरी संपत्ति के ब्यौरे पूर्णतया तथा सही रूप में कैप्चर करने के अंतर्गत दस्तावेजों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए ऐप्लिकेशन में उपयुक्त नियंत्रण को जोड़कर आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना;

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोसेसिंग सही, पूर्ण और यूनीक है जैसे मापक इकाइयों का समक्रमण, क्रेताओं के कुल हिस्सों की वैधता एम.सी. सीमा के भीतर/बाहर आने वाले क्षेत्रों की मैपिंग और दोहरे रिकार्डों की रोकथाम, ऐप्लिकेशन में लेन-देनों की प्रोसेसिंग पर उपयुक्त नियंत्रण शामिल करना;

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि त्रुटियां और अपवाद जैसे दोहरे रिकार्डों का सृजन, परिकलित और वसूल किए गए एस.डी. के मध्य विसंगति को जांच के लिए रिपोर्ट किया जाता है ताकि वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रबंधन उचित कार्रवाई कर सके, ऐप्लिकेशन में उपयुक्त आउटपुट नियंत्रण शामिल करना; तथा

(iv) कैश संग्रहण प्रणाली की प्राथमिकता के साथ जांच करना क्योंकि सिस्टम के संदर्भ में नकद एस.डी. की कम/अधिक वसूली के मामले हैं।

4.3 कलैक्टर द्वारा सर्कल दरों का निर्धारण तथा संपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण

आई.एस. अधिनियम की अनुसूची 1-ए के अनुसार दस्तावेजों के निष्पादन पर एस.डी. उदग्राहय है और आर.एफ., राज्य सरकार द्वारा नियत निर्धारित दरों पर भुगतान योग्य है। एस.डी., का भुगतान, दस्तावेजों के निष्पादकों द्वारा अंकित स्टॉम्पों या उपयुक्त मूल्य की गैर-न्यायिक स्टॉम्प लगाकर किया जाता है। अवमूल्यांकन से बचने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों/मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा कलैक्टर दरें नियत की जाती हैं।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए मार्च से जून 2014 के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी तथा 21 जिलों में से साइज मेथड (रिप्लेसमैंट के बिना) से आनुपातिक संभाव्यता लागू कर रेंडम सैंपल सलेक्शन आधार पर चयनित सात[21] जिले कवर किए गए। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

4.3.1 कलैक्टर दर सूची में खसरा नंबरों को न लिखना

(i) उत्कृष्ट भूमि/कालोनियां/वार्ड/सैक्टर

नवंबर 2000 में जारी सरकारी निर्देश तथा समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य निर्देशों के अनुसार, मूल्यांकन समिति को उत्कृष्ट भूमि अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों पर स्थित भूमि, लिंक सड़कों के 2-3 एकड़ तक दायरे, विकसित कालोनियों/वार्डों/सैक्टरों के लिए पृथक दरें तय करनी होती है और स्टॉम्प डयूटी के अपवंचन को रोकने के लिए कलैक्टर की दर सूची में खसरा नंबर लिखने होते हैं। उसके बाद, ये दरें पंजीकरण प्राधिकारी को उनके मार्ग-निर्देश के लिए भेज दी जाती हैं। सर्कल दरों के निर्धारण हेतु सरकार द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

मार्च और जून 2014 के मध्य छ: जिलों[22] के कलैक्टर-सह-जिला राजस्व अधिकारी और उप/संयुक्त उप रजिस्ट्रार के कार्यालयों में वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान कलैक्टर दरों के रिकार्डों और बिक्री विलेख से संबंधित रिकार्डों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि उत्कृष्ट भूमि/कालोनियों/वार्डों की दरें 'मूल्यांकन समिति' द्वारा नियत कर दी गई थी परन्तु विभाग ने प्रमुख भूमि और कालोनियों/वार्डों/सैक्टरों के खसरा नंबर कलैक्टर दर सूची में चिन्हित और रिकार्ड नहीं किए। उत्कृष्ट खसरा नंबरों के अभाव में, अचल संपतियों का सही मूल्यांकन एस.डी. और आर.एफ. उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सका। आगे, रिकार्डों की संवीक्षा ने दर्शाया कि खसरा नंबरों के चिन्हीकरण तथा रिकार्ड करने का कार्य फतेहाबाद और हिसार जिले में किया गया था (कालोनियां/वार्डों/सैक्टरों को छोड़कर) शेष चार जिलों में ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया गया।

[21] अंबाला, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, पानीपत तथा यमुनानगर।

[22] अंबाला, गुड़गांव, हिसार, करनाल, पानीपत तथा यमुनानगर।

(ii) एम.सी. सीमा के भीतर आने वाली भूमि

पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा संबंधित नगर समिति से अंतिम एम.सी. खसरा नंबरों की अंततम सूची एकत्र करने तथा उसे कलेक्टर सूची में रिकार्ड किया जाना अपेक्षित है।

मार्च से जून 2014 के मध्य पांच जिलों[23] के कलैक्टर-सह-जिला राजस्व अधिकारी (डी.आर.ओ.) और उप/संयुक्त उप-रजिस्ट्रारों के कार्यालयों की 2008-09 से 2013-14 तक के वर्षों के दौरान कलैक्टर दरों और पंजीकृत बिक्री विलेख के रिकार्डों की नमूना-जांच के दौरान, हमने देखा कि एम.सी. क्षेत्र भूमि की दरें 'मूल्यांकन समिति' द्वारा निर्धारित कर दी गई थी परंतु विभाग ने एम.सी. भूमि के खसरा नंबरों को चिन्हित नहीं किया कलैक्टर दर सूची में रिकार्ड नहीं किया। एम.सी. खसरा नंबर के अभाव में अचल संपत्तियों का सही मूल्यांकन एस.डी. और आर.एफ. के प्रयोजन के लिए सत्यापित नहीं किया जा सका और इस प्रकार, अतिरिक्त स्टॉम्प डयूटी तथा एस.डी. और आर.एफ. के कम उद्ग्रहण की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2014) और बताया कि राज्य में सभी कलैक्टरों को ऐसी सड़कों पर पड़ने वाली भूमि के खसरा नंबर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

4.3.2 कलैक्टर दरों के देरी से निर्धारण के कारण स्टॉम्प शुल्क की कम प्राप्ति

नवंबर 1990 में हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कलैक्टर दरें दो वर्षों की बजाय एक वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा की जाएगी। इस प्रकार निर्धारित दरें संबंधित वर्ष की एक अप्रैल से लागू होंगी।

मार्च से जून 2014 के मध्य पांच जिलों[24] के कलैक्टर-सह जिला राजस्व अधिकारी (डी.आर.ओ.) और उप/संयुक्त उप रजिट्रारों के कार्यालयों की वर्ष 2008-09 से 2013-14 के लिए कलैक्टर दरो के रिकार्ड और अन्य रिकार्ड की नमूना-जांच के दौरान, हमने देखा कि कलैक्टर दरें नियत की गई और संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल की बजाए 15 अप्रैल/25 सितंबर के मध्य लागू किए गए (अंबाला और हिसार को छोड़कर) और ये दरें 10 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई। तत्रैव निर्देशों के अनुसार, सरकार द्वारा कलैक्टर दरों का समय पर निर्धारण से ₹ 23.73 करोड़ की स्टॉम्प डयूटी के रूप में अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जा सकता था।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने बताया (अगस्त 2014) कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को दरों के कार्यान्वयन के लिए कोई कड़ा नियम नहीं है। तत्रैव निर्देशों के अनुसार उत्तर सही नहीं है।

4.3.3 बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड न करना

मार्च और जून 2014 के मध्य सात जिलों के कलैक्टर सह जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालयों की 2008-09 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए कलैक्टर दरों के रिकार्ड और अन्य संबंधित रिकार्डों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि छः जिलों[25] में कलैक्टोरेट कार्यालय

23 अंबाला, गुड़गांव, हिसार, करनाल तथा पानीपत।

24 फतेहाबाद, गुड़गांव, करनाल, पानीपत तथा यमुनानगर।

25 अंबाला, फतेहाबाद, गुड़गाव, करनाल, पानीपत तथा यमुनानगर।

द्वारा सर्कल दरों के निर्धारण के संबंध में बैठक के कार्यवृत रिकार्ड नहीं किए गए, अत: ऐसी बैठकों में निर्धारित दरों को सुनिश्चित करना संभव नहीं था।

मार्च से जून 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, संबंधित डी.आर.ओज ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया।

4.3.4 कलैक्टरों को भेजे अवमूल्यांकन के लंबित मामलों का निपटान/वसूली न करना

(i) कलैक्टर द्वारा, संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करने के बाद, संक्षिप्त इंक्वायरी किया जाना अपेक्षित है, जैसा भी वह उचित समझे और संपत्ति का मूल्य निर्धारण करने के बाद संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय त्रुटिपूर्ण शुल्क की राशि निर्धारित कर सकता है। मामले के अंतिम होने के बाद दस्तावेज संबंधित पंजीकरण अधिकारी को वापस किए जाते हैं। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टरों को भेजे गए लंबित मामलों के निपटान निर्णय छ: महीने के भीतर करने के लिए अप्रैल 2013 में निर्देश जारी किए थे। आगे, इन आदेशों के जारी करने के प्राप्त समान मामलों को उनकी प्राप्ति की तिथि से दो महीने के भीतर निपटान करने के लिए नवंबर 2013 में भी निर्देश जारी किए गए थे।

छ: जिलों में 19 कलैक्टरों[26] (एस.डी.एम.-सह-कलैक्टर और डी.आर.ओज जिन्होंने धारा 47-ए के अंतर्गत भेजे गए मामलों का निर्णय करने के लिए शक्तियां प्रदान की थी) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि अवमूल्यन के 9,802 मामले मार्च 2009 और मार्च 2014 के मध्य निर्णय के लिए कलैक्टरों के पास भेजे गए थे, जिनमें से 7,227 मामलों का निपटान कर दिया गया और शेष ₹ 35.77 करोड़ के 2,575 मामले उपर्युक्त निर्देशों के जारी करने के बावजूद निर्णय के लिए लंबित थे।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अगस्त 2014 में बताया कि आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत मामलों को अंतिम करने के लिए सभी कलैक्टरों को निदेश जारी किए गए थे।

(ii) 18 एस.आरज के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 2009-10 से 2013-14 के मध्य संबंधित कलैक्टरों द्वारा 7,227 निर्णय किए गए मामलों में से 757 मामलों में ₹ 13.93 करोड़[27] के मूल्य की वसूली अभी तक नहीं की गई थी।

[26] एस.डी.ओज: बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, हथीन, होडल, कुरूक्षेत्र, पलवल, पानीपत, पटौदी, पेहोवा, रातिया, समालखा, शाहबाद, सोहना तथा टोहाना। डी.आर.ओज: फरीदाबाद, फतेहाबाद, कुरूक्षेत्र तथा पानीपत।

[27] एस.आरज: बल्लभगढ़: ₹ 1.57 करोड़ (120 मामले), भट्टू कलां: ₹ 0.04 करोड़ (20 मामले), भूना: ₹ 0.01 करोड़ (5 मामले), फरीदाबाद: ₹ 1.50 करोड़ (78 मामले), फतेहाबाद: ₹ 0.31 करोड़ (89 मामले), गुड़गांव: ₹ 6.37 करोड़ (66 मामले), हथीन: ₹ 0.20 करोड़ (75 मामले), होडल: ₹ 0.28 करोड़ (43 मामले), जाखल: ₹ 1.17 करोड़ (24 मामले), लाडवा: ₹ 0.02 करोड़ (6 मामले), मानेसर: ₹ 0.89 करोड़ (67 मामले), पलवल: ₹ 0.07 करोड़ (17 मामले), पानीपत: ₹ 0.06 करोड़ (14 मामले), पटौदी: ₹ 0.16 करोड़ (10 मामले), पेहोवा: ₹ 0.51 करोड़ (52 मामले), शाहबाद: ₹ 0.02 करोड़ (8 मामले), थानेसर: ₹ 0.54 करोड़ (35 मामले) तथा टोहाना: ₹ 0.20 करोड़ (28 मामले)।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने जुलाई 2014 में बताया कि बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

4.3.5 अचल संपत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

मई 2010 में जारी सरकारी आदेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क बेची जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य पर उद्गृहीत की जाएगी न कि खरीददार तथा विक्रेता के मध्य माने गए मूल्य के आधार पर। यदि पंजीकरण अधिकारी के पास इस आशय का कोई प्रमाण है कि सम्पत्ति अथवा प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के पश्चात् मूल्य अथवा प्रतिफल, जैसा भी मामला हो, तथा उचित देय शुल्क के निर्धारण हेतु कलैक्टर के पास भेज सकता है।

एस.आरज/जे.एस.आरज के 17 कार्यालयों[28] के वर्ष 2010-2011 से 2012-2013 के अभिलेखों की अप्रैल 2011 से नवंबर 2013 के मध्य नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 25 मामलों में पंजीकरण प्राधिकारियों ने पहले ही पार्टियों के मध्य मानी गई दरों के आधार पर ₹ 1.25 करोड़ पर भूमि के मूल्य का निर्धारण किया तथा ₹ 9.34 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया किंतु दस्तावेजों के पंजीकरण के समय लागू कलैक्टर दर के अनुसार अचल संपत्ति का वास्तविक मूल्य ₹ 16.07 करोड़ था तथा ₹ 91.23 लाख का एस.डी. उद्ग्राहय था, परिणामस्वरूप ₹ 81.89 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

हमारे द्वारा जून 2011 और दिसंबर 2013 के मध्य ये मामले इंगित किए जाने के पश्चात् 13 एस.आरज/जे.एस.आरज[29] ने मई 2011 तथा दिसंबर 2013 के मध्य बताया कि मामले बिक्री विलेखों में उल्लिखित संपत्ति के सही मूल्य का निर्धारण करने के लिए कलैक्टर के पास भेजे गए थे। एस.आर. हिसार तथा बालसमंद ने फरवरी 2014 में बताया कि मामले कलैक्टर के पास भेजे जाएंगे। हमें एस.आरज हथीन तथा रादौर से उत्तर तथा वसूली पर आगामी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवंबर 2014)।

4.3.6 रिकार्ड का अनुचित अनुरक्षण

दस्तावेजों के अवमूल्यन रोकथाम हरियाणा स्टॉम्प नियम, 1978 के नियम-6 में प्रावधान है कि आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत मामले कलैक्टरों द्वारा रजिस्टर में निर्धारित प्रोफार्मा-3 में दर्ज किए जाएंगे ताकि मामलों के पूर्व विवरण रजिस्टर में दर्ज किए जा सके। निर्णयादेश भी इस रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। उसके कार्यालय में रखे जाने वाला निर्धारित प्रोफार्मा-4 में आवश्यक प्रविष्टियां करने में उसे समर्थ बनाने तथा इसे संबंधित व्यक्ति को सूचित करने के लिए संबंधित पंजीकरण अधिकारी (एस.आरज/जे.एस.आरज) को कलैक्टर द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेशों की प्रति प्रेषित की जाएगी।

कुरूक्षेत्र, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव और फतेहाबाद जिलों में कलैक्टरों/जे.एस.आरज/एस.आरज के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि कलैक्टरों

[28] असंध, बल्लभगढ़, बास, बालसमंद, बिलासपुर, छछरौली, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हथीन, हिसार, करनाल, कालका, कुरूक्षेत्र, नीलोखेड़ी, रादौर, रतिया तथा रायपुररानी।

[29] असंध, बल्लभगढ़, बास, बिलासपुर, छछरौली, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कालका, करनाल, कुरूक्षेत्र, नीलोखेड़ी, रायपुररानी तथा रतिया।

तथा जे.एस.आरज और एस.आरज द्वारा ये रजिस्टर निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं रखे जा रहे थे। इन रजिस्टरों के निर्धारित प्रोफार्मा में न रखे जाने के कारण निर्णय किए गए मामलों के संबंध में सूचना मॉनीटर नहीं की जा सकी तथा वसूली के मामलों पर भी उचित जांच नहीं रखी जा सकी। हमने यह भी देखा कि एस.आरज/जे.एस.आरज द्वारा रजिस्टर में मामलों के निपटान का रिकार्ड न रखने के कारण कलैक्टरों और एस.आरज/जे.एस.आरज के कार्यालयों में लंबित मामलों में अंतर था। कलैक्टरों के रिकार्ड के अनुसार ₹ 35.77 करोड़ की राशि के 2,575 मामले 31 मार्च 2014 को लंबित थे जबकि एस.आरज/जे.एस.आरज के रिकार्ड के अुनसार 31 मार्च 2014 को ₹ 70.47 करोड़ की राशि के 5,380 मामले लम्बित थे। अत: ₹ 34.71 करोड़ की राशि के 2,805 मामलों का बड़ा अंतर था।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अगस्त 2014 में बताया कि सभी कलैक्टरों को धारा 47-ए के अंतर्गत मामलों के लिए रजिस्टर अनुरक्षित करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे।

इस प्रकार विभाग कलैक्टर रेट लिस्ट में एम.सी. सीमा के भीतर आने वाली भूमि तथा प्राइम भूमि/कालोनियों/वाडों/सैक्टरों के खसरा नंबर की पहचान तथा रिकार्ड करने में विफल रहा तथा दो माह के भीतर कलैक्टरों द्वारा निर्णीत मामलों के अनुदेशों का अनुसरण भी नहीं किया परिणामस्वरूप 782 मामलों में ₹ 14.75 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

4.4 बिक्री विलेखों का संयुक्त अनुबंध में गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम) की धारा 2(10) प्रावधान करती है कि 'हस्तांतरण' में बिक्री तथा प्रत्येक दस्तावेज जिसके द्वारा चल या अचल सम्पत्ति एक जीवित व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित की जाती है, सम्मिलित है तथा जो अधिनियम की अनुसूची-1 ए द्वारा विशेष रूप से अन्यथा प्रदान नहीं की जाती है। आगे, सम्पत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार 'बिक्री', प्रदत्त अथवा प्रतिज्ञात अथवा आंशिक प्रदत्त अथवा आंशिक प्रतिज्ञात मूल्य हेतु विनिमय में स्वामित्व का हस्तांतरण है। दस्तावेज का वर्गीकरण उसमें दर्ज लेन-देनों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि चार जिलों[30] से संबंधित 10 संयुक्त अनुबंध उस भूमि, जिस पर भूमि की बिक्री से अनावेष्टित समझौते के प्रकरण में लागू अनुसार ₹ 1,300 का स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) उद्गृहीत किया गया था, के संबंध में जनवरी 2011 तथा नवंबर 2012 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। इन समझौतों की जांच ने आगे प्रकट किया कि भू-स्वामियों ने विकसित भूमि का एक हिस्सा प्राप्त करने तथा/या आंशिक अदायगी प्राप्त करने हेतु डेवल्परों को शॉप-कम-फ्लैटस एवं आवासीय मकानों का निर्माण, बिल्टअप करने के अधिकार सहित भूमि का आधिपत्य लेने हेतु अधिकृत किया। डेवल्परज विकसित भूमि के अपने हिस्सों का निपटान ऐसे ढंग से करने हेतु हकदार थे जैसा कि वे मालिकों से कोई सहमति प्राप्त किए बिना उचित समझें। अत:, विकास का अधिकार/संयुक्त अनुबंध हस्तांतरण विलेख थे और डेवल्पर के भूमि के हिस्से के संबंध में सम्पत्ति के विक्रय पर एस.डी. भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे। कलैक्टर द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार डेवल्परों को हस्तांतरित कृषीय भूमि का कुल मूल्य ₹ 45.89 करोड़ परिकलित किया गया जिस पर ₹ 2.32 करोड़ का एस.डी.

[30] एस.आरज: असंध (करनाल), गुड़गांव, झज्जर तथा पानीपत।

उद्ग्राहय था। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने ₹ 2.32 करोड़ के बजाए ₹ 1,300 का एस.डी. प्रभारण करते हुए बिक्री के अनुबंध के रूप में इन दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.32 करोड़ के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

दिसंबर 2011 और अक्तूबर 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर एस.आरज असंध (करनाल) और झज्जर ने क्रमश: मार्च 2012 और फरवरी 2014 में बताया कि मामले आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर को भेजे गए थे। हमें शेष मामलों में वसूली पर आगामी प्रगति रिपोर्ट तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को सूचित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवंबर 2014)।

4.5 अचल सम्पत्ति के अव–मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम) की धारा 27 प्रावधान करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यत: सामने रखी जानी चाहिए। आगे, आई.एस अधिनियम की धारा 64 प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति, जो सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से दस्तावेज निष्पादित करता है जिसमें सभी अपेक्षित तथ्य एवं परिस्थितियां, पूर्णतया तथा सत्य रूप से सामने नहीं रखे गए हैं, जुर्माना, जो प्रति दस्तावेज ₹ 5,000 तक बढ़ाया जा सकता है, सहित दंडनीय है।

15 पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि ₹ 6.58 करोड़ मूल्य की अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु 42 हस्तान्तरण विलेख फरवरी 2010 तथा अक्तूबर 2013 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। संबंधित पार्टियों के मध्य निष्पादित अनुबंधों के साथ इन विलेखों के क्रॉस सत्यापन ने प्रकट किया कि इन अनुबंधों का कुल विक्रय मूल्य ₹ 12.36 करोड़ परिकलित किया गया था परिणामस्वरूप अचल सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.91 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों में गलत सूचना के लिए अधिकतम ₹ 2.05 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राहय थी।

जुलाई 2011 और नवंबर 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर एस.आर. होडल ने जून 2014 में बताया कि ₹ 73,833 की एक राशि वसूल कर ली गई और अन्य सभी जे.एस.आरज/एस.आरज ने फरवरी 2013 और जून 2014 के मध्य बताया कि मामले निर्णय के लिए कलैक्टर के पास दिसंबर 2011 और फरवरी 2014 के मध्य भेजे गए थे और बकाया राशि को वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। पेनल्टी उद्ग्रहण के लिए की गई कार्रवाई तथा वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

4.6 अचल सम्पत्ति की गलत दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

बिक्री विलेखों में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) का अपवंचन रोकने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को नवम्बर 2000 में इस प्रभाव के अनुदेश जारी किए कि नगरपालिका सीमाओं के भीतर 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाली अथवा उस मामले में, जहां क्रेता एक से अधिक हैं तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, बेची गई भूमि

एस.डी. के उद्ग्रहण के प्रयोजन हेतु उस स्थान की आवासीय सम्पत्ति के लिए नियत दर पर मूल्यांकित की जाए।

मई 2011 तथा फरवरी 2013 के मध्य 18 पंजीकरण कार्यालयों[31] के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि उपर्युक्त अधिसूचना के पैरामीटर के भीतर आने वाले प्लॉटों के 77 बिक्री विलेख मार्च 2010 तथा मार्च 2012 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। विलेख, आवासीय क्षेत्रों के लिए नियत दरों पर आधारित ₹ 15.28 करोड़ के लिए निर्धारित किए जाने थे और ₹ 91.45 लाख का एस.डी. प्रभार्य था। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषीय भूमि हेतु नियत दरों पर आधारित ₹ 4.70 करोड़ हेतु विलेख निर्धारित किए तथा ₹ 29.48 लाख का एस.डी. उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.97 लाख के एस.डी. का कम उद्ग्रहण हुआ।

मई 2011 और फरवरी 2013 के मध्य हमारे द्वारा ये मामलें इंगित किए जाने के बाद, सभी जे.एस.आरज/एस.आरज ने अगस्त 2011 और जून 2014 के मध्य बताया कि मामले कलैक्टर को भेजे गए थे तथा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मामला सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

4.7 स्टाम्प शुल्क में कटौती के माध्यम से अदेय लाभ

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम) के अंतर्गत नवंबर 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने निष्पादकों के पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पत्नी के पक्ष में निष्पादित स्वयं अधिगृहीत अचल संपत्ति के हस्तान्तरण के दस्तावेजों के संबंध में एक प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) कम किया।

जून और नवंबर 2013 के मध्य उप-रजिस्ट्रार (एस.आर.) के नौ कार्यालयों[32] में वर्ष 2012-13 के लिए गिफ्ट डीडज के पंजीकृत दस्तावेजों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, हमने देखा कि गिफ्ट डीडज के 83 दस्तावेज सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना में अनुमत किए गए से अन्य व्यक्तियों के संबंध में निष्पादित किए गए थे। पंजीकरण प्राधिकारियों ने आदाताओं को एक प्रतिशत एस.डी. की छूट की अनुमति दे दी जो सरकार के उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन में थी। इस प्रकार एस.डी. में कटौती के द्वारा अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप ₹ 19.93 लाख के राजस्व की राजकोष में हानि हुई।

जून और नवंबर 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर एस.आरज पंचकूला और उकलाना ने फरवरी 2014 में बताया कि अगस्त 2013 और जनवरी 2014 के मध्य पांच मामलों में ₹ 34,250 की राशि वसूल कर ली गई थी और शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सात एस.आरज[33] ने फरवरी 2014 में बताया कि आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए मामले कलैक्टर को भेजे गए थे। पंजीकृत प्राधिकारियों के उत्तर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये मामले कलैक्टर को क्यों भेजे गए थे जबकि निर्णय के लिए इन मामलों को कलैक्टर को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्वयं अधिगृहीत

31 अंबाला छावनी, अंबाला शहर, भिवानी, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, जुलाना, लोहारू, महेन्द्रगढ़, नारायणगढ़, नीलोखेड़ी, पानीपत, सफीदों, समालखा, सांपला, सोनीपत, सिरसा, टोहाना तथा उचाना।

32 एस.आरज: बल्लभगढ़, बरवाला, गुड़गांव, हिसार, मानेसर, पंचकूला, रायपुररानी, सोहना तथा उकलाना।

33 एस.आरज: बल्लभगढ़, बरवाला, गुड़गांव, हिसार, मानेसर, रायपुररानी तथा सोहना।

अचल-संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एस.डी. में कटौती के संबंध में अधिसूचना में यह स्पष्टत: निर्दिष्ट था। वसूली पर आगे प्रगति सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

4.8 कपटपूर्ण डिक्रियों[34] पर स्टॉम्प शुल्क की छूट

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अन्तर्गत किसी डिक्री को हस्तांतरित करने अथवा सौंपने वाले गैर-वसीयती दस्तावेज अथवा न्यायालय का आदेश अथवा कोई निर्णय, जब ऐसी डिक्री अथवा आदेश अथवा निर्णय, अचल सम्पत्ति को अथवा में, ₹ 100 एवं अधिक मूल्य के, चाहे निहित अथवा आकस्मिक, चाहे वर्तमान अथवा भविष्य में, कोई अधिकार, स्वामित्व अथवा हित हो, सृजन, घोषणा, सौंपने, सीमित करने अथवा बढ़ाने हेतु परपोर्ट अथवा परिचालित किया जाता है, आवश्यक रूप से पंजीकरणयोग्य दस्तावेज हैं। इस प्रकार, समझौता डिक्री[35], जो प्रामाणिक[36] नहीं है, हस्तांतरण के दस्तावेज के रूप में प्रभारित होने के लिए उत्तरदायी है। वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ने सितंबर 1996 में सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए कि समझौता डिक्री, जो प्रामाणिक नहीं है, के आधार पर पंजीकृत परिवर्तित सम्पत्ति भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1-ए के अनुसार हस्तांतरण के दस्तावेज के रूप में प्रभारित होने के लिए उत्तरदायी है। उप-रजिस्ट्रारों (एस.आरज) को प्रत्येक दस्तावेज की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए कहा गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि स्टॉम्प शुल्क (एस.डी.) के अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई प्रयास नहीं किया गया है तथा उसे अधिनियम के अन्तर्गत समुचित रूप से स्टाम्प किया गया है।

चार एस.आरज/जे.एस.आरज[37] के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, हमने देखा कि छ: समझौता डिकरीज जो प्रमाणिक नहीं थी, का पंजीकरण मई 2010 और जनवरी 2012 के मध्य ₹ 3.57 करोड़ के कुल प्रतिफल पर, स्टॉम्प डयूटी प्रभारित किए बिना किया गया था। इन पार्टियों ने एस.डी. के अपवंचन के लिए कोल्यूसिव डिकरीज प्राप्त की थी। पंजीकरण प्राधिकारियों ने उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना नहीं की तथा इस तथ्यों की पुष्टि किए बिना कि परिवर्तित संपत्तियां रक्त संबंधियों के मध्य निष्पादित की गई थी, एस.डी. के भुगतान से छूट की अनुमति दे दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.06 लाख के एस.डी. की अनियमित छूट दी गई।

जुलाई 2011 और जनवरी 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, एस.आरज पेहोवा, पुंडरी तथा थानेसर ने जनवरी 2012 और फरवरी 2014 के मध्य बताया कि निर्णय हेतु मामले अक्तूबर 2011 और जनवरी 2012 के मध्य कलैक्टर को भेजे गए थे। जे.एस.आर. पिल्लूखेड़ा ने अक्तूबर 2012 में बताया कि बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2014)।

34 कपटपूर्ण डिक्री का मतलब-झूठी गुप्त सहमति पर पार्टियों द्वारा प्राप्त की गई डिक्री।

35 आपसी सहमति द्वारा सम्पत्ति का समाधान।

36 जो रक्त संबंध से संबंधित हैं।

37 एस.आरज: पेहोवा (कुरूक्षेत्र), पुंडरी, थानेसर तथा जे.एस.आर: पिल्लूखेड़ा।

अध्याय 5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1.1 कर प्रबंध

5.1.1.1 यात्री एवं माल कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू, पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं। विभाग का समग्र प्रभार आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा, चंडीगढ़ के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सीज) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है। माल तथा यात्रियों को ले जाने वाले सभी मोटर वाहन संबंधित जिले, जिसमें वाहनों के मालिक का आवास अथवा व्यापार का स्थल है जहां राज्य में वाहन सामान्यत: रखे जाते हैं, के ए.ई.टी.ओ. के पास पंजीकृत करवाए जाने अपेक्षित हैं।

5.1.1.2 वाहनों पर कर

यात्री एवं माल कर के लिए मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राईविंग/कण्डक्टर लाईसैंसों का निर्गम, टोकन कर, परमिट फीस, लाईसैंस फीस इत्यादि के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया है तथा राज्य में एम.वी. अधिनियम/नियमों के प्रबंध हेतु उत्तरदायी है और परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करता है, द्वारा सहायता प्राप्त है। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 57 उप-मंडल कार्यालयों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग 21 सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.एज) द्वारा किया जा रहा है।

5.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में, टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स, पंजीकृत फीस, परमिट फीस, ड्राइविंग लाइसेंस फीस, कंडक्टर लाइसेंस फीस, पेनल्टीज तथा नेशनल परमिट स्कीम के अंतर्गत संयुक्त फीस से संबंधित 67 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 2,631 मामलों में ₹ 4.03 करोड़ से आवेष्टित कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई जो **तालिका 5.1** में निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
क: परिवहन विभाग (वाहनों पर कर)			
1	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली		
	• भारी/हल्के परिवहन वाहनों के मालिकों से परमिट/प्रतिहस्ताक्षर फीस	234	0.12
	• अन्य राज्यों से अन्तरित वाहनों पर पंजीकरण फीस तथा टोकन टैक्स	58	0.01
2	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली		
	• बोली धन	23	0.36
	• स्टेज कैरेज बसों/कम्बाइन हारवेस्टर्ज इत्यादि के संबंध में टोकन/रोड टैक्स	84	0.15
	• प्राइवेट वाहनों से टोकन टैक्स	323	0.24
	• सहकारी परिवहन समितियों/शैक्षणिक संस्थाओं से यात्री कर	437	2.01
	• माल कर	775	0.45
3	विविध अनियमितताएं	697	0.69
	योग	**2,631**	**4.03**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 176 मामलों में ₹ 39.81 लाख के अवनिर्धारण तथा कमियां स्वीकार की, जिनमें से 74 मामलों में आवेष्टित ₹ 13.59 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षो में इंगित किए गए 102 मामलों में ₹ 26.22 लाख वसूल किए थे।

₹ 62.42 लाख से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

यात्री एवं माल कर

5.2 सिटी बस आपरेटरों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली

पंजाब यात्री एवं माल कराधान (पी.पी.जी.टी.) (हरियाणा संशोधन) नियम, 2004 की धारा 9(2ई), जैसा कि 24 फरवरी 2004 से प्रभावी है, में प्रावधान है कि फरीदाबाद एवं गुड़गांव जिलों में नगर निगम सीमा के भीतर सड़कों पर बसें चलाने के लिए परमिट धारकों द्वारा

निर्धारित दरों[1] पर यात्री कर भुगतान किया जाना अपेक्षित है। आगे, अधिनियम की धारा 14(बी) के अनुसार, जहां निर्धारित समय के भीतर किसी कर अथवा पेनल्टी का भुगतान नहीं किया जाता, वाहन का मालिक कर की राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिए अगस्त 2012 तथा सितंबर 2013 के मध्य डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) फरीदाबाद (पूर्व) तथा गुड़गांव के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 240 प्राइवेट बस आपरेटरों को, शहरी क्षेत्रों में बसें चलाने के लिए परमिट दिए गए थे, जिसमें से 53 प्राइवेट बस आपरेटरों ने अप्रैल 2011 और मार्च 2013 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए मासिक यात्री कर जमा नहीं करवाया। विभाग ने चूककर्ता बस मालिकों से कर वसूल करने के लिए कोई कार्रवाही की थी यह दर्शाने के लिए वहां रिकार्ड में कुछ नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.47 लाख के कर की अवसूली/कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2011 तथा मार्च 2013 के मध्य अवधि के लिए ₹ 10.20 लाख की राशि का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

अगस्त 2012 तथा सितंबर 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) फरीदाबाद ने मई 2014 में बताया कि ₹ 1.18 लाख की राशि अगस्त 2012 तथा दिसंबर 2013 के मध्य वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) गुड़गांव ने दिसंबर 2013 में बताया कि यात्री एवं माल कर की वसूली के लिए चूककर्ता वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए गए थे। ब्याज उद्ग्रहण की वसूली तथा कृत कार्रवाई की आगे प्रगति हमें प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

5.3 टैक्सी/मैक्सी मालिकों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली

पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 9 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत पांच सीट वाली टैक्सी कार पर ₹ 3000 प्रति वर्ष की दर पर तथा सात सीटर से 12 सीटर मैक्सी कैब पर ₹ 100 प्रति सीट प्रति माह की दर पर यात्री कर उद्ग्राहय है। कर, समान त्रैमासिक किश्तों में, तिमाही जिससे भुगतान संबंधित हो, के आरंभ से 30 दिनों के अंदर भुगतान योग्य है। चूक के मामले में पेनल्टी तथा ब्याज उद्ग्राहय है।

[1] साधारण हाफ बॉडी तथा साधारण फुल बॉडी बसों के लिए क्रमशः ₹ 4,200 तथा ₹ 7,000 प्रति माह। ईंधन के रूप में कम्प्रैस्ड नेचुरल गैस वाली साधारण फुल बॉडी बसों पर ₹ 8,000 प्रति माह की दर पर यात्री कर उद्गृहीत किया जाता है।

हाफ बॉडी का अर्थ है एक बहुप्रयोजन, जो एक मैक्सी कैब नहीं है तथा एक फुल बॉडी बस नहीं है तथा फुल बॉडी बस का अर्थ है एक बहुप्रयोजन जिसकी क्षमता 35 से अधिक परंतु 54 से अधिक नहीं, व्यक्तियों को ले जाने के लिए साधारण 3X2 बैठने की व्यवस्था के साथ तथा 12 से अधिक परंतु 35 व्यक्तियों से अधिक नहीं व्यक्तियों को ले जाने के लिए लग्जरी 2X2 बैठने की व्यवस्था के साथ होगी।

उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त (यात्री एवं माल कर) {(डी.ई.टी.सी.) (पी.जी.टी.)} के पांच कार्यालयों[2] के अभिलेखों की जनवरी 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य नमूना-जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 165 कार/मैक्सी मालिकों के संबंध में यात्री कर या तो जमा नहीं करवाया गया था या अप्रैल 2011 तथा मार्च 2013 के मध्य कम जमा करवाया गया था। कोई मांग नोटिस जारी नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.90 लाख (₹ 4.23 लाख के ब्याज[3] सहित) के कर की अ/कम वसूली हुई ।

जनवरी 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, सभी डी.ई.टी.सीज ने जनवरी 2014 में बताया कि 17 मामलों में ₹ 1.37 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हमें, वसूली तथा ब्याज उद्ग्रहण के लिए की गई कार्रवाई पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

5.4 परिवहन सहकारी समितियों की बसों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली

यात्री पथ परिवहन के निजीकरण की स्कीम के अंतर्गत, राज्य के लिंक रूटस पर चलने वाली बसों के परमिट धारकों द्वारा एकमुश्त यात्रीकर बस की सीट क्षमता के आधार पर, 52/54 सीट वाली बसों के लिए ₹ 12,000 तथा 30 सीट वाली बसों के लिए ₹ 6,000 की दर पर तथा मार्च 2007 से प्रभावी, यदि उनके रूट 24 किलोमीटर तक बढ़ाए जाते हैं तो 52/54 सीट वाली बसों के लिए ₹ 16,000 तथा 30 सीट वाली बसों के लिए ₹ 10,000 की मासिक दर पर भुगतान किया जाना अपेक्षित है। चूक के मामले में अधिनियम के अंतर्गत पेनल्टी तथा ब्याज उद्ग्राहय है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, (यात्री एवं माल कर) {(डी.ई.टी.सी.) (पी.जी.टी.)} के पांच कार्यालयों[4] के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि 54 परिवहन सहकारी समितियों ने वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान मासिक यात्री कर पूर्ण रूप में अथवा आंशिक में जमा नहीं करवाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.45 लाख के कर (₹ 1.53 लाख के ब्याज[5] सहित) की अवसूली/कम वसूली हुई।

सितंबर 2012 तथा अक्तूबर 2013 के मध्य यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) झज्जर तथा करनाल ने जनवरी तथा मार्च 2014 के मध्य बताया कि मार्च तथा दिसंबर 2013 के मध्य चार मामलों में ₹ 1.88 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सीज (पी.जी.टी.) अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व) तथा सोनीपत ने दिसंबर 2013 तथा मई 2014 के मध्य बताया कि बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हमें, वसूली तथा ब्याज उद्ग्रहण के लिए की गई कार्रवाई पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

2 भिवानी, जींद, करनाल, पंचकूला तथा रेवाड़ी।

3 मार्च 2014 तक परिकलित ब्याज।

4 अंबाला कैंट, फरीदाबाद (पूर्व), झज्जर, करनाल तथा सोनीपत।

5 मार्च 2014 तक परिकलित ब्याज।

वाहनों पर कर

5.5 परिवहन वाहनों के परमिटों का नवीकरण न करना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अनुसार, मोटर वाहन का कोई भी मालिक, क्षेत्रीय अथवा राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अथवा प्रतिहस्ताक्षरित वैध परमिट के बिना किसी सार्वजनिक स्थल पर परिवहन वाहन के रूप में वाहन का प्रयोग नहीं करेगा अथवा अनुमत नहीं करेगा चाहे ऐसा वाहन वास्तव में कोई यात्री अथवा माल ले जा रहा है अथवा नहीं। आगे, अधिनियम की धारा 81 में प्रावधान है कि परमिट की वैधता पांच वर्ष है तथा परमिट[6] के समापन की तिथि से 15 दिन पूर्व दिए गए आवेदन पर रिन्यू किया जा सकता है। वैध परमिट के बिना वाहनों को चलाने पर अधिनियम की धारा 192-ए के प्रावधान के अंतर्गत ₹ 2000 की न्यूनतम पेनल्टी लगाई जानी अपेक्षित है।

परिवहन वाहनों के परमिटों के जारी करने तथा रिन्यू करने से संबंधित वर्ष 2012-13 के लिए सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर.टी.एज) अंबाला, फरीदाबाद तथा हिसार के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि प्राधिकारियों द्वारा 96 वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में चलाने के लिए, परमिट जारी करने की तिथि से पांच वर्ष के लिए परमिट जारी किए, परंतु इन वाहनों के मालिकों ने, परमिट की वैधता की अंतिम तिथि की समाप्ति के पश्चात् भी वाहनों के परमिट रिन्यू नहीं करवाए। ये परिवहन वाहन वैध परमिटों के बिना सड़कों पर चलाए जा रहे थे। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि इन वाहनों के परमिटों के रिन्यू न करवाने के लिए कोई कारण रिकार्ड नहीं किए गए थे, न ही ये वाहन ऑफ-रोड़ घोषित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.92 लाख की न्यूनतम पेनल्टी सहित ₹ 5.40 लाख की राशि के राजस्व की उगाही नहीं हुई।

नवंबर 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य यह इंगित किए जाने पर सभी आर.टी.एज ने अप्रैल तथा अक्तूबर 2014 के मध्य बताया कि बकाया राशि वसूल करने के लिए सभी चूककर्ता मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे/जारी किए गए थे। हमें वसूली पर आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

[6] इस प्रयोजन के लिए फरवरी 1997 में पांच वर्षों के लिए भारी परिवहन वाहनों (एच.टी.वी.) के लिए ₹ 2,625 तथा हल्के परिवहन वाहनों (एल.टी.वी.) के लिए ₹ 1,750 की दर पर परमिट फीस निर्धारित की गई। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 87 में निधारित किए गए अनुसार नेशनल परमिट के लिए प्राधिकार फीस ₹ 1,000 प्रतिवर्ष है।

अध्याय 6: कर – भिन्न प्राप्तियां

6.1.1 कर प्रबंध

यह अध्याय खदान एवं भू-विज्ञान तथा परिवहन विभागों से प्राप्तियां समाविष्ट करता है। कर प्रबंध प्रत्येक विभाग के लिए अलग से तैयार किए गए अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

6.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में खदान एवं भू-विज्ञान तथा परिवहन विभाग से संबंधित 12 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 26 मामलों में ₹ 13.14 करोड़ की राशि से आवेष्टित रायल्टी की अवसूली/कम वसूली, ब्याज/विस्तारण फीस, परिवहन प्राप्तियों के अनुदग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई गई जो **तालिका 6.1** में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

तालिका 6.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	लघु खनिजों से प्राप्तियां	1	5.09
2	निम्नलिखित की अवसूली		
	• रायल्टी तथा ब्याज	19	0.27
	• संविदा धन के देरी से जमा पर ब्याज	5	0.06
3	परिवहन प्राप्तियां	1	7.72
	योग	**26**	**13.14**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 16 मामलों में आवेष्टित ₹ 16.69 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 13 मामलों में आवेष्टित ₹ 14.60 लाख वर्ष के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए तीन मामलों में ₹ 2.09 लाख वसूल किए।

₹ 12.81 करोड़ से आवेष्टित कुछ व्याख्यात्मक मामले निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं:

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

6.2 लघु खनिजों से प्राप्तियां

6.2.1 प्रस्तावना

खदान एवं खनिजों से प्राप्तियों में आवेदन फीस, लाईसेंस फीस, परमिट फीस, रायल्टी, डेड रेंट, जुर्माने एवं शास्तियां, विलंबित भुगतानों पर ब्याज, इत्यादि शामिल हैं। खनिज तेलों से अलग प्रमुख खनिजों के पूर्वेक्षण स्थल अथवा निष्कर्षण के लिए लीज तथा रियायतों की अनुमति खनिज रियायत नियम, 1960 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित एवं विनियमित की जाती है।

मुख्यालय पर निदेशक, खदान एवं भू-विज्ञान तथा खनन अधिकारियों (एम.ओज) के 16 कार्यालयों में से सात कार्यालयों[1] के वर्ष 2008-09 से 2013-14 के अभिलेखों की नमूना-जांच मार्च तथा जून 2014 के मध्य की गई थी। देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

[1] एम.ओज: भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत तथा यमुनानगर।

6.2.2 बोली धन की अवसूली/कम वसूली

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के अनुसार उत्खनन के लिए खनन ठेका नीलामी द्वारा अथवा उच्चतम बोलीदाता की निविदा स्वीकार करके स्वीकृत किया जाता है। बोलीदाता से, जहां संविदा का मूल्य ₹ पांच लाख से अधिक हो जाता है, बोली का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में और वार्षिक बोली का बारहवां भाग संविदा के आबंटन पर तुरंत अग्रिम भुगतान के रूप में जमा करवाना अपेक्षित है। भुगतान में चूक के मामले में सक्षम प्राधिकारी नोटिस देकर संविदा निरस्त तथा प्रतिभूति की राशि जब्त कर सकता है। आगे, संविदा धन की किस्त के भुगतान में चूक के अवधि हेतु, जब तक ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता, 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भी वसूलनीय है।

खनन अधिकारी, भिवानी के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि ₹ 4.43 करोड़ की उच्चतम वार्षिक बोली राशि के आधार पर 2007-08 से 2009-10 (फरवरी 2010 तक) के वर्षों के लिए पांच ठेकेदारों को लघु खनिज उत्खनन परमिट अनुमत किए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1 मार्च 2010 से खनन गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी। ठेकेदारों ने विभिन्न अवधियों के लिए ₹ 1.88 करोड़ की बोली राशि जमा नहीं करवाई। जब संविदा धन का भुगतान नहीं किया गया तो विभाग ने 10-11 माह की विलंबित अवधि के बाद संविदा को रद्द कर दिया। तीन मामलों में निविदा रद्द किए जाने की तारीख से 35 से 42 माह की विलंबित अवधि के बाद वसूली प्रमाण-पत्र भी जारी किए गए थे। विभाग द्वारा ठेकेदारों से ₹ 1.88 करोड़ का बोली धन वसूल करने के लिए समय पर कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 4.43 करोड़ (₹ 2.55 करोड़ के ब्याज[2] सहित) की राशि के बोली धन की कम वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने बताया (अक्तूबर 2014) कि सरकारी देयों को वसूल करने के लिए विभाग द्वारा सभी संभव उपाय किए गए थे तथा चूककर्ताओं से सरकारी देयों की वसूली प्रगति में थी।

6.2.3 रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

हरियाणा लघु खनिज रियायत, स्टॉकिंग, खनिज का ट्रांसपोर्टेशन नियम 30 तथा अवैध खनन की रोकथाम नियम, 2012 प्रावधान करता है कि ईट भट्ठा मालिक (बी.के.ओज) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने 20 जून 2012 से बी.के.ओज की विभिन्न श्रेणियों की नियत रायल्टी की दरें संशोधित की। चूक के मामले में 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर चूक की अवधि हेतु ब्याज प्रभार्य है। रायल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिये प्रत्येक खनन कार्यालय में बी.के.ओज रजिस्टर का रख-रखाव किया जाता है। ऐसे बी.के.ओज, जो रायल्टी का भुगतान नहीं करते, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किये जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रायल्टी और इस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है। सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ईज)/खनन अधिकारी (एम.ओज) बकाया देयों की वसूली मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

एम.ओज/ए.एम.ईज के छः कार्यालयों[3] के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 151 बी.के.ओज, जिन्हें दो वर्षों की अवधि के लिए अप्रैल 2012 तथा मार्च 2014 के मध्य

[2] मार्च 2014 तक परिकलित ब्याज।

[3] ए.एम.ईज/एम.ओज: भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

परमिट जारी किए गए थे, ने रायल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। यद्यपि, मई 2014 तक 14 से 26 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि समाप्त हो चुकी थी, अभी तक ₹ 50.94 लाख की रायल्टी का न तो बी.के.ओ. द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसे वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। परमिटों को रद्द करने तथा/या भू-राजस्व के बकायों के रूप में देयों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 15.33 लाख की राशि के ब्याज सहित ₹ 66.27 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने बताया (अक्तूबर 2014) कि ₹ 36.36 लाख (₹ 1.91 लाख के ब्याज सहित) की राशि वसूल कर ली गई थी तथा बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे।

6.2.4 खनिज परिवहन परमिटों का जारी न करना

हरियाणा लघु खनिज रियायत, स्टॉकिंग, खनिज का ट्रांसपोर्टेशन नियम, 99 एवं 100 तथा अवैध खनन की रोकथाम नियम, 2012 के अनुसार यांत्रिक रूप से या अन्यथा चलाया जा रहा तथा किसी खनिज के परिवहन के लिए प्रयुक्त किसी भी प्रकार के कैरियर ट्रांसपोर्ट को निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास, उपर्युक्त प्रयोजन तथा ऐसी अवधि जो कि राज्य के किसी हिस्से या हिस्सों के लिए अपेक्षित है, पंजीकृत करवाया जाना अपेक्षित है। इस प्रयोजन के लिए परिवहन विभाग का प्राधिकृत अधिकारी एक वर्ष के लिए ₹ 1,000 के भुगतान पर ऐसे परिवहन वाहन के मालिक को फार्म टी.पी.-2 में खनिज परिवहन परमिट जारी करेगा। परमिट स्टीकर के रूप में होगा।

सात एम.ओज[4] के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि नियम के अंतर्गत अपेक्षितानुसार कोई खनिज परिवहन परमिट जारी नहीं किया गया। इस प्रकार, विभाग, खनिज परिवहन परमिट के जारी करने के कारण वसूल किए जाने वाले राजस्व से वंचित रहा। खनिज परिवहन में संलग्न वास्तविक वाहनों की संख्या के अभाव में वास्तविक प्राप्ति परिकलित नहीं की जा सकी।

इस प्रकार पांच ठेकेदारों से बोली धन वसूल करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.43 करोड़ (₹ 2.55 करोड़ के ब्याज सहित) का बोली धन कम वसूल हुआ तथा ₹ 66.27 लाख की रायल्टी एवं ब्याज 151 बी.के.ओज से वसूल नहीं किया गया था।

यह इंगित किए जाने पर सरकार ने बताया (अक्तूबर 2014) कि खनिज परिवहन परमिट को जारी करने की प्रक्रिया का भविष्य में अनुसरण किया जाएगा।

परिवहन विभाग

6.3 परिवहन प्राप्तियां

6.3.1 प्रस्तावना

आम जनता को दक्ष, मितव्ययी, पर्याप्त तथा सुव्यवस्थित परिवहन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नवंबर 1966 में परिवहन विभाग के अंतर्गत हरियाणा रोडवेज, राज्य

[4] भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत तथा यमुनानगर।

सरकार के उपक्रम का गठन किया गया था। 31 मार्च 2014 को इसके पास 4,025 बसों के फ्लीट सहित 24 डिपो (टाटा बसों के लिए 10 डिपो तथा लेलैंड बसों के लिए 14 डिपो) थे।

विभाग बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों से किराए के प्रभारण से प्राप्तियां तथा पुरानी बसों एवं पुराने स्पेयर पार्टो की बिक्री, वाहनों की क्षतिपूर्तियों या जुर्मानों, बस स्टैंडों पर दुकानों के किराए, अड्डा/पार्किंग फीस, टैंकर के भाड़ा प्रभारों, विज्ञापन फीस, टोल टैक्स तथा अन्य विविध प्राप्तियों इत्यादि से गैर परिवहन प्राप्तियां एकत्र करता है।

मुख्यालय पर महानिदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा हरियाणा रोडवेज के 24 डिपो में से छः डिपो[5] के वर्ष 2009-10 से 2013-14 के अभिलेखों की मई तथा जून 2014 में नमूना-जांच की गई थी तथा देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

6.3.2 अड्डा फीस का संग्रहण न करना

फरीदाबाद तथा गुड़गांव सिटी प्राइवेट बस सर्विस स्कीम, 2004 के अंतर्गत निजी व्यक्तियों को पांच वर्षो की अवधि के लिए क्षेत्र में सिटी बस सर्विस परिचालित करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस.टी.ए.) द्वारा परमिट जारी किए जाने थे। सभी करों, फीसों तथा सरकारी देयों के भुगतान के बाद ही परमिटों का नवीकरण किया जाना था। आगे, हरियाणा रोडवेज के बस स्टापों का उपयोग करने के लिए प्रत्येक सिंगल ट्रिप के लिए आपरेटर समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर अड्डा फीस का भुगतान करने के लिए दायी थे तथा किसी भी शर्त के उल्लघंन के मामले में एस.टी.ए., परमिट के स्थगन/निरस्तीकरण/जुर्माना लगाने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

(i) महानिदेशक राज्य परिवहन (डी.जी.एस.टी.) के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि एस.टी.ए. ने फरीदाबाद तथा गुड़गांव में सिटी बस सर्विस के निजी आपरेटरों को 194 परमिट (फरीदाबाद: 67 तथा गुड़गांव: 127) जारी किए। बसें चलाने के लिए रूट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर.टी.ए.), फरीदाबाद तथा गुड़गांव द्वारा सुनिश्चित किए गए थे। मार्च 2004 से रूटों पर बसें चलनी आरंभ हुई। तथापि, महाप्रबंधक, फरीदाबाद तथा गुड़गांव को मार्च 2004 से मार्च 2014 के मध्य इन निजी आपरेटरों द्वारा समय-समय पर निर्धारितानुसार अड्डा फीस का भुगतान नहीं किया गया था। निजी आपरेटरों से इन बकाया देयों को वसूल करने के लिए न तो जी.एम. ने कोई कदम उठाया था और न ही आर.टी.एज ने परमिट के स्थगन/निरस्तीकरण/जुर्माना लगाने के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की। अप्रैल 2009 से मार्च 2014 तक ₹ 7.55 करोड़ (फरीदाबाद: ₹ 2.91 करोड़ तथा गुड़गांव: ₹ 4.64 करोड़) की राशि की अड्डा फीस का संग्रहण नहीं हुआ।

(ii) फरीदाबाद डिपो के अभिलेख की अगली जांच ने दर्शाया कि एक प्राइवेट आपरेटर ने दूसरे प्राइवेट आपरेटर को 25 मार्च 2010 में अपनी बस बेच दी। तथापि, जब खरीददार ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर.टी.ए), फरीदाबाद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र द्वारा वाहन पंजीकृत करवाने के लिए आवेदन किया तो यह उसे जारी नहीं किया गया था क्योंकि इस बस के संबंध में अपेक्षित अड्डा फीस (₹ 4.34 लाख) जमा नहीं करवाई गई थी। खरीददार ने इस आधार पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में रिट याचिका फाइल की कि वह अनुबंध की तारीख (25 मार्च 2010) तक अड्डा फीस का भुगतान करने के लिए दायी नहीं थी। तथापि, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया तथा निर्णय दिया (10 मार्च 2014) कि देयों को क्लीयर किए बिना एन.ओ.सी. जारी नहीं की जा सकती तथा

[5] अंबाला, चण्डीगढ़, हिसार, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

सभी बसों के वाहन मालिकों से देयों को वसूल करने के लिए कदम उठाने का राज्य सरकार को निदेश दिया। इस मामले के दौरान यह भी देखा गया था कि ऐसी आठ बसें पहले ही बेची गई थी तथा इन बसों के संबंध में अड्डा फीस (सात मामलों में ₹ 29.46 लाख) वसूल किए बिना इन बसों को एन.ओ.सीज जारी किए गए थे। इस प्रकार, विभाग अपने देय वसूल किए बिना अन्य निजी आपरेटरों के नामों में बसों की बिक्री तथा पंजीकरण की अनुमति दे रहा था। चूंकि, अड्डा फीस के भुगतान न करने के रिकार्ड का रख-रखाव जी.एम. द्वारा किया जाता है किंतु आर.टी.ए. को खरीददारों के नाम में बसों के पंजीकरण के हस्तांतरण या परमिट के नवीकरण हेतु निजी आपरेटर को एन.ओ.सी. जारी करने से पहले जी.एम. से बकाया अड्डा फीस की पुष्टि की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि वाहनों की बिक्री के लिए एन.ओ.सीज जारी करने से पहले देयों की वसूली सुनिश्चित करने तथा नवीकरण एवं पंजीकरण के हस्तांतरण के लिए उपयुक्त प्रणाली उपलब्ध नहीं थी तथा विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है जो विभाग की विफलता दर्शाता है।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने अक्तूबर 2014 में बताया कि पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (पी.एल.आर. अधिनियम) के अंतर्गत अड्डा फीस की वसूली प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई थी।

6.3.3 किराए की दुकानों पर सेवा कर का असंग्रहण/कम संग्रहण

वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत परिभाषित अचल संपत्ति को किराए पर देने की सेवाओं पर 01 जून 2007 से सेवा कर लगाया गया था। हरियाणा रोडवेज के विभिन्न बस स्टैंडों पर जो दुकानें थी वो किराए पर दी गई थी।

दस डिपुओं[6] के अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि डिपुओं ने 01 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान दुकानों पर ₹ 12.46 करोड़ का किराया एकत्र किया। इस किराए पर सेवा कर ₹ 1.40 करोड़ परिकलित किया गया जिसमें से डिपुओं ने ₹ 1.23 करोड़ की राशि एकत्र की तथा जमा करवाई तथा शेष ₹ 16.83 लाख का सेवा कर एकत्र नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग ने दुकान के ठेकेदारों से ₹ 16.83 लाख का सेवा कर एकत्र नहीं किया था।

विभाग ने अक्तूबर 2014 में बताया कि ठेकेदारों से किराए की दुकानों पर सेवा कर वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

6.3.4 बस परिचालनों का कुप्रबंध

बसों की संख्या तथा कर्मीदल की उपलब्धता विभाग के मानकों के अनुसार रखी जाती है। ट्रैफिक विंग, कर्मी दल को रोटेशन में आराम तथा छुट्टी देता है ताकि बसें निर्धारित किलोमीटरों को पूरा कर सकें। सभी बसों को सही स्थिति में रखने के लिए वर्कशाप है तथा वर्कशाप में बसों के रोक से बचाव करती है। वर्कशाप में रोकी न गई बसों को उपलब्ध कर्मीदल के साथ रूट पर भेजा जाना चाहिए ताकि बसों तथा कर्मीदल का अधिकतम उपयोग किया जा सके तथा अधिकतम राजस्व अर्जित किया जा सके।

2010-14 की अवधि से संबंधित सात डिपुओं[7] के संबंध में 2010-11 से आगे की कम्प्यूटरीकृत रिपोर्टों के अनुसार फ्लीट तथा कर्मीदल की विस्तृत स्थिति के विश्लेषण के दौरान हमने देखा कि 1 से 29 बसें प्रतिदिन की अवधि के लिए नहीं चलाई गई थी, जबकि उन दिनों

[6] अंबाला, चरखी दादरी, चण्डीगढ़, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कुरूक्षेत्र, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

[7] अंबाला, चण्डीगढ़, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

ड्राइवर और कंडक्टर उपलब्ध थे। इस कुप्रबंध के कारण इन बसों पर लगाई गई स्थिर लागत निष्फल सिद्ध हुई।

विभाग ने अक्तूबर 2014 में तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि रिपोर्ट को मुख्यालय स्तर पर मानीटर किया जाएगा तथा संबंधित डिपुओं को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी किए जाएंगे।

6.3.5 मुफ्त/रियायत सुविधा की प्रतिपूर्ति न करना

राज्य सरकार ने सितंबर 1982 तथा मार्च 2014 के मध्य अपनी अधिसूचनाओं के अंतर्गत 36 श्रेणियों के लिए सात विभागों[8] को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधा अनुमत की थी। इन 36 श्रेणियों में से 27 श्रेणियों को मुफ्त यात्रा तथा शेष 9 श्रेणियों को रियायती यात्रा अनुमत की गई है।

परिवहन विभाग के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने अवलोकित किया कि परिवहन विभाग ने वर्ष 2009-14 के लिए ₹ 691.73 करोड़ के दावे इन विभागों पर प्रस्तुत किए जिनमें से विभागों ने ₹ 120.65 करोड़ की राशि भुगतान की थी तथा ₹ 571.08 करोड़ की शेष राशि 31 मार्च 2014 को अब भी लंबित थी। फिर भी, देयों की प्रतिपूर्ति के लिए, विभाग द्वारा मुख्य सचिव स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान पुलिस/जेल विभागों पर प्रस्तुत ₹ 106.24 करोड़ के कुल दावों में से विभाग द्वारा ₹ 60.62 करोड़ की राशि वसूल की गई थी तथा ₹ 45.62 करोड़ की राशि अभी तक वसूल नहीं की गई थी (नवंबर 2014)।

गृह विभाग के लिए फाइनल की गई मॉडेलिटीज के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए पुलिस तथा जेल कर्मचारियों के लिए मुफ्त/रियायती सुविधा के लिए कुल राशि ₹ 18.90 करोड़ आई। 31 मार्च 2011 तक ₹ 80 तथा 1 अप्रैल 2011 से आगे ₹ 175 की निश्चित राशि कर्मचारियों के वेतन से काटी जानी थी तथा सीधे 1055 लेखाशीर्ष को जमा की जानी थी। वास्तव में कर्मचारियों के वेतन से प्राप्त वास्तविक राशि की कुल दावों से कटौती की जानी चाहिए, लेकिन हमने अवलोकित किया कि यद्यपि, कर्मचारियों के वेतन से प्राप्त वास्तविक राशि 2009-10 से 2012-13 के दौरान ₹ 4.16 करोड़ से ₹ 7.88 करोड़ के मध्य श्रृंखलित थी परंतु 2009-10 से आगे प्रत्येक वर्ष के लिए भुगतान के रूप में प्राप्त ₹ 4.28 करोड़ की निश्चित राशि की कटौती करके प्रस्तुत किया गया था। ₹ 4.28 करोड़ की निश्चित राशि की गणना अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, प्रस्तुत किए गए दावे सही परिकलित नहीं किए गए थे क्योंकि कर्मचारियों के वेतन में से ₹ 22.44 करोड़ की कटौती की जानी थी तथा लेखाशीर्ष (1055) में जमा की जानी थी जबकि इस शीर्ष में दावों की राशि केवल ₹ 17.12 करोड़ काटी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.32 करोड़ के अधिक दावों की उत्पत्ति हुई।

विभाग ने अक्तूबर 2014 में बताया कि ये मामला वित्त विभाग (वि.वि.) को बजट प्रदान करने के लिए भेजा गया था तथा वि.वि. ने परामर्श दिया था कि परिवहन विभाग भी सरकारी विभाग था तथा कल्याण स्कीमें परिचालित कर सकता था इसलिए अन्तर-विभागीय निधियों के अन्तरण न्यायोचित नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत दावों

[8] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, युवा एवं खेल विभाग, जन संपर्क विभाग, राज्य सैनिक बोर्ड, गृह विभाग (पुलिस एवं जेल) तथा शिक्षा विभाग।

के लिए संबंधित विभागों को बजट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय लिया गया था तथा यदि यह कार्यान्वित नहीं किया जाना था तो मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया जाना चाहिए। पुलिस विभाग को प्रस्तुत दावों के मामले में, विभाग ने बताया कि प्राप्त वास्तविक राशि के आधार पर दावे संशोधित किए जाएंगे।

इस प्रकार, सिटी बस सर्विस के लिए प्राइवेट आपरेटरों को जारी किए गए 194 परमिटों (फरीदाबाद: 67 तथा गुड़गांव: 127) के संबंध में ₹ 7.55 करोड़ की अड्डा फीस तथा वर्ष 2009 – 10 से 2013 – 14 के लिए 10 डिपुओं के संबंध में ₹ 16.83 लाख की राशि का सेवा कर दुकान के ठेकेदारों से एकत्र नहीं किया गया था। 31 मार्च 2014 को विभिन्न विभागों से निःशुल्क/रियायत सुविधा के संबंध में ₹ 571.08 करोड़ की राशि लंबित थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवंबर 2014)।

चण्डीगढ़
दिनांक:

(महुआ पाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक-I
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.6.5)

अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/ जिनके 31 अक्तूबर 2014 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए

कर का नाम		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	12	12	9	4	**37**
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	9	4	**13**
मोटर वाहनों पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	2	3	1	1	**7**
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	2	1	1	**4**
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	6	6	8	**21**
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	6	8	**14**
राज्य उत्पाद शुल्क/पी.जी.टी	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	2	1	3	4	**10**
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	3	4	**7**
अन्य	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	4	1	1	1	**7**
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	1	1	1	**3**
योग	**ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/ लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित**	**21**	**23**	**20**	**18**	**82**
	ले.प.प्र. में सम्मिलित अनुच्छेदों के कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई	**-**	**3**	**20**	**18**	**41**

अनुलग्नक-II
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.6.5)

31 अक्तूबर 2014 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31.10.2014 को लोक लेखा समिति की 1979-80 से 2008-09 तक की रिपोर्टों के बकाया अनुच्छेदों की कुल संख्या
1.	22	1979-80	3
2.	23	1980-81	4
3.	25	1981-82	4
4.	26	1982-83	3
5.	28	1983-84	2
6.	29	1984-85	8
7.	32	1985-86	4
8.	34	1986-87	11
9.	36	1987-88	6
10.	38	1988-89	11
11.	40	1989-90	23
12.	42	1990-91, 91-92, 92-93	31
13.	44	1990-91, 91-92, 92-93	40
14.	46	1993-94	9
15.	48	1993-94, 1994-95	10
16.	50	1993-94, 1994-95, 1995-96	41
17.	52	1996-97	31
18.	54	1997-98	43
19.	58	1998-99 तथा 1999-2000	64
20.	60	2000-01	38
21.	62	2001-02	42
22.	63	2002-03	46
23.	64	2003-04	52
24.	65	2004-05	50
25.	67	2005-06	48
26.	68	2006-07 तथा 2007-08	100
27.	70	2008-09	56
योग			**780**

अनुलग्नक-III

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.6.5)

31 अक्तूबर 2014 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	1979-80 से 2008-09 तक की अवधि की कुल बकाया सिफारिशें
1.	आबकारी एवं कराधान	369
2.	राजस्व	160
3.	खदान एवं भू-विज्ञान	44
4.	कृषि	41
5.	सिंचाई	15
6.	चीफ इलैक्ट्रीकल इंस्पैक्टर (विद्युत)	17
7.	जन-स्वास्थ्य	4
8.	लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	5
9.	पशुपालन	7
10.	परिवहन	49
11.	वित्त (लॉटरीज)	14
12.	हरियाणा राज्य लॉटरीज	2
13.	सहकारिता	19
14.	वन	10
15.	गृह	16
16.	शहरी विकास	2
17.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4
18.	उद्योग	1
19.	सामान्य	1
	योग	**780**

संकेताक्षरों की शब्दावली

कृ.का.टि.	कृत कार्रवाई टिप्पणी
ए.ए.	निर्धारण प्राधिकारी
ए.ई.टी.ओ.	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी
बी.ई.	बजट अनुमान
ए.एम.ई.	सहायक खनन अभियंता
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
भा.ब्या.प्र.बो.	भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड
बी.के.ओ	ईंट भट्ठा मालिक
दे.श.	देशी शराब
सी.एस.टी. एक्ट	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
डी.ई.टी.सी.	उप – आबकारी एवं कराधान आयुक्त
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.सी.आर.	दैनिक संग्रहण रजिस्टर
डी.सी.	उपायुक्त
डी.डी.ओ.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
ई.टी.सी.	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ई.टी.ओ.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी
भा.स.	भारत सरकार
जी.टी.ओ.	सकल आवर्त्त
एच.वी.ए.टी. एक्ट	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
एच.जी.एस.टी. एक्ट	हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973
एच.वी.पी.एन.एल.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
एच.पी.जी.सी.एल.	हरियाणा पावर जनरेशन निगम लिमिटेड
एच.एल.एल. नियम	हरियाणा शराब लाईसैंस नियम, 1970
एच.एल.ए.डी.टी.	हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आई.ओ.सी.एल.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
आई.एस. एक्ट	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
आई.आर. एक्ट	पंजीकरण अधिनियम, 1908
आई.जी.आर.	पंजीकरण महानिरीक्षक
भा.नि.वि.श.	भारत में निर्मित विदेशी शराब

जे.एस.आर.	संयुक्त उप-रजिस्ट्रार
जे.ई.टी.सी.	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त
एम.वी. एक्ट	मोटर वाहन अधिनियम, 1988
एम.ओ.	खनन अधिकारी
लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
पी.एस.ई.टी.	प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग
पी.जी.टी.	यात्री एवं माल कर
पी.पी.जी.टी. एक्ट	पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952
पी.एम.वी.टी. एक्ट	पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924
पी.एल.	प्रूफ लीटर
पी.एफ.आर.	पंजाब वित्तीय नियम
पी.एल.आर. एक्ट	पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887
आर.एफ.	पंजीकरण फीस
आर.एल.ए.	पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकारी
आर.टी.ए.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
आर.ए. (एम.वी.)	पंजीकरण प्राधिकारी (मोटर वाहन)
आर.आर.सी.	राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र
एस.डी.	स्टाम्प शुल्क
एस.ई.डी.	राज्य उत्पाद शुल्क
एस.आर.	उप-रजिस्ट्रार
एस.ओ.	अनुभाग अधिकारी
एस.डी.ओ.	उप-मंडल अधिकारी
टी.आई.एन.	करदाता पहचान संख्या
टी.सी.	परिवहन आयुक्त
टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.	कर सूचना विनिमय प्रणाली
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यू.सी.टी.	निर्माण संविदा कर